द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ६१

शुक्रवार, ५ मई, १९६१
१५ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५---अंक ५१ से ६१---२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१---शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९-६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३-६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--

विचार करने का प्रस्ताव --अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन---स्वीकृत . . . ६००४-६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव ---अस्वीकृत . ६००७-१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०-२१

**अंक---५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३-४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८-५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२-७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा

शुक्रवार, ५ मई, १९६१

१५ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

†*१९२६. श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार भारत में भूत-पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों तक करने के सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सरकार पेरिस में अपीलीय न्यायालय के स्थान पर वैकल्पिक भारतीय न्यायालय स्थापित करने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक प्रशासी ब्योरे को अंतिम रूप देने में लगी हुई है ।

†**श्री पांगरकर** : पेरिस में अपीलीय न्यायालय के स्थान पर भारतीय वैकल्पिक निकाय के गठन का क्या ब्योरा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक पूर्व अवसर पर यह बताया जा चुका है कि गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक निर्णय किया जायेगा और अब पांडिचेरी के लिये विद्यमान तीन प्रकार के अपीलीय न्यायालयों के स्थान पर हम तीन प्रकार के न्यायालय बनायेंगे। इन बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जब तक इनको अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, मेरे लिये इसे बताना संभव नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस बारे में फ्रांस की सरकार से परामर्श किया गया है और क्या उनको इस पर कोई अपत्ति नहीं है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** फ्रांस सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वस्तुतः हस्तान्तरण करार के नियमों के अधीन, हम जो भी परिवर्तन कर रहे है वह उस करार के भीतर कर रहे है और उन से परामर्श करना आवश्यक नही है।

†**श्री तंगा मणि:** बारह महीनों से भी अधिक समय से उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है। क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि दिसम्बर, १९६० में भी वहां पर विरोधी दल के नेता को पेरिस न्यायालय में अपील करनी पड़ी और यह समाप्त कर दी गयी जिस से काफी असुविधा हुई, और यदि हां, तो क्या अब हमें कोई निश्चित अथवा ठीक तिथि मिल सकती है जब तक कि यह निर्णय किया जायेगा क्योंकि वस्तुतः हस्तान्तरण करार को देखते हुए इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं कोई निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकती, परन्तु, जैसा मैंने मूल उत्तर में बताया है, इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और फ्रेंच न्यायालय में लम्बित सभी अपीलें इन न्यायालयों को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी।

†**श्री त्यागी:** क्या विलम्ब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में इस मामले पर लम्बे विचार के कारण हैं अथवा यह फ्रांस सरकार द्वारा बीच में हस्तक्षेप करने के कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** फ्रांस सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती ।

†**श्री त्यागी :** अतः यह विलम्ब केवल वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में लम्बे विचार के कारण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** ऐसा नहीं है, विलम्ब इसलिये है कि मद्रास उच्च न्यायालय को और गृह-कार्य मंत्रालय, विधि मंत्रायलय आदि को कई विदेश किये जाने हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या इस बारे में उस क्षेत्र के निवासियों से भी परामर्श लिया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उनसे परामर्श करना आवश्यक नहीं है। काउन्सिलरों से परामर्श किया जा रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम जनता से परामर्श कैसे करें। उनके प्रतिनिधि, उनके काउन्सिलरों ने आग्रह किया है कि ऐसा किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे जिज्ञासु हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** यह किठिनाई पांडिचेरी के विधिवत् हस्तांतरण से सम्बन्धित है। भारतीय संघ को पांडिचेरी का विधिवत् हस्तांतरण करने में फ्रांस की ओर असामान्य विलम्ब को देखते रूए, क्या सरकार फ्रांसीसी अधिकारियों पर इस बात का कोई दबाव डालेगी कि वे नियम समय के भीतर भारत-फ्रांस करार की शर्तों को क्रियान्वित करें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इतिहास और सामयिक मामलों के जानकार होने के नाते माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि इस दौरान फ्रांस में क्या कुछ हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दबाव डालना अच्छा नहीं है । हम दबाव नहीं डाल सकते। हम पृथक रूप से कार्य कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : पांडिचेरी के वस्तुतः और विधिवत् हस्तांतरण में असंगत स्थिति देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचकगण के प्रति अपने कर्त्तव्य निभाने की परिस्थिति में नहीं हैं, और यदि हां, तो ...

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब परिणाम के मामले हैं। यह प्रश्न पुछने से क्या लाभ है? ये सब बातें मूल प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होतीं । सरकार को, विधिवत् हस्तांतरण न होने के कारण, वहां के लोगों की कठिनाई का पूरा ज्ञान है । वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न का विषय यही है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि आज पांडिचेरी में काम कर रहे कुछ न्यायिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय को यह अपीलीय क्षेत्राधिकार सौंपने का विरोध कर रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें पता नहीं है कि वे उसका विरोध कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी**: इस अनुचित विलम्ब के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला है । हम वास्तव में विलम्ब का कारण जानना चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अनुचित विलम्ब कहां है ? यह कुछ महीने ही तो हैं और इस बात को देखते हुए कि यह एक असाधारण महत्वपूर्ण मामला है, इसका, गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय में पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाना है और मद्रास सरकार और मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश दिये जाने हैं । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अधिक विलम्ब हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में यह कठिन काम है ।

लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा प्रविधिक मार्ग-दर्शन

†*१९२९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगपतियों को लघु उद्योग सेवा संस्थाओं से पर्याप्त मार्ग-दर्शन प्राप्त नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयां क्या हैं ;

(ग) क्या नवीनतम प्रविधिक जानकारी के शीघ्रता से प्रविधिक कार्यालयों तक पहुंचाये जाने की कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८४**]

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या व्यावहारिक प्रदर्शन करने के लिये प्रशिक्षत व्यक्ति भेज कर उनका मार्ग-दर्शन किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां । उनको देश में विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** इस प्रविधिक प्रशिक्षण और मार्ग-दर्शन से किन देशों को प्रमुख रूप से लाभ हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा मैं विवरण में बता चुका हूं, उद्योग के भीतर और संस्था में प्रशिक्षण द्वारा सभी लघु उद्योगों को लाभ हो रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या ये संस्थायें सभी राज्यों में और विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की गयी हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रत्येक राज्य में एक संस्था है और पिछड़े क्षेत्रों समेत लगभग ८९ विस्तार केन्द्र हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इन लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के कृत्य और कर्त्तव्य क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये बहुत अधिक हैं और इनके बारे में वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया रिपोर्ट देखें ।

अब, अगला प्रश्न । श्री जीनचन्द्रन् । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं । अब, प्रश्न संख्या १९३१, श्रीमती इला पालचौधरी । माननीय सदस्या अनुपस्थित हैं । फिर, प्रश्न संख्या १९३२ । श्री हरिश्चन्द्र माथुर । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

फिर मैं प्रश्न संख्या १९३३ को लेता हूं । श्री इन्द्रजीत गुप्त । वह अनुपस्थित हैं । फिर श्री नारायणन् कुट्टि मेनन । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मैं उपस्थित हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य अपने सामान्य स्थान पर नहीं बैठते । वह बार बार अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते । माननीय सदस्य कृपया अपने ही स्थानों पर बैठे ताकि मैं उनके स्थान को देख कर उनका नाम पुकार सकूं और अगला प्रश्न न पुकारूं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मुझे, खेद है मैं एक कागज लेने इस स्थान पर आ गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर मैं उस स्थान से उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जी, अच्छा ।

†**एक माननीय सदस्य :** यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा । मैं अपवाद के रूप में इस प्रश्न की अनुमति दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोलीथिलीन परियोजना

+

†*१६३३. { श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
　　　　　श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पोलीथिलीन परियोजना शायद क्रियान्वित न की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृत्रिम रेशम के धागे की कीमतें

†*१६३४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त (टेक्सटाइल कमिश्नर) ने कृत्रिम रेशम के धागे की कीमतें, जो समझौते द्वारा तय की गयी हों, बनाये रखने के बारे में सरकार को अभी हाल में अपनी सिफारिशें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इनके बारे में सरकार का क्या निश्चय है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सम्बन्धित हितों के साथ बातचीत कर के, कपड़ा आयुक्त ने सिफारिश की कि देशीय रेयन के धागे पर उत्पादन-शुल्क में हाल में की गयी वृद्धि का ६० प्रतिशत भाग रेयन धागे के कताई करने वालें सहें और ४० प्रतिशत रेयन धागे के उपभोक्ता द्वारा सहन के लिये छोड़ दिया जाये । सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसको क्रियान्वित किया जा रहा है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस पर उद्योगों और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रतिक्रिया यह है कि जब एक बार सभी विचारों पर उचित रूप से विचार कर लिया जाता है और एक सहमत प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता है, वे उसे मान लेते हैं और उसको क्रियान्वित करने में वे हमारी सहायता कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा पश्चिम बंगाल के गोदागरी चार क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की कोशिश

+

†*१९३५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानियों ने ११ अप्रैल, १९६१ को मुर्शिदाबाद जिले में गोदागरी चार क्षेत्र का, जो भारतीय सीमा का एक भाग है, सर्वेक्षण करने की कोशिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख) ११ अप्रैल, १९६१ को लगभग १२ बजे मुर्शिदाबाद जिले के जालनगी पुलिस स्टेशन के गोदागरी चार क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी सिपाही, सर्वेक्षण-कर्ता और अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारतीय प्रदेश में घुस आये और क्षेत्र का सर्वेक्षण करके वापस चले गये । १४ अप्रैल को फिर कुछ पाकिस्तानी उसी क्षेत्र में घुस आये जबकि भारतीय पुलिस ने उसमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार दो व्यक्तियों के पास सर्वेक्षण के उपकरण थे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या दो बार पकड़ा गया यह सर्वेक्षण दल कोई जासूसी कार्य नहीं कर रहा था और यदि हां, तो उस कार्य का क्या स्वरूप है?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे किसी जासूसी के लिये दोषी हैं और यदि हां, तो किस रूप में?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह तो अनुमान का विषय है कि उनका क्या इरादा था । जो सत्य बात थी वह प्रश्न के उत्तर में बता दी गयी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, वे इस समय कहां पर हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों पर भारतीय पारपत्र अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है । बाकी भाग गये ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : पाकिस्तान सरकार से कब विरोध प्रकट किया गया था और क्या उनसे कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : अगले दिन, १५ अप्रैल को राजशाही के जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले के जिला मजिस्ट्रेट से विरोध प्रकट किया है । हम इस बारे में पश्चिम

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगाल सरकार से पूरी रिपोर्ट देने को कह रहे हैं। जैसे ही हमें उस सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या चार का यह क्षेत्र, जहां यह सर्वेक्षण दल आया, विवाद का विषय है, और यदि हां, तो क्या हमारे सीमान्त में इस प्रश्न की रक्षा की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच ईदा भाग के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे पक्का पता नहीं है।

चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्यक्षेत्र

*१९३६. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तिब्बत के मिनसर गांव पर कुछ वर्ष पहले भारत का अधिकार था और भारतीय अधिकारी वहां से मालगुजारी वसूल किया करते थे; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास प्रमाण के लिये कोई दस्तावेज है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : **(क) और (ख)**. सीमा के प्रश्न पर सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट देखने से यह मालूम हो जायगा कि इस धारणा को सिद्ध करने के लिये पक्के कागजाती सबूत पेश किए गए थे कि मिनसर गांव जम्मू और काश्मीर सरकार के ताल्लुक में था और वह सरकार समय-समय पर वहां से मालगुजारी वसूल करती थी।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मन्त्री का ध्यान सोशलिस्ट पार्टी के नेता डा० राम मनोहर लोहिया के उस बयान की तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ प्रमाण मौजूद हैं कि यह ग्राम हिन्दुस्तान के अधिकार में था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : डा० लोहिया ने तो हमारे पास इसका कोई सबूत भेजा नहीं है। लेकिन जहां तक इस ग्राम का सम्बन्ध है उसके बारे में तो आपने अभी जवाब सुना और जो किताब छपी है उसमें भी इसके बारे में लिखा है। इसमें हमारी राय में कोई सन्देह नहीं है कि इस ग्राम का कुछ पुराना ताल्लुक जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट से था और वह जारी रहा कुछ बरस पहले तक। क्या ताल्लुक था यह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन बहरसूरत इतना था कि हर दूसरी साल जम्मू काश्मीर सरकार के कुछ आदमी वहां जाकर वहां से सौ पचास रुपए बतौर माल गुजारी जमा कर लाते थे। यह कहना मुश्किल है कि उस ताल्लुक की कानूनी शक्ल क्या थी। यह गांव तिब्बत के बीच में है। जाहिर है कि वहां कोई रोजमर्रा की कार्रवाई तो होती नहीं थी, सिर्फ वहां से मालगुजारी वसूल की जाती थी।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया से इस बात की जांच पड़ताल की गयी कि उनके पास क्या प्रमाण मौजूद है ?

श्री त्यागी : उनके पास होता तो वे गवर्नमेंट को भेज देते।

श्री जवाहरलाल नेहरू : गालिबन नहीं की गयी होगी, मुझे ठीक नहीं मालूम।

डा० राम सुभग सिंह : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जम्मू काश्मीर सरकार की ओर से वहां कोई गया या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस बारे में कुछ यकायक नहीं कह सकता कि हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जम्मू काश्मीर सरकार की तरफ से वहां कोई गया या नहीं। लेकिन सन् १९५० के बाद से कोई नहीं गया। शायद सन् १९४८-४९ में कोई गया था। सन् १९५० के पहले एक आध बार कोई शायद गया हो। आम तौर पर पहले हर दूसरे बरस कुछ लोग जम्मू काश्मीर से जाब्ता पूरा करने जाते थे और २५० रुपया जमा कर लाते थे। इससे ज्यादा तो उनके आने जाने में खर्च हो जाता होगा। लेकिन वह एक जाब्ता पूरा करते थे। लेकिन सन् १९५० के बाद से कोई नहीं गया।

†**श्री रंगा** : अब यह किसके कब्जे में है—जम्मू तथा काश्मीर सरकार के कब्जे में या चीनियों के कब्जे में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह चीनी अधिकारियों के कब्जे में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बलराज मधोक।

†**श्री बलराज मधोक** : लद्दाख और तिब्बत के बीच १८४२ की सन्धि के अनुसार इस गांव से जो राजस्व प्राप्त होता था, वह काश्मीर सरकार द्वारा मानसरोवर के किनारों पर मठों में लैम्पों की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाता था। क्या अब भी उस राजस्व का उसी कार्य के लिये इस्तेमाल होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि कोई राजस्व वसूल नहीं किया गया, उनका किसी कार्य में इस्तेमाल नहीं हो सकता।

†**श्री बलराज मधोक** : जम्मू तथा काश्मीर राज्य और तिब्बत के बीच १८४२ की संधि के अनुसार, इस गांव से राजस्व काश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिये लिया जाता था। मैं यही कहना चाहता था। प्रधान मन्त्री जी को शायद इस बात का पता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार से इस गांव के बारे में और कागजाती प्रमाण जैसे पुराने राजस्व रिकार्ड आदि इकट्ठे करने को कहा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जम्मू तथा काश्मीर सरकार के पास अथवा अन्यत्र कहीं उपलब्ध सभी कागजाती प्रमाणों की पिछले वर्ष अच्छी तरह जांच की गयी थी। इस बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है। उनको कहने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ग्राम पर चीनियों का कब से कब्जा हो गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कहना मुश्किल है कि किस तारीख से उनका कब्जा हुआ, लेकिन जैसाकि मैंने आपसे कहा, सन् १९५० के बाद जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट ने वहां अपना कोई अफसर मालगुजारी जमा करने नहीं भेजा। उसके बाद जाब्ते से कब कब्जा हुआ, किस तारीख से हुआ, किस ढंग से हुआ, यह कहना मुश्किल है।

†**श्री वाजपेयी** : इस बात को देखते हुए कि डा० राम मनोहर लोहिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कुछ ऐसे लिखित प्रमाण हैं जिनसे इस बात का समर्थन होता है कि यह गांव भारत का है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री जी वह कागजात सरकार को देने के बारे में डा० लोहिया से अनुरोध करने की सम्भावना पर विचार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निश्चय ही हमें वह अतिरिक्त कागजात मिलने पर खुशी होगी, जो उनके पास हैं । सम्भवत: माननीय सदस्य उनसे वह लेने में हमारी सहायता करेंगे । परन्तु यदि माननीय सदस्य इस विषय में प्रकाशित पुस्तकों को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि प्रमुख कागजात वहां दिये गये हैं । यह हो सकता है कि उनके पास वही कागजात हों । इस बारे में कोई आशंका नहीं है कि यह गांव हमारा था । यह पता नहीं है कि यह किस रूप में था, जमींदारी के रूप में या अन्य किसी अधिकार, कानूनी अधिकार पर । परन्तु एक विशेष राजस्व, २५० रुपये की रकम, जम्मू तथा काश्मीर सरकार को जाती थी ।

भारतीय साम्यवादी दल के सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिये दृष्टांक (वीसा)

†*१६३७. **श्री तंगामणि** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सम्यवादी दल के छठे सम्मेलन में, जो ७ से १६ अप्रैल, १९६१ तक विजयवाड़ा में हुआ, भाग लेने के लिए फ्रांस, इज़रायल और पूर्व जर्मनी के प्रतिनिधियों को दृष्टांक (वीसा) देने से इंकार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) विभिन्न देशों के कितने प्रतिनिधियों ने दृष्टांक के लिये आवेदन किया था और उनमें से कितने व्यक्तियों को दृष्टांक दिये गये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां । फ्रांस को छोड़ कर जिस देश से किसी भी प्रतिनिधि ने दृष्टांक के लिये आवेदन नहीं दिया ।

(ख) यद्यपि यह हमारी नीति नहीं है कि एक दम स्थानीय राजनीतिक सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के लिये विदेशियों को भारत आने की अनुमति दी जाये । विशेष कारणों से भारत आने के लिये पांच देशों से कुछ विदेशियों को दृष्टांक दिये गये ।

(ग) दृष्टांक के लिये १८ प्रतिनिधियों ने आवेदन किया था जिसमें से १२ प्रतिनिधियों के दृष्टांक दिये गये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस बात का कोई विशेष कारण है जिससे इज़रायल के प्रनिनिधि को अनुमति नहीं दी गयी, यद्यपि इसके आवेदन किया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इन प्रश्नों पर कई बातों को देखते हुए निर्णय किया जाता है । जहां तक इज़रायल के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जैसा सदन को ज्ञात है, इज़रायल के साथ हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं । इज़रायल से यहां आने के लिये व्यक्तियों पर रोक नहीं है । मैं इस समय बिना जांच किये यह नहीं बता सकता कि वह व्यक्ति कौन था और उसको दृष्टांक न देना अच्छा क्यों समझा गया । परन्तु जैसा मैंने बताया, हम अन्य देशों से इन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये, जब ये सम्मेलन राजनीतिक स्तर पर हैं, प्रोत्साहन नहीं देते । यह नियमों में कुछ ढील थी कि कुछ व्यक्तियों को दृष्टांक दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० द० पांडे : इस बात को देखते हुए कि ऐसे सम्मेलनों में, अर्थात् शांति सम्मेलनों में कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने अतिथि सरकार की दया को बुरा भला कहा, क्या सरकार भविष्य में उन व्यक्तियों को आज्ञा न देने की संभावना पर विचार करेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जिस किसी व्यक्ति ने उसको दी गयी सुविधाओं के बारे में बुरा भला कहा, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा ।

†श्री विभूति मिश्र : ये जो कम्युनिस्ट कान्फ्रेंसिस होती हैं, और इनमें बाहर के देशों से जो कम्युनिस्ट आते हैं, वे हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों को हिन्दुस्तान की सरकार के खिलाफ उकसाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह चीज़ सरकार के ध्यान में आई है और अगर आई है तो सरकार इसके बारे में क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौन किस को उकसाते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : बाहर के देशों से जो कम्युनिस्ट आते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : बाहर वाले यहां के लोगों को या यहां वाले बाहर के लोगों को उकसाते है ?

श्री विभूति मिश्र : बेजवाड़ा में अभी एक कान्फ्रेंस हुई थी जिस में बाहर के देशों के कम्युनिस्ट आए थे और उन्होंने आकर भीतर ही भीतर यहां के कम्युनिस्टों को हिन्दुस्तान की सरकार के खिलाफ उकसाया । क्या इस तरह की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है और अगर हुई है तो इसकी रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

†श्री जवाहर लाल नहरू : जाहिर है कि अगर कोई ऐसी बात करे तो बहुत बेजा है, बहुत नामुनासिब है । लेकिन क्या उन्होंने खुफिया में कहा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं ।

कर्नल भट्टाचार्य का अपहरण

+

†*१९३८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मंजुला देवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पूर्व पाकिस्तान की सरकार से कर्नल भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्ट मिल गयी है और

(ख) पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट में इस गिरफ्तारी के बारे में किन मुख्य बातों को उठाया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या पाकिस्तान सरकार से यह प्रश्न उठाया गया है या नहीं कि क्या कर्नल भट्टाचार्य पाकिस्तान क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे थे अथवा वह अपने क्षेत्र में थे और यदि यह उठाया गया है तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान सरकार का मामला यह है कि जब कर्नल भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया तो वह अपने प्रदेश में थे और उनके अनुसार वह अनुचित कार्य कर रहे थे । अब, स्पष्टत: वे उस पर मुकद्दमा चला रहे हैं । यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर इस सभा में प्रश्न पूछना लाभदायक हो सकता है । सभी तरह की बातें कही जा रही हैं..... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति. मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक

†*१६३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को किराया-खरीद आधार पर मशीनों का सम्भरण करने की शर्तों को और उदार बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की रियायत दी गयी है और उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) (१) ५०,००० रुपये से कम मूल्य की मशीनें चाहने वाले छोटे उपक्रमियों को मशीन के मूल्य का १० प्रतिशत सत्यंकार-राशि[1] के रूप में देना पड़ता है ।

(२) ५०,००० रुपये से अधिक मूल्य की मशीनें चाहने वाले आवेदकों को, जिन्हें मशीन के मूल्य का २० प्रतिशत सत्यंकार-राशि (भट्टियों के मामले ; ३० प्रतिशत) देनी पड़ती है, यह अधिकार दिया जाता है कि वे ५ प्रतिशत नगद भुगतान करें और बाकी १५ प्रतिशत अथवा २५ प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की बैंक की प्रत्याभूति दे दें जिसका रुपया मशीन की डिलीवरी के समय मिल सके ।

(३) राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधायित आवेदनकर्त्ताओं के मामले में निगम मशीन के मूल्य का ५ प्रतिशत सत्यंकार राशि के रूप में मंजूर कर लेती है यदि १५ प्रतिशत अथवा २५ प्रतिशत की पुरोनिधान राज्य सरकार प्रत्याभूति दें ।

(४) जहां मशीन की डिलीवरी की अवधि अधिक हो, तो सत्यंकार-राशि नगद भुगतान की दो बराबर किश्तों में बांट दी जाती है ।

(५) कुछ चुने हुए बड़े उद्योगों में स्थापित किये जाने वाले सहायक एककों के बारे में पूंजी की अधिकतम सीमा १० लाख रुपये तक कर दी गयी है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि यदि मशीन की डिलीवरी की अवधि लम्बी हो, तो सत्यंकार राशि नकद भुगतान पर दो बराबर किश्तों में बांट दी जाती है । डिलीवरी की अवधि क्या है और क्या एक से दूसरे मामले में कोई अन्तर है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यत: एक वर्ष से १८ महीने तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Earnest Money.

†श्री राम कृष्ण गुप्त : वे चुने हुए उद्योग कौन से हैं जिनके लिये १० लाख रुपये की छूट दी गयी है?

†श्री मनुभाई शाह : बड़े उद्योगों के सहायक उद्योग, जैसे मशीनी औजार, मोटर गाड़ी और विभिन्न अन्य प्रकार की चीजें ।

†श्री तंगामणि : इस रियायत के अधीन किश्तों पर भुगतान के लिये कितनी किश्तें छोड़ी गयी हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : रियायती भुगतान के तौर पर कोई विशेष रियायत नहीं छोड़ी गयी है । कुछ व्यापक नियम हैं । परन्तु जो कुछ ग्राह्य है वह यह है २० प्रतिशत या ३० प्रतिशत अग्रिम जमानत के बजाय उन्हें डिपोजिट के तौर पर ५ से १३ प्रतिशत तक देना पड़ता है ।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दस लाख तक लिमिट को बढ़ा दिया गया है एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी एक्सचेंज में से कितना रुपया इसके लिए निकाल दिया है ताकि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहें, उनको एक्सचेंज मिल सके ?

श्री मनुभाई शाह : इससे जो जवाब दिया गया है उसका कोई ताल्लुक नहीं है । दस लाख तक हमारी इंडस्ट्री की व्याख्या है और पांच लाख तक की एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए थी । हमने कुछ रिलैक्सेशन किया है एंसिलरी इंडस्ट्री के केस में और उनकी कैपिटल सीलिंग को दस लाख कर दिया है और उसके लिए यह सारी तजवीज है ।

लाल भाई पटेल नागरी माइनिंग, डन्डेली

†*१९४०. { श्री त० ब० विट्ठल राव : श्री मुहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लालभाई पटेल नागरी माइनिंग, डन्डेली के दो हजार कर्मचारी ११ अप्रैल, १९६१ से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या कर्नाटक मैंगनीज खान कर्मचारी संघ के साथ समझौते की बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ११ अप्रैल, १९६१ से नागरी माइनिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डन्डेली के १६०० कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है ।

(ख) मांग खान के सुपरवाइज़र को पुनः काम पर लगाने के बारे में है जिसको दुर्व्यवहार आदि के लिये कम्पनी ने नौकरी से निकाल दिया था ।

(ग) और (घ). सम्बन्धित समझौता अधिकारी द्वारा किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया और २४ अप्रैल, १९६१ को हड़ताल समाप्त कर दी गयी ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० व० विट्ठल राव : क्या समझौता अधिकारी को ११ अप्रैल से पूर्व कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ? अभ्यावेदन प्राप्त होने और समझौता कराने के बीच कितना समय लगा ?

†श्री आबिद अली : संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था परन्तु वह इस बारे में नहीं था। वह अन्य मामलों के बारे में था। उन्होंने समझौते के लिये २७ अप्रैल की तारीख नियत की थी ।

इंडियन न्यूज सर्विस

+

†*१६४२. { श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में इंडियन न्यूज सर्विस नामक एक नई समाचार एजेंसी शुरू हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निबन्धन और विधान क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समाचार एजेंसी ने भारत में समाचारों के परिचालन के लिए एक विदेशी एजेंसी के साथ एक करार किया है ; और

(घ) क्या ऐसा करना भारत सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री अ० च० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक सीमित समवाय है। इसके संस्था ज्ञापन में निहित उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(१) समाचार एकत्र करने और भेजने के लिये समाचार एजेंसी का कार्य करना, समाचार देने के लिये किसी समाचार पत्र, साप्ताहिक अथवा पत्रिका के सम्पादकों और अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवस्था करना ।

(२) समाचारों के संग्रह और अथवा संभरण के लिये किसी समाचार एजेंसी अथवा संघ से समझौता करना और किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समाचार वितरित करने की व्यवस्था करना ।

(ग) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिये सभी समाचार एजेंसियों का विदेशी एजेंसियों से सम्पर्क है ।

(घ) जी, नहीं ।

†श्री प्र० गं० देव : क्या विदेशी समाचार एजेंसी और इसके देश का नाम जान सकता हूं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं समझता हूं कि यह यूनाइटिड प्रेस इन्टर-नेशनल है जिनके साथ उनका सम्बन्ध है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचार सेवाओं से किन समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है और क्या उनको अनुमति देने से पूर्व वे सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : यह स्पष्ट है कि यदि वे न्यूनतम शर्तें पूरी न करते तो उनको सुविधायें न दी जातीं । जहां तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, वह मेरे पास यहां नहीं है परन्तु मैं इस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य को पूरा प्रोस्पेक्टस और ज्ञापन दे सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर अथवा संसद् पुस्तकालय में रख दिये जायें ताकि ये सभी सदस्यों को मिल सकें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां पहले एक समाचार समिति थी, वहां उसके बाद और समाचार समिति बन रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या रुख है कि अधिक से अधिक संख्या में उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ?

डा० केसकर : गवर्नमेंट का कोई रुख नहीं है इस मामले में । गवर्नमेंट खाली इतना ही चाहती है कि जब कोई न्यूज़ एजेंसी बने वह जो मोटे सिद्धान्त हैं या जो नियम बनाये गये हैं, उनके अनुसार बने । समाचार समितियों का नम्बर महदूद करना गवर्नमेंट के लिये सम्भव नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय भाषाओं के समाचार देने के लिये एक नई समिति बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और अगर आई है तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में कोई सहायता देने की कृपा करेगी ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य को मालूम है कि गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी को सहायता नहीं देती है क्योंकि अगर दे तो लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इसको सबसिडाइज़ कर रही है ।

भारतीय उद्भव के लंकावासी

†*१९४२-क. { श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नरसिंहन् :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री मुत्तु कृष्णन् :
श्री संबंदम : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के पांच जिलों में होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनसे बहुत से तमिल-भाषी व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो झगड़ा किस बात पर है ;

(ग) क्या भारतीय उद्भव के लंकावासियों पर इसका प्रभाव पड़ता है ;

(घ) इस आन्दोलन से तमिल-भाषा भाषी भारतीय राष्ट्रजनों पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

(ङ) इस बारे में हमारी सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ङ). भारत सरकार को लंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तों में भाषा आन्दोलन तथा सत्याग्रह के समाचार मिले हैं । यह

†मूल अंग्रेजी में

मामला लंका सरकार का आन्तरिक मामला है इसलिए विवाद के प्रकार के बारे में भारत सरकार का चर्चा करना उचित नहीं होगा। लंका में भारतीय उद्भव के अधिकांश व्यक्ति तमिल भाषा-भाषी हैं परन्तु भारत सरकार कानून से भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में ही चिन्तित हो सकती है। हमने भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में उन्हें लिखा है और लंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि विदेशियों के हितों की रक्षा के बारे में अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और उनकी रक्षा के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करती है।

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास राज्य की सभी विरोधी पार्टियों ने भारत सरकार से यह अपील की है कि वह लंका अथवा भारत कहीं के भी तमिल भाषा-भाषी व्यक्तियों की विशेष शिकायतों को दूर कराने का प्रयत्न करें क्योंकि हमारी सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा लंका सरकार से उसके सम्बन्ध होने के कारण कुछ वैसे ही प्रगतिशील कदम उठा सकती है जैसे लंका सरकार ने हमारे विदेश मंत्रालय के साथ मिल कर उठायें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम मद्रास राज्य तथा लंका की घटनाओं की भावनाओं को समझते हैं। परन्तु हम समझते हैं कि इस मामले में कोई भी सरकारी कार्यवाही ठीक नहीं होगी। संभवतया मंत्री सम्बन्ध सहायता कर सकें।

†**श्री रंगा** : क्या सिंहलीज़ सरकार के संघ नियंत्रणाधीन रह कर तमिल भाषा भाषी व्यक्तियों की एक स्थानीय स्वायत्त संस्था बना देने की मांग का सरकार ने अध्ययन किया है और क्या सरकार ने इस आन्दोलन के प्रवर्तकों से मिल कर उनकी मांग तथा आवश्यकता के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को जानने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का सुझाव मुझे अनुचित मालूम होता है क्योंकि दूसरे देश के विरोधी नेताओं से हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। सहायता मित्रता से तथा गैर-सरकारी कार्यों से ही की जा सकती है।

†**श्री रंगा** : क्या प्रभावित व्यक्तियों ने लंका में हमारे उच्चायोग से सम्बन्ध स्थापित किया था तथा उच्च आयोग ने उन लोगों की मांग जानने की कोशिश की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** :उच्च आयोग का काम ही यही होता है कि जिस देश में वह हैं उस देश की स्थिति हमें बताये। हमें विशालकाय रिपोर्टें मिलती हैं परन्तु माननीय सदस्य का यह कहना खतरनाक है कि हमारे उच्च आयोगकों उनसे सम्बन्ध बनाना चाहिए।

†**श्री रंगा** : मैं यही जानना चाहता था कि हमारे उच्च आयोग लंका की घटनाओं से अवगत हैं अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि उच्च आयोग समय समय पर विशालकाय रिपोर्टें भेजता है।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : क्या हमारे प्रधान मंत्री लंका के प्रधान मंत्री को मित्रतापूर्वक इसके बारे में लिखेंगे और उन्हें यह बातें बतायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है। इसमें सन्देह की कोई बात ही नहीं है।

†**श्री नरसिंहन्** : कुछ दिनों से यह पता नहीं लग रहा है कि वहां क्या हो रहा है केवल अफवाहें ही सुनी जा रही हैं। क्या सही जानकारी जानना संभव नहीं होगा जिससे जनता को उनके बारे में पता लगता रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि कोई बात अनुचित हो रही है। जो समाचार मुझे मिलेगा मैं उसे सभा को अवश्य बताऊंगा। हम समाचार अभिकरण नहीं बन सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : तमिल भाषा-भाषी लंका के निवासी हैं इसलिए क्या हमारे प्रधान मंत्री कोई व्यक्तिगत कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे मामला सुधर जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्योंकि यह लोग भारत से ही वहां, गये हैं इसलिए क्या समझौता कराने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरी तथा पूर्वी लंका के तमिल भाषा भाषी लोग वहां पर ६००, ७०० अथवा ८०० वर्षों से रह रहे हैं इसलिए वह पूरे लंका निवासी हैं। यह ठीक है कि उनकी संस्कृति भारतीय है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुल लंकावासी आपस में लड़ना चाहते हैं। हमारे दक्षिण वासी वहां की लड़ाई में कई कारणों से रुचि रखते हैं, यह मामला ही एकदम अलग है। हमारी रुचि इसलिए भी है क्योंकि लंका एक मित्र देश है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बिना किसी हस्तक्षेप से उनकी सहायता करें। क्या किया जा सकता है तथा क्या किया गया है इसके बारे में मैं यहां पर चर्चा नहीं कर सकता हूं।

†**श्री सम्पत** : क्या सरकार को भारतीय उद्भव के राज्य विहीन व्यक्तियों तथा लंका में भारतीय राष्ट्र जनों के बारे में कोई जानकारी है कि वह आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और यदि हां, तो स्थिति क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां पर आम हड़ताल की बातचीत हो रही थी जो नहीं किया गया। जिन्हें हड़ताल न करने के निर्णय का पता नहीं था संभव है उन्होंने हड़ताल की हो परन्तु ऐसे लोग भी बाद में काम पर आ गये। वह इसमें रुचि रखते थे परन्तु मजदूरों के नेताओं ने हस्तक्षेप किया और हड़ताल नहीं होने दी।

†**श्री नरसिंहन्** : लंका की घटनाओं तथा राज्य विहीन व्यक्तियों के मानव अधिकारों पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा राष्ट्र मंडल में इस मामले को उठायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। हम ऐसा करना ठीक नहीं समझते हैं। हम लंका सरकार से सीधे बातें करते हैं और मामले निपटाने का प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूं कि मानव अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि मजदूरों का लंका के नागरिकों के रूप में नान-रजिस्ट्रेशन को मानव अधिकार नहीं कहा जा सकता है।

†**श्री तंगामणि** : हाल में ही समाचारपत्रों में समाचार आया है कि धनुषकोटी तथा तलाई मन्नार के बीच (फैरी सर्विस) बन्द कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार ठीक है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता लगा है कि इसको दो दिनों के लिए बंद किया गया था। यह अवैध प्रव्रजकों के बारे में है।

कांगो में भारतीय राजदूतावास

†*१९४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १६ अप्रैल, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बैल्जियम के "रेजीडेंट' मंत्री,

---

†मूल अंग्रेजी में

मिस्टर एलबर्ट डेलवाक्स द्वारा, जो कभी कार्यवाहक प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के राजदूत की अभी हाल में की गयी कड़ी आलोचना के फलस्वरूप कांगो स्थित भारतीय राजदूतावास को हटाया जा सकता है;

(ख) क्या तथ्यों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समाचार में कितनी सचाई है; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (घ). सरकार ने समाचार देखा है। लियोपोल्डविले के भारतीय मिशन ने अधिकारियों से मामले पर बातचीत की थी। उन को बताया गया कि मिस्टर एलबर्ट डेलवाक्स द्वारा व्यक्त किये गये विचार सरकार के विचार नहीं थे। इसलिये यह अन्दाजा लगाना ठीक नहीं है कि कांगो में भारतीय मिशन को कांगो के अधिकारी बन्द कर रहे हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : कांगो की स्थिति गंभीर होने के कारण वहां पर क्या सुरक्षा कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं जानता कि हमें वहां पर किस की रक्षा करनी है। कांगो के लोग आपस में बहुत लड़ते हैं इसलिये उनकी रक्षा की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि भारतीय सेना की रक्षा के लिये हमें अपनी और सेना वहां पर रखनी चाहिये।

आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा बड़ी संख्या में अवैध प्रवेश

†*१९४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक १९ अप्रैल, १९६१ के "आसाम ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी राष्ट्र जन बहुत बड़ी संख्या में, वैध पारपत्रों के बिना और अनधिकृत मार्गों द्वारा आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी हां।

(ख) समाचार बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भारत में अनधिकृत प्रवेश के बारे में खोज तथा अभियोग के लिये आवश्यक कार्यवाही अभी भी की जाती है। सीमा पर पहरा और बढ़ा दिया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार इस से इन्कार कर सकती है कि आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और यदि नहीं, तो यह लोग पाकिस्तान से आसाम में किस ओर से आ रहे हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : १ जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक के १५ महीनों में बिना किसी वैध पत्रों के ग्वालपाड़ा जिले में आने वाले ४९९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। सभी पर अभियोग लगाये गये। ४२९ को सजा दी गई। २ छोड़ दिये गये तथा ८८ मामले लम्बित हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह अनधिकार प्रवेश हाल में ही शुरू हुआ है अथवा बहुत पहले से हो रहा है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : मैंने पिछले १५ महीनों के आंकड़े बता दिये हैं। शेष के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि ग्वालपाड़ा तथा कामरूप के कई पी जी आर त वा जीआर पर पूर्वी पाकिस्तान से आये अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह आरोप समाचार पत्र में ही लगाये गये हैं । अवैध रूप से आने वालों की संख्या में पिछले १५ महीनों की बता चुका हूं । मैं नहीं जानता कि इन में से कोई कामरूप अथवा अन्य किसी जिले में घुस आये हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे साथी द्वारा बताये गये आंकड़े असाधारण नहीं हैं । १५ महीनों में ४९९ अथवा ५०० व्यक्ति ही आये हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार का ध्यान आसाम ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार पर आसाम सरकार की प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है कि मकानों पर चिह्न लगाने और जनगणना करने के पांच महीनों में ग्वालपाड़ा जिले में १२००० विदेशी व्यक्ति आये ? यदि हां, तो क्या बड़े ही खेद की बात नहीं है कि हमारी सुरक्षा कार्यवाही पर्याप्त नहीं है ?.

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार का ध्यान आसाम सरकार के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि १२००० व्यक्ति आये हैं ।

†**श्री जो० ना० हजारिका**: आसाम सरकार ने सही आंकड़े बताने वाली एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है । २५ सितम्बर, तथा १५ नवम्बर, १९६० के बीच मकानों पर नम्बर लगाने का काम किया गया था । उस समय के ग्वालपाड़ा जिले के जनसंख्या आंकड़ों तथा पांच महीनों बाद फरवरी—मार्च १९६१ में की गई जनगणना के आंकड़ों में केवल १२,५५३ व्यक्तियों का अन्तर है और समाचारपत्र के अनुसार ४२,००० व्यक्तियों का नहीं ।

यह अन्तर कई कारणों से है । एक यह है कि सितम्बर—नवम्बर १९६० में मकानों पर नम्बर लगाते समय एक पूरे गांव तथा अन्य गांवों में कुछ मकानों पर नम्बर नहीं लगाये थे । फरवरी, १९६१ के बाद में इस गलती को ठीक किया गया । दूसरा कारण यह था कि शीत ऋतु में बिहार तथा भारत के अन्य भागों से लोग यहां आते हैं तथा तीसरे प्रति हजार ५ व्यक्ति बढ़े हैं । जिले की प्राक्कलित जनसंख्या १५ लाख थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान आसाम ट्रिब्यून के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मकानों पर नम्बर लगाने तथा जनगणना करने के बीच के एक महीने में केवल ग्वालपाड़ा मार्ग से ४२,००० पाकिस्तानी आसाम में आये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: संभवतया माननीय सदस्य मेरे साथी द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान से नहीं सुन रहे थे । ४२,००० संख्या गलत है । ठीक संख्या १२,५५३ है । यह अन्तर ही तीन कारणों से है एक यह है कि गलती से एक पूरे गांव में नम्बर नहीं लगाये थे । दूसरे आसाम में बिहार से इन महीनों में मजदूर आते हैं । १२००० व्यक्तियों का अन्तर होने के यही कारण हैं ।

दर्शकों के प्रवेश के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, मेरा एक निवेदन है कि महिला वाच एण्ड वार्ड संसद-सदस्यों के मेहमानों को अन्दर आने से रोक रही है । मेरे तथा श्रीमती पार्वती कृष्णन् के चार, पांच मेहमानों को अन्दर आने से रोक दिया गया जब कि पुरुषों को नहीं रोका जा रहा है । उन्होंने हमें भी अन्दर आने से रोकने की कोशिश की । उन का कहना यह है कि पुलिस अधिकारी के आदेश से वह ऐसा कर रही हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मैं संयुक्त सचिव को जांच करने के लिये भेज रहा हूं। भविष्य में कोशिश करूंगा कि ऐसा न हो।

---

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रश्न १९४५ तथा १९४७ एक जैसे ही हैं इसलिये कृपा करके इनको एक साथ लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

पश्चिम बंगाल में पटसन कारखानों का बन्द होना

†*१९४५. { **श्री अरविन्द घोषाल** : **श्री श्रीनारायण दास** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन कारखाना संथा ने पश्चिम बंगाल के सभी पटसन कारखानों को १ मई, १९६१ से बन्द कर देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों, और इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय पटसन कारखाना संथा

†*१९४७. { **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री श्रीनारायण दास** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन कारखाना संथा ने अभी हाल में भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि उन्हें लगभग १५ दिन के लिये कारखानों को सामूहिक रूप से बन्द करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) कच्चे माल की बहुत कमी के कारण थोड़ी अवधि के लिये जूट कारखानों को बन्द करने की आवश्यकता के बारे में भारतीय पटसन कारखाना संथा ने बातचीत की है। यह निर्णय किया गया था कि मई १९६१ के उत्तरार्द्ध में स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा क्योंकि उस समय कच्चे जूट की भांडार स्थिति का तथा आगामी मौसम में फसल की स्थिति निश्चित रूप से मालूम हो जायेगी।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : एक लाख गांठों की कच्चे जूट की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों की स्थिति बताने वाला एक विवरण मैं ४ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रख चुका हूं। अधिक कच्चे माल को उपलब्ध किया जा रहा है। यथासंभव आयात किया जा रहा है। काम के घंटे कम किये जा रहे हैं जिस से बेरोजगारी न हो जाये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : किन परिस्थितियों के कारण इन सभी जूट कारखानों को बन्द करना जरूरी हो गया था तथा क्या वास्तव में कारखानों को बन्द किया गया था ?

श्री मनुभाई शाह : अभी नहीं। अभी मामला विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार का परामर्श लिये बिना मिलों को बन्द नहीं किया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : कच्चे जूट की आवश्यकताओं तथा खपत की मात्रा का निर्धारण किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग १२½ प्रतिशत की कमी है।

†**श्री अ० चं० गुह**: इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व क्या सरकार निर्मित वस्तु की भांडार स्थिति पर भी विचार करेगी जिस से निर्यात की संभावनायें कम न हो जायें।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। उद्योग, मजदूर, पश्चिम बंगाल सरकार तथा हमारा परामर्श लेकर सभी बातों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय सुझाया है कि जूट की कमी न हो ? जूट की कमी किसानों को उचित दाम न देने से होती है। इसलिये सरकार क्या कोई इंतजाम सोचती है जिससे किसान को जो जूट पैदा करते हैं उन को उस के उचित दाम मिलें।

श्री मनुभाई शाह : यह बातें बहुत गौर से देखी गयी हैं। यह जूट की फसल महज सीजनल फेलयोर की वजह से पिछले दो साल से फेल हो रही है। चीफ मिनिस्टर वहां के जूट प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिये सब इंतिहाई कोशिशें कर रहे हैं और उधर से हम जो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर सकते हैं उसको भी इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है कि आज जूट के दाम नीचे जा रहे हैं। जूट के जितने दाम आज हैं उतने दाम देश के इतिहास में कभी नहीं थे। पिछले १, २ साल में जूट के दाम बढ़े हैं। जहां एक साल पहले आसाम बौटम्स् के दाम ३१ रुपये ८ आने थे वहां अब उसके दाम करीब करीब ५६ रुपये हैं।

†**श्री रंगा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श तथा सहयोग से उड़ीसा तथा आन्ध्र में जूट का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि जूट के मूल्य अच्छे रखने का आश्वासन देने पर उत्पादन बढ़ गया था।

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं। जूट के उत्पादन के लिये श्रेष्ठ सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि पहली प्रक्रिया घटा दी गई है और जूट के लिये स्थिर मूल्यों के भुगतान के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं ने बताया जूट के मूल्य आजकल बहुत बढ़े हुए हैं और उचित नहीं हैं। मेरे मित्र श्री गुह ने ठीक ही कहा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिये जिससे देश की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की वस्तु जूट तथा जूट की वस्तुओं में कमी न आ पाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** : जूट के कारखानों के बन्द हो जाने पर क्या मजदूरों को कोई प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा । श्रीमान्, मैं बताना चाहता हूं कि इन मामलों के बारे में स्थायी समझौता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : कारखानों ने कुछ प्रतिशत करघे बन्द कर दिये हैं तथा सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि ८ प्रतिशत करघे और बन्द कर दिये जायें तो क्या कारखाना संथा के लिये यह पर्याप्त कार्यवाही नहीं थी और क्या यह कारखाने इन को बन्द करने के लिये क्षेत्रीय स्थिति पैदा नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने बताया कि कारखाने बन्द नहीं होंगे । निर्णय करने से पूर्व मामलों पर विचार किया जायेगा । कुछ बन्द करघे चालू कर दिये गये हैं । सभा को याद होगा कि एक बार १९ प्रतिशत बन्द कर दिये गये थे तथा इन को अब १२ प्रतिशत कर दिया गया है । काम के घंटे कम कर दिये जायेंगे । स्थिति पर पुनः विचार करते समय इन बातों पर विचार किया जायेगा ।

कांगो में भारतीय सैनिक

†*१९४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बन्दूक दिखा कर एनजीली (Ndjili) के हवाई अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) जी नहीं । एनजीली (लियोपोल्डविले) के हवाई अड्डे पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

क्यूबा में भारतीय राष्ट्रजन

†*१९४६-क. { +**श्री प्र० गं० देब** : / **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजन सुरक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : वाशिंगटन में हमारे राजदूत जो संभव है वह कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु उन्होंने बताया है कि संचार में बाधा होने के कारण जांच करना नितांत कठिन है । उन के रिकार्डों में भारतीय उद्भव के १९ व्यक्ति हैं परन्तु उनकी राष्ट्रीयता तथा क्यूबा में वह कहां पर हैं इसका उन्हें पता नहीं है । क्यूबा में भारतीयों को कोई खतरा नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इन १९ व्यक्तियों के अतिरिक्त क्यूबा में अन्य भारतीयों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २८ अप्रैल के जालन्धर से प्रकाशित होने वाले 'प्रताप' (उर्दू) और 'वीर प्रताप'' (हिन्दी) में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अकाली दल के एक सदस्य और जम्मू काश्मीर के अकाली दल के अध्यक्ष श्री सन्त सिंह तेग ने स्यालकोट में एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिस में उन्होंने काश्मीर की समस्या का समाधान केवल जनमत को ही बताया है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि श्री सन्त सिंह तेग ने आगे कहा है कि काश्मीरी जनता अपनी गुलामी के दिनों से ऊब चुकी है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि श्री सन्त सिंह तेग सियालकोट में बाबेदी बेर नामक गुरुद्वारे में तीर्थयात्रा के लिये गये थे;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यदि पंजाबी सूबे का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो पंजाब के सिख अधिक देर तक इस गुलामी को सहन नहीं करेंगे; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि २५ अप्रैल के सिवलि और मिलिट्री गजट लाहौर, जंग, नयी रोशनी आदि कई समाचारपत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). सरकार ने पाकिस्तानी अखबारों की उन रिपोर्टों को देखा है जो सरदार सन्त सिंह तेग द्वारा दिये गये किन्हीं बयानों के बारे में हैं। ये रिपोर्टें भारत के कुछ अखबारों ने भी छापी हैं। इन रिपोर्टों के कुछ ब्यौरों में भिन्नता है लेकिन मोटे तौर पर उन का रूप वही है जो प्रश्न में बताया गया है ।

सरदार सन्त सिंह तेग उस दल के सदस्य थे जो पाकिस्तान-स्थित गुरुद्वारों की यात्रा के लिये गया था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या अभी पिछले दिनों प्रधान मत्री महोदय ने पंजाब के कुछ जिम्मेदार मिनिस्टरों को अकाली आन्दोलन के सम्बध में यह कहते सुना था कि पाकिस्तान से भी इस को हवा मिल रही है और क्या इस प्रकार के वक्तव्यों से उस को शृंखला मिलती जुलती है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब मुझे इस का जवाब देना तो जरा मुश्किल है लेकिन जिस वक्तव्य का हवाला माननीय सदस्य के सवाल में है,जाहिर है कि सरदार संत सिंह तेग का वह बयान हमारी राय में गलत बयानी है और बेजा है। इस से पाकिस्तान वालों को कुछ सहायता मिल सकती है ऐसी बात तो हो सकती है लेकिन अब यह कहना कि इस से पहली बात हो सकती है या नहीं यह तो हर एक आदमी खुद समझ सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इस प्रकार के तीर्थ यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक पाकिस्तान या दूसरे देशों में जाते हैं और भारत सरकार की नीति के विपरीत दूसरे देशों में जाकर इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं तो उन के भारत लौटने पर क्या उन से इस के लिये किसी प्रकार का कोई जवाब तलब किया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आम तौर से तो शायद नहीं किये गये हैं अब वैसे तो हर एक को अलग अलग देखना चाहिये कि वह मुनासिब है कि नहीं लेकिन आमतौर से जहां तक मैं जानता हूं कोई जवाब उन से तलब नहीं किया गया है क्योंकि एक तो यह दिक्कत होती है कि जो स्पीच देते हैं उस की रिपोर्ट से अक्सर वह इंकार कर जाते हैं और वह कहते हैं कि वह रिपोर्ट गलत है और फिर उसका सबूत पेश करना मुश्किल होता है ।

श्री अ० मु० तारिक : जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, पाकिस्तान होकर आने वाले लोगों का ताल्लुक है, मैं वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि सन्त सिंह तेग क्या ऐसे लोगों में नहीं हैं जो पिछले बारह बरस से काश्मीर सरकार की मुखालिफत करते आए हैं और कई बार काश्मीर सरकार को उन्होंने नजरअन्दाज किया है ? मैं जानना चाहता हूं वजीर खारिजा से कि उनकी वजारत ने ऐसे आदमी को पाकिस्तान जाने की इजाजत ही क्यों दी और क्या जो लोग पाकिस्तान जाते हैं, उनके करेक्टर की पहले छानबीन की जाती है और की जाती है तो क्या इनके करेक्टर की छानबीन की गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बात जैसे आनरेबल मैम्बर जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं । मैं दरियाफ्त करूंगा ।

श्री वाजपेयी : अभी कुछ अकाली नेताओं से प्रधान मन्त्री जी की बातचीत चल रही है जिसका शायद आगे भी एक दौर चलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस अकाली नेता द्वारा पाकिस्तान में किए गए भारत विरोधी प्रचार को क्या उस वार्ता के दौर में उठाया जाएगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मैं नहीं कह सकता हूं कि किस सिलसिले में उठे लेकिन हो सकता है कि इसका कुछ जिक्र आ जाए ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** हाल में ही देश की प्रादेशिक एकता को नष्ट करने के लिये दण्ड की व्यवस्था करने के लिये दण्ड विधि का संशोधन करने का विधेयक पारित किया गया है । क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि इस सज्जन के वक्तव्यों से कानून का उल्लंघन होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं । हमने इसकी जांच नहीं की है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त:** भारत लौटने के बाद क्या श्री सन्त सिंह तेग ने वक्तव्यों को ग़लत बताया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे मालूम नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा मैंने अभी आप से सवाल पूछा था कि पंजाब के कुछ जिम्मेदार मन्त्रियों ने भी यह बताया है कि अकाली आन्दोलन को पाकिस्तान से हवा मिल रही है । अभी यहां रकाबगंज के गुरुद्वारे में अकाली आन्दोलन के एक मुख्य प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि सन्त फतह सिंह का अगर देहावसान हो जाता है तो पाकिस्तानी फौजें भारतीय सीमा पर तैयार खड़ी थीं । क्या यह वक्तव्य आपकी निगाह में आया है ? इस तरह के वक्तव्यों से क्या ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से इसका कुछ सम्बन्ध है और कुछ इसको प्रश्रय मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके बारे में जागरूकता बरती जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैंने नहीं सुना है । यह इस कद्र गैर जिम्मेदारी की बात है कि जो लोग इसको सुनेंगे, उन पर इसका उलटा ही असर होगा और कहने वालों के निकम्मेपन का पता चलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभी अखबारों में यह चीज़ प्रकाशित हुई है ।

लाइबेरिया के क्षतिग्रस्त जहाज का बहिष्कार

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइबेरिया के क्षतिग्रस्त डिकोरोनिया जहाज, जिसको आई० एन० एस० कृष्णा खींच कर लाया था, के बम्बई पहुंचने पर, बम्बई गोदी मजदूरों ने उसका बहिष्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस नष्ट जहाज का बहिष्कार करने के क्या कारण थे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) 'डिकोरोनिया' जहाज पहले गोआ से व्यापार करता था । गोदी मजदूरों ने गोआ के साथ व्यापार करने वाले सभी जहाजों का बहिष्कार करने के निर्णय के अनुसार, इस पर काम करने से तब तक के लिये इंकार कर दिया था जब तक उसके मालिक लिखित आश्वासन न दे दें कि भविष्य में एस० एस० डिकोरोनिया अथवा उनके अन्य जहाज गोआ से व्यापार नहीं करेंगे । यह पता लगा है कि नौवहन समवाय के एजेन्टों ने ऐसा आश्वासन दे दिया और गोदी मजदूरों ने ३ मई, १९६१ को जहाज का बहिष्कार करना बन्द कर दिया ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि समुद्र में जब यह शिप डैमेज हुआ था और बम्बई पोर्ट में आया तो क्या उसने कुछ सहायता मांगी थी ?

श्री राज बहादुर : इसका एक प्रोपैलर टूट गया था या उसमें कुछ खराबी आ गई थी । जो मैसेजिज़ आते हैं उनके बारे में यह कायदा है कि जो मदद की जा सके की जाए । चुनांचे हमारे समुद्री बेड़े के आई० एन० एस० कृष्णा ने मदद की और टो करके बम्बई लाया ।

मिलिटरी सेक्रेटरी, आर्मी हेडक्वार्टर्स

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ श्री बासप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलीटरी सेक्रेटरी, आर्मी हैडक्वार्टर्स के खिलाफ कोई न्यायालय जांच हो रही है;

(ख) क्या वह अभी भी सेवा में हैं और कागजों को देखते रहते हैं; और

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या न्यायालय जांच के लिये तथा जांच होने तक उनको सेवा में रखने के लिये सरकार की स्वीकृति ले ली गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). जी नहीं । परन्तु मिलीटरी सेक्रेटरी की शाखा के बारे में जांच हो रही है । जांच हो रही है इसलिये इस समय ब्यौरे बताना सम्भव नहीं है ।

†**श्री बासप्पा** : माननीय मन्त्री द्वारा उल्लिखित जांच के क्या कारण हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मिलीटरी सेक्रेटरी की ब्रांच के कुछ मामलों के सम्बन्ध में आर्मी हैडक्वार्टर्स में सामान्य जांच हो रही है । जांच समाप्त हो जाने पर उसके निर्णय सरकार को मिलेंगे

†**श्री बासप्पा** : मिलीटरी सैक्रेटरी कितने दिनों से सेवा में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु चार अथवा पांच वर्षों से वह सेवा में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसके लिये उन्होंने मन्त्रालय की स्वीकृति ली थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं । प्रारम्भिक स्वीकृति नहीं ली जाती है । रिपोर्ट मिलने पर हम देखेंगे कि मामला किस प्रकार का है । प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है जैसे मिलीटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध जांच की जा रही हो । परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : हम तथ्य जानना चाहते हैं । जांच किन कारणों से हुई । क्या आरोप लगाये गये ? क्या हमें बताया जायेगा कि जांच किन कारणों से कराई गई ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : आर्मी हैडक्वार्टर्स की विभागीय जांच है तथा आरोप सरकार को नहीं बताये गये हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : आरोप लगाये बिना जांच किस प्रकार हो सकती है ?

†**श्री नाथ माई** : कोई बात अवश्य हुई है जिससे जांच की आवश्यकता हुई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मिलीटरी सेक्रेटरी कब से सेवा में हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : चार अथवा पांच वर्ष ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल चार अथवा पांच वर्ष ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कुल सेवा उनकी २५ से २७ वर्ष की है । इस पद पर वह चार अथवा पांच वर्ष से हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है कि कोई भी जांच आवरण ही नहीं हो सकती है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री सभा को इन कारणों को नहीं बताना चाहते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने किसी जांच के आदेश नहीं दिये है । प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन कितनी ही जांच हो रही हैं । मैंने आर्मी हैडक्वार्टर्स से कहा है कि इस मामले की जानकारी मुझे देते रहें । जांच आरम्भ हो जाने पर उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की जांच के अधिकार हैं । माननीय मन्त्री सभा को बता चुके हैं कि उनसे नीचे के किसी अधिकारी ने जांच के आदेश दिये हैं । सामान्यत: यह मामले ऊपर नहीं भेजे जात हैं । केवल दण्ड दिये जाने पर अपील होने पर उच्चाधिकारी मामले को सुनते हैं । परन्तु फिर भी माननीय मन्त्री ने उन अधिकारियों से कहा है कि उनको मामला बताते रहें ।

†**श्री वाजपेयी** : यह मामला इतना सीधा सादा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्यों का यह सुझाव हो कि मिलीटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई बात होने पर, माननीय मन्त्री स्वयं उस मामले को देखें तो मैं प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे देता ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं बताना चाहता हूं कि इस समय मिलीटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई जांच नहीं हो रही है । उनकी ब्रांच के बारे में जांच हो रही है । मैं नहीं बता सकता कि जांच के अन्त में क्या होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि यह अधिकारी गत चार अथवा पांच वर्षों से इस पद पर हैं । यह असामान्य बात है । एक मिलीटरी सेक्रेटरी को इतने दिन इस पर क्यों रखा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इसके बारे में नहीं है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि मिलीटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई जांच नहीं की जा रही है । जब माननीय मंत्री सभा को इसके बारे में कोई जानकारी देना नहीं चाहते थे तो उन्होंने अल्प सूचना प्रश्न को क्यों स्वीकार किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्नकर्त्ता को बताना चाहते थे कि न्यायालय जांच नहीं हो रही है ।

†**श्री वाजपेयी** : उनका यह कहना है कि कोई जांच ही नहीं हो रही है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने बताया कि मिलीटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई जांच नहीं की जा रही है । ठीक प्रकार से स्थापित एडजूटेंट जनरल के सभापतित्व में न्यायाधिकरण साधारण नियमों के अधीन जांच कर रहा है । इस मामले के बारे में मैंने अधिकारियों से कहा है कि मुझे सब कुछ बताते रहें । पूर्व-स्वीकृति लेने के लिए कोई नियम नहीं हैं । जांच ठीक थी या नहीं यह जांच होने के बाद ही पता लगेगा ।

†**श्री रंगा** : हमें बहुत कम जानकारी बताई जाती है । इससे हमें इसका पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती है कि जांच की गई है अथवा नहीं । अचानक ही यह अल्प सूचना प्रश्न पूछ लिया गया । आप बतायें कि हमें इस प्रकार की जानकारी किस प्रकार मिल सकेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मिलीटरी सेक्रेटरी तो केवल एक ही होता है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यक्ति एक ऊंचे पद पर आसीन है । माननीय मंत्री इसको अस्वीकार कर सकते थे । परन्तु इसको स्वीकार करने के बाद उन्हें सभा में इस प्रकार का प्रभाव नहीं दे देना चाहिए कि इस अधिकारी के विरुद्ध कोई बात की जा रही है । उन्हें सभा का विश्वास करना चाहिए ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने इस प्रश्न को इसीलिए स्वीकार किया जिससे यह न समझा जाये कि मैं कोई बात छिपाना चाहता हूं । जांच आर्मी हैडक्वार्टर्स कर रहा है । मैंने चीफ आफ आर्मी स्टाफ से कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जांच कराने से पहले वह मुझे बताया करें ।

रिक्शा चलाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० श्री तिरुमल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थाई श्रम समिति की हाल की बैठक में राज्यों में और अधिक अवधि तक साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार के क्या परिणाम हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारें जैसा चाहें वैसा करें।

†श्री तिरुमल राव : क्या कुछ राज्यों ने आदमियों द्वारा खींची जाने वाली रिक्शाओं से भिन्न इन साइकिल रिक्शाओं को रखने में आपत्ति की है ?

†श्री आबिद अली : सुझाव यह है कि प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के द्वारा रिक्शाओं का चलाया जाना अथवा खेंचा जाना धीरे धीरे बन्द किया जाये। कुछ राज्य सरकारों ने कई प्रकार की कार्यवाहियां की हैं। कुछ राज्य सरकारों का यह मत है कि इस समय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

†श्री तिरुमल राव : प्रेजीडैंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी मुफस्सिल नगरों में घोड़ा-गाड़ियों तथा बैलगाड़ियों को सड़क पर चलाना बन्द कर दिया गया है, इसलिए क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई सवारी हो तथा साइकिल रिक्शा चलाने वाले अपना रोजगार न खोयें ?

†श्री आबिद अली : इसीलिए तो मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अपने की आवश्यकतानुसार वह कार्यवाही कर सकते हैं।

†श्री तंगामणि : राज्य सरकारों को यह आदेश खींची जाने वाली रिक्शाओं के बारे में दिये गये हैं अथवा साइकिल रिक्शाओं के बारे में दिये गये हैं ?

†श्री आबिद अली : इसमें साइकिल रिक्शा भी शामिल हैं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यह प्रश्न राज्य सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई हमारी नीति इस सम्बन्ध में है या नहीं है।

श्री आबिद अली : नीति तो पिछली कांफरेंस में निश्चित हो चुकी थी। उस के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आईं उन का जिक्र पिछली लेबर मिनिस्टर्स कांफरेंस में भी हुआ और स्टैंडिंग लेबर कमेटी में भी हुआ, जहां वर्कर्स के नुमाइन्दे भी हाजिर थे। उस के बाद यह फैसला किया गया, जो सब को अच्छा लगा।

श्री वाजपेयी : जिन प्रदेशों का शासन केन्द्र चलाता है उन के सम्बन्ध में किस नीति का अवलम्बन किया जायेगा ?

श्री आबिद अली : वहां यही नीति रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता यह साइकिल रिक्शा खत्म हों, मगर इस के साथ साथ जो लोग इस में काम करते हैं वे बेकार न हो जायें इस का भी ध्यान रक्खा जायेगा। जब वे लोग किसी दूसरे काम में जा कर शामिल हो जायेंगे तो यह लाइसेंस आगे नहीं दिये जायेंगे।

सी० ओ० डी० कानपुर

†अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २१ श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अप्रैल, १९६१ की रात्रि को तीन व्यक्तियों ने कुछ भांडार ले जाने का प्रयत्न किया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ड्यूटी के गार्ड ने उन पर गोली चलाई थी;

(ग) गोली चलाने से क्या कोई व्यक्ति मर गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पुलिस मामले की खोज कर रही है । डिपो अधिकारी भी जांच कर रहे हैं तथा स्टाफ न्यायालय जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

(ङ) जांच अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए जांच के परिणाम अभी मालूम नहीं हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : गोली चलाने से मारा गया व्यक्ति क्या डिपो का कर्मचारी था अथवा बाहर का व्यक्ति था और यदि वह बाहर का व्यक्ति था तो क्या उसके साथ बहुत से व्यक्ति थे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : वह एक असैनिक व्यक्ति था । बताया जाता है कि जब वह डिपो के अन्दर से कुछ सामग्री निकाल रहा था उस समय प्रतिरक्षा सुरक्षा दल सन्तरी की गोली से मारा गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस के बारे में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा क्या उन्होंने पुलिस को बताया है कि इस डिपो में नियमित रूप से चोरी हो रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कांगो

†*१९२७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिनिधि, श्री राजेश्वर दयाल ने बैल्जियम पर यह आरोप लगाया है कि कर्नल मोबूतू के सैनिकों को बुकावू में प्रवेश करने में सहायता करके उसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि का त्रिविध उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). यह पुराना मामला है जो गत दिसम्बर में रुआण्डा-उरूण्डी की कतिपय घटनाओं से सम्बन्धित है । इन घटनाओं पर अपने कांगो स्थित विशेष प्रतिनिधि के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रसंघीय महासचिव ने १ जनवरी, १९६१ को बेल्जियम के न्यूयार्क में स्थायी प्रतिनिधि को एक नोट पेश किया था । इस नोट में बेल्जियम सरकार का ध्यान रुआण्डा-उरूण्डी सम्बन्धी न्यासधारिता करार के उल्लंघनों और कांगो, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ ने विशेष जिम्मेदारियां ग्रहण की थीं के मामलों में खुले हस्तक्षेप की ओर आकर्षित किया गया था । जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से ज्ञात हुआ है, इन बातों पर सुरक्षा परिषद् द्वारा अपनी १२ जनवरी से १४ जनवरी तक हुई बैठकों

---

†मूल अंग्रेजी में

में विचार किया गया था परन्तु लंका, लिबेरिया और संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा पेश किये गये संकल्प को आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त हो सका। परन्तु इस प्रकार के कार्यों की सुरक्षा परिषद् द्वारा बाद में २१ फरवरी, १९६१ को अंगीकृत संकल्प में विशेष रूप से निन्दा की गई है।

कलकत्ता में गोदाम

†*१९२८. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च प्रविधिक समिति ने कलकत्ता में अनाज रखने के 'शैल' किस्म के गोदाम के बैठ जाने के कारणों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने गोदाम के बैठ जाने के किन कारणों का पता लगाया है ;

(ग) समिति ने क्या सिफारिश की है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो समिति अपना काम अनुमानतः कब तक पूरा कर लेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८५]**

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

उर्वरकों की कीमतें

†*१९३०. **श्री जीन चन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उर्वरकों की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों का बागान उद्योगों, विशेषतः काफी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) इस बात के कारण काफी के उत्पादन की उच्च लागत को और देश की तथा विदेशी मंडियों में काफी की कीमतों में हो रही कमी को देखते हुए, सरकार उर्वरकों की कीमतों में कमी लाने और काफी उत्पादकों को उर्वरकों का पर्याप्त संभरण करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) केन्द्रीय उर्वरक संग्रह (पूल) द्वारा वितरित नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मूल्य में १९५७ से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के चालू मूल्यों का संग्रह द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नए मूल्य निश्चित करने के पूर्व सम्बन्धित तत्वों पर विचार किया जायेगा। हम १९६१-६२ में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की समस्त वास्तविक आवश्यकता, उपलब्धता के अधीनस्थ, पूरी करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना का विनियोजन लक्ष्य

†*१९३१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में किये जाने वाले कुल विनियोजन के लक्ष्य को बढ़ा कर १०,४०० करोड़ रु० कर दिया गया है जब कि योजना के प्रारूप में यह १०,२०० करोड़ रु० था ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बढ़ी हुई राशि के अन्तर्गत कौन सी मदें आयेंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तीसरी योजना में कुल विनियोजन के लक्ष्य का, तीसरी योजना के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों के नए प्राक्कलनों के अनुसार , अस्थायी पुनरीक्षण किया गया था ।

(ग) ब्योरे की अग्रेतर छानबीन की जा रही है । तथा वह तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में दिया जायेगा ।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध

†*१९३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के अनुसरण में प्रतिबन्ध लगाने और सामूहिक एवं एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) इस विषय में हमने अन्य किन देशों के साथ परामर्श किया है और इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) राष्ट्र संघ के संकल्प के अनुसरण में विभिन्न सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विचार वे स्वयं करेंगी । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह इस क्षेत्र में सर्वप्रथम रही है तथा उसने १९४४ में ही दक्षिण अफ्रीका के अभारतीय उत्पत्ति के राष्ट्रजनों के भारत में प्रवेश और उनकी गति विधि पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । इसके बाद में १९४६ में दक्षिण अफ्रीका से सामस्त आयातों और वहां के लिए निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया । ये प्रतिबन्ध अभी तक लागू हैं ।

(ख) भारत सरकार इस मामले में मित्र सरकारों के साथ अपने राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में एक अन्यत्र नियुक्त स्थायी मिशन के माध्यम से निरन्तर सम्पर्क रखती है । अभी किसी नए कदम के लिए परामर्श किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए कृषि-भूमि

†*१९४१. **पंडित कृ० चं० शर्मा :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर जो कृषि-भूमि अलाट की गयी थी, क्या वह भूमि उन्हें स्थायी रूप से अलाट की जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात उन 'सीज़नल' अलाटियों पर भी लागू होगी जिन का कृषि भूमि पर पट्टे के आधार पर निरन्तर कब्जा रहा है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित अलाटियों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पंजाब में निष्क्रांत कृषि-भूमि अर्ध-स्थायी आधार पर आवंटित की गई थी । जो लोग उस आधार पर आवंटन के हकदार नहीं थे उनको वार्षिक पट्टों पर भूमि दी गई थी । पंजाब के बाहर आवंटन स्थायी आधार पर किए गए थे । पंजाब में किए गए अर्ध-स्थायी आवंटनों और बाहर के अस्थायी आवंटनों को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ के उपबन्धों के अनुसार स्थायी बनाया जा रहा है । पंजाब के उन पट्टाधारियों को, जो खरीफ १९५७ से निरन्तर काबिज हैं, अपने कब्जे की कृषि भूमि ४५०रुपये प्रति प्रतिमान एकड़ की दर से खरीद लेने की अनुमति दे दी गई है । पंजाब के बाहर गैर-दावेदार अस्थायी आवण्टियों को, जो उनको आवण्टित की गई थी कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज हैं, अपने कब्जे की भूमि का, उसके मूल्य का कई वर्षों की किश्तों में भुगतान करके, मालिक बनने की सुविधा दी गई है ।

(ग) प्रार्थनापत्र देना आवण्टियों का काम है ।

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†४६०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक बस्तियों की स्थापना में अभी तक किस प्रकार की प्रगति हुई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि में कुल कितनी राशि (बस्ती-वार) दी गई है ?

†**उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८६**]

महाराष्ट्र में नए उद्योग

†४६०८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में वर्ष १९६० और १९६१ में कितने नए उद्योगों की स्थापना की गई है ;

(ख) उनमें से कितनों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) प्रत्येक में कितना विनियोजन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). १९६० और १९६१ के दौरान ट्राम्बे में एक उर्वरक कारखाने और पनेल के निकट एक मूल रसायन तथा इन्टरमीजिएट संयंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। इन संयंत्रों में क्रमश: २४ ३५ करोड़ रुपये और ११ से १२ करोड़ रुपये के विनियोजन का अनुमान है। ये योजनायें अभी क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है।

पंजाब और दूसरी पंचवर्षीय योजना

†४६०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लिए समस्त पंच वर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटित मूल प्राक्कलन की कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई है ;

(ख) क्या पंजाब में योजना व्यय में कोई कमी रही है ; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं पर, जो पूर्ण नहीं हो सकी हैं, तीसरी योजना में कितना व्यय किया जाना होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). १९६०–६१ के वास्तविक व्यय के आंकड़े वर्ष के अन्त में किसी समय उपलब्ध होंगे। अत: दूसरी योजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय और कमी का आकलन अभी नहीं किया जा सकता है।

(ग) राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अपूर्ण योजनाओं पर (प्रविधिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं को अलग करके) लागत का अनुमान २९.६८ करोड़ रुपये है।

सैलम जिले में यूरेनियम निक्षेप

†४६१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम जिले में स्थित यूरेनियम निक्षेपों के सम्बन्ध में अनुसन्धानों के आद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) सैलम जिले की सूर्यमलाई पहाड़ियों में कुल्लमपट्टी नामक स्थान में रेडियम धर्मी ग्रनाइट के सम्बन्ध में किए गए विस्तृत अनुसन्धानों से इस क्षेत्र की चट्टानों में बहुत थोड़े से यूरेनियम के पाए जाने का संकेत मिला है। इसलिए इस क्षेत्र में अग्रेतर कार्य नहीं किया गया।

पक्कनाड़ क्षेत्र में बोरहोल ड्रिलिंग द्वारा किये गये भूमिगत अनुसन्धान से विभिन्न गहराइयों में कुछ रेडियम-धर्मिता का पता लगा है। ७ बोर होल खोदने के बाद यह कार्य बन्द कर दिया गया क्योंकि यह क्षेत्र भी यूरेनियम निकलने के लिय बहुत उपयुक्त नहीं मालूम पड़ा।

नेफा और आसाम के लोगों के बीच सीमा-विवाद

†४६११. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि नेफा और आसाम के लोगों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद चल रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले के सम्बन्ध में जांच करने और सीमांकन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नेफा के सियांग सीमान्त डिवीजन में रहने वाले लोग आदी कहलाते हैं। आसाम के लखीमपुर जिले में भी कुछ आदी गांव हैं।

जब इस क्षेत्र में आन्तरिक सीमा-रेखा का सीमांकन कुछ समय पूर्व प्रारम्भ किया गया तो आसाम के आदी गांवों ने विरोध किया और कहा कि वह लाइन इस प्रकार बदली जानी चाहिये कि वे नेफा में आ जायें।

नेफा के एक आदी गांव ने अभ्यावेदन किया कि आसाम में आन्तरिक सीमा-रेखा के बाहर की कृषि योग्य भूमि पर उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिये।

आसाम और नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक इस समस्या पर चर्चा करने के लिये शिलांग में हुई थी। सियांग सीमान्त डिवीजन के राजनीतिक अधिकारी और लखीमपुर के उपायुक्त ने उस क्षेत्र का संयुक्त रूप से दौरा किया। इस मामले की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई।

आसाम सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार के आदी गांवों को वही विशेषाधिकार देने का निर्णय किया जो उन लोगों को आसाम के हस्तान्तरित क्षेत्र में प्राप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आन्तरिक सीमा-रेखा के अंकित किय जाने से नेफा के आदी गांव के आसाम में कृषि योग्य भूमि धारण करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीमांकन पूर्ण होने तक के लिये आसाम और नेफा का एक-एक अधिकारी मतभेद का मौके पर फैसला करने के लिये उस क्षेत्र में रहने के लिये प्रतिनियुक्त किये गए हैं।

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†४६१२. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ के वर्षों में आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक बस्तियों को कितना आवंटन किया गया और प्रत्येक बस्ती का आवंटन क्या था; और

(ख) क्या १९६१–६२ वर्ष में राज्य में कोई नई औद्योगिक बस्ती खोली जाएगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों के लिये १८ लाख रुपय का आवंटन किया गया था। १९६१–६२ के लिये औद्योगिक बस्तियों के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। आवंटन राज्य वार किये जाते हैं बस्ती बार नहीं। प्रत क बस्ती के लिये आवंटन का फैसला करना प्रत्येक राज्य सरकार का काम है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की सरकार १९६१–६२ में राज्य में २७ नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार रखती है।

---

†मूल अंग्रजी में

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्र

†४६१३. **श्री ई० मधुसूदन राव:** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्रों को प्रत्येक रेडियो किसान मण्डल से कितनी सूचनाएं मिलीं ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८७]

आंध्र प्रदेश में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग

†४६१४. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में कौन सी विभिन्न कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योग योजनाओं का ब्यौरा सभा पटल पर ७ सितम्बर, १९६० को, १४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर से उत्पन्न आश्वासन की पूर्ति में रखा गया था ।

(ख) अग्रतर सूचना एकत्रित करने में अनुमान से बहुत समय और मेहनत खर्च होगी ।

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक ईकाइयां

†४६१५. **श्री ई० मधुसूदन राव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कौनसी नई औद्योगिक इकाइयां अब तक स्थापित की गई हैं;

(ख) इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौनसी इकाइयां स्थापित की जायेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) इकाइयों के नामों के बारे में पूरी और आद्यतन सूचना देना सम्भव नहीं है । तथापि यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट उद्योग के बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मैं दे दूंगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिये अनुदान और ऋण के रूप में ७१६·२४ लाख रुपय की राशि मंजूर की थी ।

(ग) इस के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रजी में

जापान से छपाई और लिखाई के कागज के आयात के लिए प्रस्ताव

†४६१६. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान को मैंगनीज अयस्क और कच्चे लोहे के निर्यात के बदले में छपाई और लिखाई के कागज के सम्भरण के लिये जापानी पेशकश पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या फैसला किया गया है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). हां श्रीमान्। घटिया किस्म के मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बदले छपाई के कागज के आयात की अत्यन्त लाभप्रद पेशकश स्वीकार करली गई है।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†४६१७. **श्री ई० मधुसूदन राव:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक संख्या में क्वार्टरों का आवंटन अब कब किया जाएगा ;

(ख) आवंटन के लिये विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर तैयार हैं; और

(ग) किन स्थानों पर क्वार्टर बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). २१४ 'ई' श्रेणी के क्वार्टर मोती बाग २ में प्राय: तैयार हो चुके हैं। आवंटन के लिये व जून १९६१ में तैयार होंगे।

टैपियोका

†४६१८. **श्री नारायणस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैपियोका के उपोत्पाद क्या हैं;

(ख) हमारे देश के किस राज्य में टैपियोका की खेती की जाती है; और

(ग) टैपियोका का देश में कितना उपयोग किया जाता है और प्रतिवर्ष कितना तथा कितनी गत का टैपियोका विदेश भेजा जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) टैपियोका चिप्स, टैपियोका आटा, टैपियोका पेब्यूल (सागो), टैपियोका मांडी और डैक्सट्रीन, आदि।

(ख) केरल और मद्रास में टैपियोका अधिक पैदा होता है और थोड़ा आंध्र प्रदेश, आसाम, गई, और मैसूर में भी पैदा होता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

'मुगल-आजम'

†४६१९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 'मुगले आजम' चलचित्र के निर्माताओं ने यह घोषित किया था कि इस फिल्म पर एक करोड़ से अधिक रुपय खर्च हुए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस फिल्म पर विदेशों में बहुत अधिक धन खर्च किया गया है ;

(ग) क्या इस व्यय के लिये पूर्व अनुमति ली गई थी; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में एसे व्यय को रोकने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार का ध्यान कुछ प्रेस रिपोर्टों और विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग). वरंग नैगेटिवे फिल्मों के अशोधित रशप्रिंटों आदि के आयात के लिये दिये गये दो लाइससों के बारे में भुगतान करने के लिय १८७६४६.७४ रुपय तक विदेशी मुद्रा दी गई थी और निर्माताओं के एक प्रतिनिधि के व्यापार संबंधी दौरे के लिये ६६७० रुपये दिये गये थे ।

(घ) हां, श्रीमान ।

डालमिया दादरी सीमेंट फैक्टरी

†४६२०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चर्खी दादरी (पंजाब) की डालमिया दादरी सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट का उत्पादन प्रतिदिन घटता जाता है ;

(ख) यदि हां तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या करन का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†४६२१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तीसरी पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे मे पंजाब सरकार से योजना आई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ग) क्या इसे अनुमोदन दे दिया गया है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तीसरी योजना के लिय पंजाब सरकार से अभी तक कोई योजना नहीं आई ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में आवास योजनाएं

†४६२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार को विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत ऋण या अनुदान के तौर पर दी गई अधिकांश राशि चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर आदि कुछ नगरों पर खर्च कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नहीं । ३१ दिसम्बर १९६० तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई राशि का जिलावार ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में सीमेंट की मांग

†४६२३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०–६१ में पंजाब सरकार से सीमेंट की कुल कितनी मांग आई ;

(ख) उक्त अवधि में उन को कितना सीमेंट आवंटित किया गया ; और

(ग) १९६०–६१ में कुल कितन सीमेंट का संभरण किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ७०१११२ मीट्रिक टन ।

(ख) ५२९३७१ मीट्रिक टन ।

(ग) ३९८४१२ मीट्रिक टन ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

४६२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न पिछड़े हुए क्षेत्रों के विशष विकास कार्यक्रम के लिए सहायता के रूप में मंजूर की गई कुल राशि में से प्रत्येक क्षेत्र पर वस्तुत: कितना खर्चा किया गया ; और

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पिछड़े हुए क्षेत्र के विशेष विकास कार्यक्रम के लिए कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना उपमत्री (श्री श्यामनन्दन मिश्र) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी है ।

अफरीका में भारतीय

†४६२५. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछल तीन महीनों में भारतीय उदभव के कितन लोग अफ्रीकी देश छोड़ कर भारत आए ?

†**प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : एसी सांख्यिकी नहीं रखी जाती । विभिन्न ऊपरी देशों, विशेषकर पूर्व और मध्य अफ्रीका में रहने वाले बहुत से भारतीय उदभव के लोग हैं और वे लगातार भारत से जा रहे हैं और भारत आ रहे हैं, जिसके कारण हैं विवाह बच्चों की शिक्षा, छट्टियां आदि । अधिकांश लोग जो भारत आए व भारत में अपने कार्य पूरे करके पूर्व-अफीका लोट जाते हैं ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†४६२६. **श्री अजित सिह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि लोह अयस्क जापान को, लोहा अयस्क खानों के लिये आवश्यक मशीनरी खरीदने के लिये और रेलवे का विकास संबंधी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अमरीकी डालरों में उस के ऋण के बदले, अपनी मूल दरों पर दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू मूल्यों में कितनी रियायत है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). नहीं श्रीमान ? केवल किरीबुरु और वलाडिल्ला खानों की बड़ी परियोजनाओं के मामले में भारत को आवश्यक मशीनरी के आयात के लिये जापान से ऋण सहायता प्राप्त भी है । दिये जाने वाले लोहा अयस्क के मूल्य का ऋण सहायता से कोई संबंध नहीं है । इस सहायता के बदले, यह स्वीकार किया गया है कि सामान्य निर्यात मूल्यों पर रिबेट दिया जाएगा, और रिबेट की मात्रा के बारे में १९६४ से संभरण आरंभ होकर आगे प्रति वर्ष बात चीत की जाया करेगी ।

कलिंग इंडस्ट्रीज लि०

†४६२८. **श्री प्र० क० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलिंग इन्डस्ट्रीज़ लिमिटड नामक कम्पनी किस वर्ष में निगमित हुई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इसने अभी तक अपने अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके पिछले वर्ष के लेखा में हानि दिखाई गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस के प्रबंधक निदेशक ने १,००,००० रुपये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कंपनी के लेखा से दान के रूप में दिये हैं ; और

(ड) क्या यह दान बोर्ड आफ डारैक्टर की अनुमति के बिना प्रबंधक निदेशक ने अपनी इच्छा से दिया था और क्या एक वर्ष बाद इसका पुष्टिकरण किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९४८ में ।

(ख) कम्पनी ने १३२०२१.९२ रुपये की राशि ३१ मार्च १९५९ तक देय बकाया लाभांश के तौर पर उड़ीसा सरकार को उसके अधिमान अंशों के लिये अन्तरिम लाभांश के तौर पर दी है । कंपनी के साम्य अंशों पर अभी कोई लाभांश नहीं दिया ।

(ग) ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कंपनी आधुनिकतम लाभ और हानि लेखा में, विकास रिबेट के लिये १३.५५ लाख रुपये का उपबंध करने के बाद ३.८५ लाख रुपये की शुद्ध हानि दिखाई गई है ।

(घ) कंपनी का कोई प्रबंधक निदेशक नहीं है । इसका प्रबंध बोर्ड आफ डारैक्टरों द्वारा किया जाता है जिसका सभापति श्री वी० पटनायक है ।

सूचना मिली है कि कंपनी को कांग्रस समिति को अल्प स्तर उद्योगों के विकास संबंधी अनुसंधान करने के लिये १ लाख रुपय का दान दिया है ।

(ङ) यह मालूम नहीं कि आया दान सभापति ने अपनी इच्छा से दे दिया था या बोर्ड आफ डारैक्टर के अन्य सदस्यों से पूछ कर दिया । बोर्ड ने इस दान का पुष्टिकरण कर दिया, जिसे कुछ महीनों के बाद वार्षिक सामान्य बैठक में इस का पुष्टिकरण दिया जाता ।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†४६२९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १९ मार्च १९६१ के **पायनीर** में "बईमान निर्यातक भारतीय दस्तकारी को हानि पहुंचाते हैं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार की समूचे मामले के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां श्रीमान ।

(ख) क्योंकि निर्यातकों के नामों की सूचना सरकार को नहीं दी गई, इन मामलों के तथ्य मालूम करना संभव नहीं हुआ ।

(ग) भारत सरकार को स्टैंडर्ड के नीचे, की दस्तकारी और खराब पैकिंग,बाद में भजन आदि के निर्यात के बारे में शिकायतें मिल रही हैं । इस सिलसिले में विदेशी आयातकों में विश्वास पैदा करने एवं भारतीय निर्यातकों को अच्छी किस्म का माल भेजने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । कुछ निम्न कार्रवाई की गई है कि : निर्यातकों का पंजीकरण ।

(ख) किस्म नियंत्रण योजना का लागू किया जाना, (ग) पैकिंग के प्रशिक्षण,

(घ) सुविधाओं अर्थात लकड़ी से चलने वाले भट्टों की स्थापना की व्यवस्था और (ङ) स्वैच्छिक आधार पर माल भरन से पहले निरीक्षण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय पर उत्पादन शुल्क

†४६३०. **श्री प्र० च० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय पर उत्पादन शुल्क उत्पादकों द्वारा उन दूसरी चीज़ों के समान नहीं दिया जाता, जिन के मामले में उत्पादन शुल्क थोक क्रेताओं द्वारा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भेदभाव का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). तैयार चाय पर उत्पादन शुल्क उत्पादकों द्वारा दिया जाता है जब यह बागान से किसी विशिष्ट स्थान के लिये लागू दर पर चलती है। चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वसूल करने का तरीका वही है जो अन्य वस्तुओं के बारे में है। जब कि उत्पादन शुल्क सामान्यतया निर्यात के स्थान पर लौटाया जाता है, वास्तव में निर्यात की जाने वाली बड़ी मात्रा में चाय पर ऐसा शुल्क लौटाया नहीं जाता।

पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत, चाय पर उत्पादन शुल्क भी निर्यात के स्थान पर वापिस लौटाया जाता था और नीलामी में बोली में उत्पादन शुल्क शामिल नहीं होता था। २८ सितम्बर १९५८ से भेदात्मक उत्पादन शुल्क जारी होने से, नीलामी की बोली में उत्पादन शुल्क शामिल होता है। यह नया तरीका खरीदारों, विक्रेताओं और दलालों द्वारा संयुक्त परामर्श से तैयार किया गया था।

पंजाब वित्त निगम

†४६३१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब वित्त निगम पंजाब और दिल्ली के छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करता है;

(ख) क्या इसके कार्य को केवल पंजाब क्षेत्र में केन्द्रित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागालैंड

†४६३२. **श्रीमती मंजुला देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में तथा कथित "आन्तरिक रेखा" अब विद्यमान है और

(ख) यदि हां, तो इसका का क्या कार्य है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) आन्तरिक रेखा का उद्देश्य आदिम जातीय क्षेत्रों में बाहर वालों के प्रवेश का नियन्त्रण एवं विनियमन करने का काम है। उनके अनियन्त्रित प्रवेश से अवांछनीय लोग आ सकते हैं जो आदिम

†मूल अंग्रेजी में

जाति लोगों को भड़का सकते हैं और उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार उनके स्वास्थ एवं प्राकृतिक विकास में बाधा सिद्ध हो सकता है ।

सीमान्त प्रदेशों में आन्तरिक रेखा सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है ।

तिब्बत से शरणार्थी

†४६३३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६१ तक भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी आए हैं ;

(ख) पिछले वर्ष सिक्किम से कितने खम्पा विद्रोही भाग गये ; और

(ग) क्या यह सच है कि वे अपने शस्त्र लेकर लापता हो गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) २५ मार्च, १९६१ तक लगभग ३०४०९ तिब्बती शरणार्थी भारत आए ।

(ख) लगभग २००० तिब्बती शरणार्थी अधिकांशत: खम्पा मई और नवम्बर, १९६० में सिक्किम छोड़ गये ।

(ग) इनमें से किसी शरणार्थी के पास शस्त्र नहीं थे । वास्तव में जब वे भारत आये तो उनके पास जो शस्त्र थे वे चौकियों पर ले लिये गये ।

उड़ीसा के विस्थापित लोगों के बच्चों के लिए माध्यमिक स्कूल

†४६३४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ से १९६१–६२ तक की अवधि में उड़ीसा में बसाये गये पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिये उड़ीसा को कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) उड़ीसा की विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में कितने प्रारम्भिक स्कूल स्थापित किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा में भूसेदपुर बस्ती समूह में खोले गये प्रारम्भिक स्कूलों में फर्नीचर नहीं दिया गया ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जाएगी ।

नेफा में दिगारू नदी के ऊपर पुल का निर्माण

†४६३५. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीफा में सोडिया से तेजू तक सड़क पर लोहित सीमान्त डिवीजन में डिगारू नदी के ऊपर स्थायी पुल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस पर विदेशी मुद्रा खर्च की सम्भावना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) परियोजना पूर्ण होने में कितना समय लगने की सम्भावना है और यह कब आरम्भ की जाएगी; और

(ङ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' है तो इसका क्या कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ङ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले बड़े भूकम्प के पश्चात् डिगरू नदी में लगातार मिट्टी जमती रही और अभी इस का मार्ग स्थिर नहीं हुआ। अतः इस अवस्था में स्थायी पुल बनाने का विचार नहीं किया जा सकता।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय अंशदान

†४६३६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की कार्यान्विति के लिये सरकारी क्षेत्र का प्रत्येक उपक्रम द्वारा कितना वित्तीय अंशदान किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ऐसी वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८९]**।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का यह सर्वमान्य तरीका है कि वे अपने लाभ का कुछ भाग उपक्रम में लगायें। मोटा अनुमान है कि तीसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों को वित्त देने के लिये इस स्रोत का अंशदान (१२५० करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय में से) लगभग ६०० करोड़ रुपये हो सकता है।

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया

†४६३७. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कितने केन्द्र भारत और दूसरे देशों में हैं;

(ख) क्या सरकार प्रेस ट्रस्ट को इसकी सेवाओं के लिये कुछ देती है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(घ) क्या यह सच है कि दो अन्य समाचार अभिकरण आरम्भ किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसका गठन किस प्रकार है और किन्होंने आरम्भ किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). सूचना प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया से एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी।

(घ) और (ङ). हां श्रीमान्। १९५९ में दो समाचार अभिकरण समवाय अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये थे। इनके संवर्द्धन निदेशक हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

दी इंडियन न्यूज सर्विस लिमिटेड, बम्बई

१. श्री आर० एन० गोयनका, मद्रास ।

२. श्री टी० एस० कृष्णा, मदुरै

३. श्री कमल नयन बजाज, संसद् सदस्य, बम्बई

४. श्री फ्रेंक मोरैस, बम्बई

५. श्री एम० पी० जैन, बम्बई

दी यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया लिमिटेड, नई दि

१. श्री तुषार कान्ति घोष (अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता)

२. श्री के० सी० शारदा (हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली)

३. श्री जी० नरसिंहम् (हिन्दू, मद्रास)

४. श्री जी० ए० जौनसन (स्टेट्समैन, नई दिल्ली)

५. श्री ए० के० सरकार (हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड और अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता)

कलकत्ता में बिजली की कमी का पटसन तथा कपड़ा मिलों पर असर

†४६३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बिजली में भारी कमी कर देने के परिणामस्वरूप कलकत्ता में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पटसन और कपड़ा मिलों तथा हल्के और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का काम लगभग ठप्प होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो उसका काम पर कितना असर पड़ेगा; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कलकत्ता के ऊपर के बिजली घर के तीन बड़े जैनरेटरों के अचानक खराब हो जाने के कारण और दामोदर घाटी निगम से उस मात्रा से कहीं कम बिजली मिलने के कारण जिसका कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लि० के ठेके में कुछ बाधा है, कलकत्ता की पटसन तथा कपड़ा मिलों और कुछ एक हल्के और भारी इंजिनियरिंग उद्योगों पर विशेषतया कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड के नये विद्युत् स्टेशन से बिजली प्राप्त करने वाले उद्योगों पर कुछ असर पड़ा है ।

२. पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि बिजली की कमी के परिणामस्वरूप उत्पादन में या रोजगार में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । जहां तक कपड़ा मिलों का सम्बन्ध है, बिजली सम्भरण की कमी के कारण २ से १६ घण्टों तक कार्य घण्टे कम करने पड़े हैं । जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है, अनुमान है कि लगभग १ दिन के बराबर के काय उत्पादन का नुकसान हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. सिचाई और विद्युत् मन्त्रालय में खराब हुए जैनरेटरों को पुनः चालू करने के लिये कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के लिये आवश्यक पुर्जों की प्राप्ति के लिये अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की है ।

४. दामोदर घाटी निगम ने कमी को पूरा करने के लिये अन्य स्रोतों जैसे सिन्दरी फर्टिलाइजर्स, दुर्गापुर स्टील वर्क्स और दुर्गापुर कोक भट्टी कारखाने से भी विद्युत् प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध किया है। दामोदर घाटी निगम ने अपने सभी ग्राहकों से यह निवेदन किया है कि इस आकस्मिक संकट का सामना करने के लिये वे यथासम्भव कम से कम बिजली खर्च करे । राज्य सरकार ने बिजली के समान वितरण के सिद्धान्त के पालन के लिये भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० की धारा २२ख के अधीन आदेश जारी किये हैं जिनमें विद्युत् के सम्भरण तथा उपभोग को विनियमित कर दिया गया है । परन्तु भी अत्यावश्यक सेवाओं को इन प्रतिबन्धों से छूट दे दी गयी है । अप्रैल के अन्त में दामोदर घाटी निगम के इन दो जैनरेटरों के पुनः चालू हो जाने से स्थिति पर्याप्त सुधर गयी है । इस सम्बन्ध में की गयी सभी कार्यवाहियों का ब्यौरा ३ मई, १९६१ को सिंचाई और विद्युत् मन्त्री द्वारा सभा में दिये गये बयान में सम्मिलित हैं ।

भारतीय मजदूर संघ

†४६३९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दो दिन के सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली यूनिट द्वारा पेश की गयी मांगों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार किन्हीं विशेष समस्याओं को हल करते समय इस प्रकार की सभी मांगों को ध्यान में रखती है ।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा सुरीनाम में धन विनियोजन

†४६४०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सुरीनाम के कृषि मंत्री ने भारतीय उद्योगपतियों से यह कहा है कि वे सुरीनाम में उद्योगों के विकास के लिये पूंजी लगायें ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उस देश से कोई व्यापारिक करार करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सरकार के ध्यान में ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा

४६४१. **श्री खुशवक्त राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी अधिकारियों का यह दावा कि चीनी फौजों ने अक्साई चीन क्षेत्र पर सन् १९५० में निर्विरोध कब्जा कर लिया था, गलत है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि १९५० से १९५९ तक की अवधि में अनेक भारतीय दलों ने उक्त क्षेत्र का बिना किसी रुकावट के दौरा किया था और उन्हें कोई भी चिन्ह चीनी आधिपत्य के वहां नहीं मिले थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) चीनियों ने यह दावा किया था कि अक्साई चीन क्षेत्र में वे १९५० में बगैर किसी विरोध के घस आए थे। यदि ऐसा हो भी तो यह भारतीय प्रदेश में उनका अनधिकार प्रवेश था और उसके कारण उस क्षेत्र पर उनका किसी तरह का हक नहीं ठहरता।

(ख) १९५८ तक, उस इलाके में दौरा करने वाले हमारे किसी भी दल का सामना किन्हीं चीनी सैनिकों या पड़ावों से नहीं हुआ था।

गोदी कर्मचारियों के लिये बोनस

†४६४२. **श्री मुहम्मद इलियास : क्या श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८–४९ से अब तक भारत के गोदी कर्मचारियों को कोई बोनस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति कर्मचारी को कितना बोनस दिया गया है और प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी गयी है ; और

(ग) यदि बोनस नहीं दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्रित करने में जितना परिश्रम और समय लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

बिहार में अभ्रक के कारखानों का बन्द हो जाना

†४६४३. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोडेरमा, झुमरी तिल्लैया और डानचनाई में लगभग ५० प्रतिशत रजिस्टर्ड छोटी अभ्रक फैक्टरियां बन्द हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह विषय राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

†मूल अंग्रेजी में

भूटान को सहायता

†४६४४. **श्रीमती इला पालचौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भूटान सरकार ने भूटान के आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) उस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) भूटान सरकार ने भूटान के संसाधनों का निर्धारण करने और विकास परियोजनाओं को तैयार करने के लिये जून मास के प्रारम्भ में भूटान जाने के लिये योजना आयोग के विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित किया है । उस सरकार ने यह भी संकेत किया है कि भूटान के विकास के लिये संभवतः भारत सरकार को प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता देनी पड़े ।

(ग) भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ दल भेजना स्वीकार कर लिया है और विकास के लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देना भी स्वीकार कर लिया है । दल के वापस आ जाने के बाद ही परियोजनाओं के ब्योरे के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण

†४६४५. **श्री प्र० चं० बरूआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किस-किस फर्म और औद्योगिक सार्थ को अभी तक ऋण मंजूर किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक को अभी तक कितना ऋण दे दिया गया है ; और

(ग) ऋण देने का आधार क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । ***[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय परिशिष्ट संख्या एल० टी० २९६७/६१]***

केरल में रबड़ की खेती

†४६४६. **श्री प्र० चं० बरूआ: क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन केरल के वन-क्षेत्रों में रबड़ की खेती के लिये किसी योजना पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). केरल सरकार ने एक योजना बनाई है जिससे सरकारी वन-भूमि तथा गैर-सरकारी भूमि में रबड़ के नये पौधे लगाने का विचार है । यह योजना योजना आयोग के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य

†४६४७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस वर्ष जनवरी मास में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तृतीय योजना पर विचार करने के बाद इस तृतीय योजना के कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० न० मिश्र)** (क) और (ख). तृतीय योजना में कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों पर, जिन पर जनवरी, १९६१ में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया गया था, अभी तक पुनर्विचार नहीं किया गया है। कुछ एक राज्यों से तृतीय योजना के सम्बन्ध में अन्तिम सुझाव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः पूर्ण योजना तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य

†४६४८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जनवरी, १९६१ में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा तृतीय योजना पर विचार करने के बाद उस तृतीय योजना के विद्युत उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनर्विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सड़क निर्माण सम्बन्धी लक्ष्य

†४६४९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जनवरी, १९६१ में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तृतीय योजना पर विचार करने के बाद इस तृतीय योजना के सड़क निर्माण सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनर्विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) परिवर्तन के क्या-क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में सड़कों के लिये २५० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थी--२०० करोड़ रुपये राज्य-क्षेत्र में और ५० करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय राजपथों के लिये। अनुमान है कि इस राशि से तृतीय योजना काल में २०,००० मील की सड़कें नयी बनायी जा सकेंगी। जहां तक राज्य-क्षेत्र में

†मूल अंग्रेज़ी में

धन व्यवस्था का सम्बन्ध है, यद्यपि सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद राज्य योजनाओं के लिये वित्तीय अधिकतम सीमायें निर्धारित कर दी गयी हैं, तो भी अभी तक अलग-अलग राशियां निर्धारित नहीं की गयी हैं। इसलिये इस समय यह बताना कठिन है कि राज्यों की पंच वर्षीय योजनाओं में सड़क कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रारूप में निर्धारित राशि से और कितनी अधिक राशि लगानी पड़ेगी। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत भी सड़कों के लिये राशि की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अतः योजना आयोग के लिये इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली सड़कों पर निश्चित रूप से कितनी राशि खर्च होगी और उससे तृतीय योजना में सम्मिलित लक्ष्य कहां तक पूरे हो सकेंगे।

डिफेंस कालोनी में प्लाट

†४६५०. **श्री हेम बरुआ :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन कनिष्ठ पदाधिकारियों को नोटिस दे दिये हैं, जिन्हें पुनर्वास के लिये डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में प्लाट आवंटित किये गये थे और उनसे यह कहा गया है कि वे एक महीने के अन्दर मकान बनवा लें; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पट्टे की शर्तों के अधीन डिफेन्स कालोनी में प्लाटों के आवंटियों से यह आशा की जाती है कि वे पट्टे की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर अपने मकान बनवा लें। कई व्यक्तियों के मामलों में यह अवधि बीते हुए बहुत समय हो गया है। अतः जिन पदाधिकारियों ने, भले ही वे किसी भी कोटि के हों, अभी तक अपने मकान नहीं बनवाये हैं, उन्हें नोटिस दे दिये गये हैं कि वे नोटिस प्राप्त करने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपने मकान बनवा लें। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

पासीघाट, सहकारी आरा मिल, नेफा

†४६५१. **श्री डा० एरिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पासी घाट के बंग कोरट सा मिल (पासी घाट सहकारी आरा मिल) के बहुत से अंशधारियों के अपने अंश वापस कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है और उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) और (ख). पासीघाट केबंग कोरट सा मिल के ५०० अंशधारी हैं। १९६०–६१ में केवल दो व्यक्तियों ने अपने अंश वापस किये थे, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। उस अवधि में चार नये अंशधारी सम्मिलित हो गये थे।

(ग) जांच की कोई जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा को संभरण

†४६५२. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेफा के निदेशालय के विरुद्ध संभरण में गड़बड़ के सम्बन्ध में असैनिकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि कभी-कभी असैनिकों और स्थानीय व्यक्तियों को दी जाने वाली वस्तुएं समय पर कार्यक्रम के अनुसार उस स्थान तक नहीं पहुंचती हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कभी-कभी वे वस्तुएं संभरित नहीं की जाती हैं जिनके लिये मांग भेजी जाती हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

(ख) नेफा के लिये आवश्यक अधिकांश वस्तुएं विमानों से भेजी जाती हैं । मौसम के खराब होने तथा अन्य कई कारणों से उन वस्तुओं को मांग के अनुसार सदैव पहुंचाना सम्भव नहीं है । तो भी इन मांगों को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सभी सम्भव यत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) विमानों पर ले जाने से बड़ा खर्च होता है । इसलिये केवल अत्यावश्यक वस्तुएं ही भेजी जाती हैं ।

स्थानीय उत्पादिता परिषद्

†४६५३. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा चलायी गयी स्थानीय उत्पादिता परिषदें अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). स्थानीय उत्पादिता परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में स्थापित हैं और उनके कार्यों में समानता नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त बहुत सी स्थानीय उत्पादिता परिषदें अभी हाल ही में स्थापित की गयी हैं । योजना को प्रारम्भ किये हुए अभी तीन वर्ष ही हुए हैं और इसके ठीक प्रकार से चलने में कुछ समय और लगेगा । राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद इन्हें सभी सम्भव सहायता दे रही है विशेष तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श सेवाओं, संवर्धन सेवाओं में सहायता दे रही है ।

भारतीय राष्ट्र जनों का पाकिस्तान को और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत को आगमन

†४६५४. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में कितने भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान गये थे और कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि वीसा की अवधि के बाद भी अपने देश वापस नहीं गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि उसी देश में बस गये हैं जहां वे धार्मिक प्रयोजनों गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वे भारतीय यात्री जो पाकिस्तान गये थे :—

१९५८ में	१९५९ में	१९६० में
१०५४	२१३८	१४८३

वे पाकिस्तानी यात्री जो भारत आये थे :—

१९५८ में	१९५९ में	१९६० में
१५३३	१८२१	१२९६

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

घोषणा से पूर्व आयात-निर्यात नीति का प्रकाशन

४६५५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-सितम्बर, १९६१ के लिये भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति सामान्य रूप से आयोजित पत्रकार सम्मेलन में घोषित किये जाने से पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण बम्बई के एक समाचार-पत्र (व्यापार गुजराती, अर्ध-साप्ताहिक) को मिल गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ जानकारी लेने का प्रयत्न किया है कि यह सब कैसे सम्भव हुआ;

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) भविष्य में इस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कच्ची सामग्री सम्बन्धी उप-समिति

†४६५६. **श्री प्र० चं० बरूआ**: : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के विकास बोर्ड के लघु उद्योगों की कच्ची सामग्री सम्बन्धी उप-समिति ने अप्रैल, १९६१ के तीसरे सप्ताह में गुजरात का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का क्या प्रयोजन था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

†४६५७. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का १२वां वार्षिक सम्मेलन अप्रैल, १९६१ में यमुनानगर में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में मुख्य रूप से किन-किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या-क्या सिफ़ारिशें की गयी थीं; और

(ग) उन सुझावों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां। १६ और १७ अप्रैल, १९६१ को।

(ख) उसकी कार्यवाही देखी जा सकती है।

(ग) सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करती है और विशेष समस्यायें उत्पन्न होने पर उन सुझावों को ध्यान में रखती है।

नेफा में खाली इमारत

†४६५८. **श्री डा० एरिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नेफा में मार्घेरिटा की इमारतें, जहां पहले तिरप फ्रन्टियर डिवीजन के राजनीतिक पदाधिकारी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, १९५७ से खाली पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि ये इमारतें अब क्षय रोग अस्पताल के रूप में अब इस्तेमाल की जायेंगी ;

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से ; और

(ङ) क्या यह स्थान चिकित्सा की दृष्टि से उचित स्थान है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). मार्घेरिटा में कुल ४० इमारतें हैं। इनमें से १९ को तिरप फ्रन्टियर डिवीजन के लिये प्रशासनिक बेस कैम्प की आवश्यकताओं के लिये इस्तेमाल किया गया है। शेष इमारतों को कभी-कभी स्थानीय प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया गया है।

अधिकांश इमारतें क्षय रोग के अस्पताल के लिये निर्धारित कर दी गई हैं। इस अस्पताल में ५० शय्यायें होंगी। मेडिकल प्राधिकारियों के मतानुसार वह स्थान इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त है। उस योजना को चालू वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा और आशा है कि वह योजना तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में पूरी हो जायेगी।

विदेशों में भारतीय राजनयिक पदाधिकारियों की नियुक्ति

४६५९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६० में विदेशों में भारतीय राजनयिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के विषय कितने औपचारिक प्रलेख जारी किये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से कितने प्रलेख हिन्दी में जारी किये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) ९१ औपचारिक (फार्मल) प्रलेख जारी किये गये। इन का ब्यौरा इस प्रकार है : ——

(१) राजदूतों और मंत्रियों के लिये विश्वास-पत्र (लैटर आफ क्रीडेंस)	३०
(२) हाई कमिश्नरों के लिये समादेश-पत्र (लैटर आफ कमीशन) .	६
(३) कमिश्नरों और कार्यनायकों (चार्ज-डि-अफयर्स) के लिये परिचय-पत्र (लैटर आफ इंट्रोडक्शन)	८
(४) विदेशों में होने वाले स्वाधीनता समारोहों, विवाहों और नये राष्ट्रपति के अधिष्ठापन (इंसटालेशन) से संबद्ध समारोहों आदि में भाग लेने के लिये जाने वाले राजदूतों, मंत्रियों, हाई कमिश्नरों और विशिष्ट शिष्ट मंडलों को विशेष विश्वास-पत्र	१३
(५) राजदूतों, मंत्रियों और हाई कमिश्नरों के लिये नियुक्ति-समादेश (कमीशन आफ एपाइंटमेंट)	३४
	९१

(ख) ९० प्रलेख, अंग्रजी अनुवाद सहित, हिन्दी में जारी किये गये और केवल एक अंग्रजी में जारी किया गया।

संघों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार

४६६०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में सन् १९६० की अन्तिम छमाही में रजिस्र्ड संघों (यूनियनों) से कुल कितने पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितनों का उत्तर हिन्दी में और कितनों का उत्तर अंग्रजी में दिया गया; और

(ख) क्या ऐसी यूनियनों से आये सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने की व्यवस्था विद्यमान है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) विभिन्न यूनियनों (रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड) से ७३३ पत्र प्राप्त हुए। जहां तक जवाबों का संबंध है, हिन्दी में भेजे गये पत्रों का अलग लेखा ५-१२-६० तक नहीं रखा गया और इस लिये सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) जी, हां, ५ दिसम्बर, १९६० से।

हिन्दी में निकाले गये प्रकाशन

४६६१ **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रमआयुक्तके कार्यालय से सन् १९६० में कुल कितनी रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन निकाले गये और उनमें से कितने हिन्दी में भी निकाले गये;

(ख) क्या इन सभी रिपोर्टों और प्रकाशनों को भविष्य में हिन्दी में भी निकालने का प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क)

(ख) और (ग). जब जरूरत होगी इन प्रतिवेदनों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जायेगा।

ईरान को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

†४६६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की सरकार के साथ एक व्यापार करार करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अप्रैल, १९६१ में दिल्ली से एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मंडल गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या सुझाव हैं; और

(ग) क्या उस सरकार ने भारत द्वारा पेश की गई करार सम्बन्धी शर्तों को स्वीकार कर लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) जी, हां।

(ख) और (ग). ईरान सरकार और भारत सरकार के बीच २ मई, १९६१ को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। उस करार की बातें यथाकाल प्रकाशित कर दी जायेंगी।

किसानों के लिये सीमेंट का कोटा

४६६३. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस प्रकार इस्पात और लोहे का कोटा किसानों को देने के लिये नियत है उसी प्रकार का कोई भी कोटा सीमेंट का नियत नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि खेती के लिये विशेषतया सिंचाई की व्यवस्था के लिये किसानों को सीमेंट की आवश्यकता होती है; और

(ग) क्या कारण है कि सीमेंट का कोई विशेष कोटा इस काम के लिये नियत नहीं किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार किसानों के लिये कोई खास कोटा नियत नहीं करती। राज्य सरकारों को प्रत्येक तिमाही में इकट्ठा सीमेंट नियत किया जाता है तथा जनता और निजी दोनों तरह के विभिन्न उपभोक्ताओं में इस कोटे का विस्तृत वितरण राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास इसकी कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार इस नियत किये हुए इकटठे सीमेंट में से किसानों के लिये कितना सीमेंट अलग रखती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा के जंगल

†४६६४. **श्री डा० एरिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में अवर्गीकृत वनों के सम्बन्ध में अधिकारों, रायल्टी आदि के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि नेफा में पासीघाट के बगांग कोरेट (सहकारी लकड़ी मिल) को काफी लकड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि अधिकतर लकड़ी कुछ बाहरी ठेकेदार ले लेते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) सरकार की नीति यह है कि जो वन क्षत्र झूम भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं उन का प्रबन्ध आदिम जाति परिषदों को सौंप दिया जाय और उन वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आय संबंधित ग्रामवासियों के सामूहिक लाभ के लिये काम में लायी जाय। अन्य सभी वन क्षेत्रों का प्रबन्ध सरकार करती है और रायल्टी भी सरकार ही इकटठी कर ती है। स्थानीय लोग जंगल की चीजें अपने घरेलू उपयोग के लिये मुफ्त काम में ला सकते हैं ।

(ख) इस जगह के वन क्षेत्र जहां पासीघाट के बांग कोरेट सा मिल चलती है, १९२९ से १९५० तक एक दूसरी संस्था को पट्टे पर दी गयी थी। इस अवधि में उस न उस किस्म की लकड़ियां जिन की बाजार में सामान्य मांग है, पूरी तरह से निकाल लीं। १९५० का भूकम्प, बाद में मिट्टी का कटाव और पिछले चार वर्षों में बंगाग कोट के कार्यों के कारण उपयोगी वृक्षों की और कमी हो गयी है ।

आदिम जाति सहकारी संस्था होन के कारण, बांगकोरेट को वन क्षेत्रों से जो वस्तुयें निकालने के लिये प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाता है। उस की प्रार्थना पर नेफा प्रशासन उस के कार्यों के लिये एक नया वन क्षेत्र नियत करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है ताकि लाभप्रद दूरी के अन्दर ही उसे लकड़ी प्राप्त हो सके और उस कारण उत्पादन लागत कम हो सके।

भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा

†४६६५. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एफ० ए० एस० पदाधिकारियों को वरिष्ठता तथा श्रेणियों की गणना के मामले में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के पदाधिकारियों के बराबर लाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अभी हाल की स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारतीय सीमा प्रशासन सेवा अपने ही नियमों से प्रशासित होती है। ये नियम इस सेवा की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनायगये हैं। नियम १५ यह व्यवस्था है कि सेवायें परस्पर सदस्यों की वरिष्ठता स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा और उम्र. अनुभव, मूल सेवायें, वरिष्ठता, यदि कोई हो तो और अन्य संगत बातों पर विचार करने के बाद निर्धारित की जायेगी।

आई० एफ० एस० की श्रेणी १ और २ क्रमश: आई० ए० एस० की वरिष्ठ तथा कनिष्ठ श्रेणियों के बराबर होंगी। वरिष्ठ तायां श्रेणियों के मामले में आई० ए० एस० या आई० पी० एस० नियम आई० एफ० ए० एस० को लागू करने की कोई योजना नहीं है

---

†मूल अंग्रेजी में

मलाया के साथ व्यापार संधि

†४६६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि करने की इच्छा प्रगट की है;

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी मोटी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या राय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

भारत-पाकिस्तानी सीमा का रेखांकन

†४६६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस क्षेत्र में पाकिस्तान के कर्णफुली बांध से असम की त्यूशाई पहाड़ियों में भारतीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूब जाने की संभावना है, वहां भारत पाकिस्तानी सीमा का रेखांकन करने के विषय में भारत सरकार ने शीघ्रता की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ जमीन डूब जायेगी ;

(ग) पाकिस्तान ने कितनी क्षतिपूर्ति देना मंजूर किया है; और

(घ) इस क्षेत्र का शीघ्र सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (घ). जी हां । इस क्षेत्र की भारतीय सर्वेक्षण दल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है ।

(ख) और (ग). उस क्षेत्र का सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही यह पता चलेगा कि पाकिस्तान की कर्णफुली बांध परियोजना से कितनी भारतीय जमीन पानी में आ जायगी । इसी तरह सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही, इस परियोजना से भारतीय जमीन पानी में डूबने के कारण होने वाली हानि के बारे में भारत सरकार के दावे के संबंध में बातचीत हो सकती है ।

असम में 'पेपर ग्रेड पल्प' परियोजना

†४६६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स बाल्मे लौरी एण्ड कम्पनी को असम में अपनी पेपर ग्रेड पल्प परियोजना के लिये लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस की उत्पादन क्षमता क्या होगी? और

(ग) उस का कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१,२०० टन प्रति वर्ष ।

(ग) जिला काछार में हामलाकांडी के पास मोनाछेरा में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यातकों और व्यापार शिष्टमंडलों के लिये सुविधायें

†४६६९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक निर्यातकों और व्यापार शिष्ट मंडलों को विदेशों में जाने के लिये कुछ और अधिक सुविधायें देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख) विदेश जाने वाले निर्यातकों और व्यापारियों को सरकार पर्याप्त सुविधायें दे रही है । ये सुविधायें इस प्रकार हैं :—

(१) विदेशी मुद्रा के लिये मंजूरी ।

(२) पासपोर्ट और वीसा प्राप्त करने में सहायता ।

(३) विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के नाम परिचय-पत्र जारी करना ।

त्रिदलीय सम्मेलनों की सिफ़ारिशें

†४६७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि त्रिदलीय सम्मेलनों, भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति की जो सिफारिशें संबंधित दलों ने मंजूर कर ली हैं, वे उनके लिये बाध्य हों; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विधान प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) २८ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली में स्थायी श्रम समिति के १९वें सम्मेलन में त्रिदलीय निर्णयों के आधार पर विचार किया गया है । यह मान लिया गया है कि त्रिदलीय सम्मेलनों की सर्वसम्मत सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये संबंधित दल बाध्य होंगे और यदि किसी मामले में कोई निर्णय कार्यान्वित करना किसी दल के लिये संभव न हो तो वह त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा पुनर्विचार के लिये वह विषय फिर उस के सामने रख सकता है । इस प्रयोजन के लिये कोई विधान प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली

†४६७१. { **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के प्रूफ रीडरों को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १९५८ में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रैस हैन्डबुक के अनुसार नई दिल्ली प्रेस प्रूफ रीडरों का काम उसी प्रकार का है जो प्रैस आयोग ने व्याख्या की है और विधेयक पेश करते समय विधान द्वारा जिस का समर्थन किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर हां हो, तो क्या यह असमानता दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस, नई दिल्ली, एक जाब प्रैस है और उसे श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ और श्रम जीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, १९५८ के प्रयोजन के लिये समाचारपत्र प्रतिष्ठान नहीं समझा जा सकता। इसलिये इस प्रेस में नियुक्त प्रूफ रीडर इन अधिनियमों में उल्लिखित शब्द की परिभाषा के अर्थ में श्रमजीवी पत्रकार नहीं हैं।

ट्रांजिस्टर रेडियो

†४६७२. **श्री गोरे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगभग कुल कितने ट्रांजिस्टर रेडियो हैं; **और**

(ख) उन का आयात रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विकास शाखा (डेवलपमेंट विंग) की सूची दर्ज रेडियो निर्माताओं द्वारा ट्रांजिस्टर सेट का वर्तमान उत्पादन ९००० है।

(ख) अक्तूबर, १९५७ से रेडियो रिसीवरों के आयात पर रोक लगी हुई है; कुछ ट्रांजिस्टर सेट व्यक्तिगत सामान के तौर विदेश से लाये गये हैं। अप्रैल-अक्तूबर, १९६१ की अवधि में १.९६ लाख रुपये के सट आयात किये गये।

रेडियो रिसीवरों के वर्तमान निर्माता ट्रांजिस्टर सेट के पुर्जों के आयात के लिये अपनी ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्च कर सकते हैं। मार्च १९६१ में यह तय किया गया कि रेडियो निर्माताओं को १९६१ में अपने कुल उत्पादन के ५० प्रतिशत तक ट्रांजिसस्टर रेडियो रिसीवरों के उत्पादन की योजना बनानी चाहिये। इस उद्योग का उद्देश्य १९६१ में १ लाख ट्रांजिस्टर सेट तैयार करना है।

दिल्ली में कस्टोडियन जनरल के कार्यालय से कागजात की चोरी

†४६७३. { **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस व्यक्ति को दिल्ली में कस्टोडियन जनरल के कार्यालय से अदालती कागजात की चोरी की वजह से नुकसान हुआ था उसे पूरी पूरी क्षत्ति पूर्ति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् अपील करने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अपील ज्ञापन की दूसरी प्रति प्राप्त करने के बाद ही अदालत ने उसकी अपील निबटा दी। इसलिए उसे क्षतिपूर्ति देने का कोई कारण नहीं था और न ही उसने कोई क्षतिपूर्ति मांगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीनिवासपुरी और एन्ड्रूजगंज में क्वाटर

†४६७४. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनिवासपुरी और एन्ड्रूजगंज की सरकारी बस्तियों में उपलब्ध सभी आवास उन व्यक्तियों को दिया गया है जिन्हें अपनी बारी से बाहर (आउट आफ टर्न) मंजूरी दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन दो बस्तियों में अलग अलग सामान्य संग्रह में आने वाले व्यक्तियों को कितने क्वार्टर दिये जा चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** :(क) से (ग). श्रीनिवासपुरी में सामान्य संग्रह में १००४ क्वार्टर हैं । इनमें से ७४० क्वार्टर अपनी बारी में और २६४ क्वार्टर बारी से बाहर दिये गये हैं । एन्ड्रूजगंज में सामान्य संग्रह में १०६५ क्वार्टर हैं, इन में से ८७२ अपनी बारी में और १९३ बारी से बाहर दिये गये हैं । आउट-आफ-टर्न अलाटमेन्ट कठिनाई और उपयुक्तता वाले मामलों में ही, उस प्रयोजन के लिए स्थापित समिति द्वारा प्रत्येक मामले की छानबीन के बाद ही दिया गया है ।

गुजरात में सिंधी विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†४६७५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में जिला महेसाणा (महेसाणा और सिद्धपुर और अन्य स्थान) में बसाये गये सिन्धी विस्थापित व्यक्तियों के दावों के अनेक आवेदन-पत्र पुनर्वास मंत्रालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां तो दावे किस प्रकार के हैं और उनकी रकम कितनी है; और

(ग) क्या उन मामलों का निबटारा तुरन्त करने और दावेदारों को अविलम्ब भुगतान करने का सरकार का विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) गुजरात राज्य के महेसाणा जिले (महेसाणा और सिद्धपुर) से वर्ष १९६० में प्रारम्भ में करीब २३८ दावे पंजीकृत हुए थे। १९५० का दावा अधिनियम के अधीन दायर किये गये सभी आवेदन पत्र बहुत पहले ही निबटा दिये गये थे और जिस अधिनियम के अधीन वे आवेदन-पत्र दायर किये गये थे वह अधिनियम भी समाप्त हो चुका है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बंगलौर में संग्रहालय

†४६७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक स्थायी औद्योगिक संग्रहालय बन कर तैयार होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तैयार हो जायगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में और ऐसे संग्रहालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है । यथाशीघ्र एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग) और (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में एक दस्तकारी संग्रहालय स्थापित करने और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीण दस्तकारी संग्रहालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

औद्योगिक बस्तियां

†४६७७ **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नयी दिल्ली में निर्माताओं के दो दिन के सम्मेलन में और अधिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का सुझाव रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में और कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चूंकि हमें इस सम्मेलन की कार्यवाही का वृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें इस सुझाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तीसरी योजना अवधि में संपूर्ण देश में करीब ३०० औद्योगिक बस्तियां सम्भवतः स्थापित की जाने वाली हैं ।

दिल्ली में विस्थापित राजनैतिक पीड़ित

†४६७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राज्य संघ क्षेत्र में बसाये गये राजनैतिक पीड़ितों को लाजपत नगर संख्या ४, नई दिल्ली, में सस्ते रिहायशी भू खंड और वर्ष १९५७–१९६० के दौरान अपने मकान बनाने के लिए प्रत्येक को ५०० रुपये का नकद अनुदान भी दिया गया है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनमें से सभी को मकान बनाने का अनुदान दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो जिन व्यक्तियों को नियतन किया गया है लेकिन अनुदान नहीं दिया गया है, उन्हें मकान बनाने का अनुदान देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) दिल्ली में बसे जो दूसरे वास्तविक विस्थापित राजनैतिक पीड़ित उसके दिये पहले आवेदन नहीं भेज सके क्या उन्हें नियतन का लाभ पहुंचाने का सरकार का विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यककार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). ४२ विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को तैयार मकान और १५९ व्यक्तियों को छोटी जमीनें लागपत नगर या कालकाजी में दी गयी हैं । मकान बनाने के लिए ५०० रुपये का नकद अनुदान भी विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को दिया जा सकता था । जहां दावेदार व्यक्ति को अनुदान दिया गया था वह रकम उसके दावे की क्षतिपूर्ति से वसूल की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५७–६० के दौरान प्रत्येक को ५०० रुपये का नकद अनुदान ७५ राजनैतिक पीड़ितों को दिया गया है ।

(घ) शेष राजनैतिक पीड़ितों ने अनुदान के लिए आवेदन पत्र नहीं दिये थे क्योंकि शायद वे उस सहायता के अधिकारी नहीं थे ।

(ङ) जी नहीं । कोई नये आवेदन पत्र अब नहीं लिये जा रहे हैं ।

नेफा को विमान द्वारा सामान पहुंचाना

†४६७९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में विमान द्वारा सप्लाई पहुंचाने का ठेका कलिंग एयरलाइन्स को देने से पहले विज्ञापन में कौन कौन सी शर्तें दी गयी थीं;

(ख) कितने टेन्डर पेश किये गये थे और किस अभिकरण ने उन टेन्डरों की छानबीन की और शर्तों की सिफारिश की ;

(ग) वर्तमान ठेकेदारों को अब तक कितनी रकम दी जा चुकी है;

(घ) वर्तमान ठेकेदारों का क्या पूर्व इतिहास तथा योग्यताएं हैं;

(ङ) उनके खिलाफ क्या शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) शिकायत किस तरह की है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन द्वारा विज्ञापित टेन्डर नोटिस की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ख) सिर्फ एक टेन्डर प्राप्त हुआ था । पदाधिकारियों के एक बोर्ड ने, जिसमें असैनिक उड्डयन महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, नेफा और नागालैंड के वित्तीय परामर्शदाता तथा विधि परामर्शदाता थे, इसकी छानबीन की और शर्तों की सिफारिश की ।

(ग) १९६०–६१ में ४०,१३,०९८ रुपये कम्पनी को दिये गये । उसे चालू वित्त वर्ष में ६,२६,००५ रुपये प्राप्त हुए ।

(घ) कलिंग एयरलाइन्स पूर्णतः भारतीय संस्था है । श्री बी० पटनायक उस कम्पनी के डायरेक्टर हैं । एक व्यक्ति को छोड़ सभी चालक भारतीय हैं ।

(ङ) और (च). कलिंग एयरलाइन्स के खिलाफ कदाचार और अनियमितताओं के कुछ आरोप प्राप्त हुए थे । उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की । आरोप, समिति के निष्कर्ष और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही बताने वाला एक विवरण असैनिक उड्डयन उपमंत्री ने १ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा था ।

नेफा में विमान द्वारा सामान पहुंचाना

†४६८०. **श्री अमजद अली**: क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्लाई पहुंचाने के ठेके में कलिंग एयरलाइन्स को कितने प्रतिशत हानि की अनुमति दी गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा इंडियन एयर फोर्स को अनुमित इसी प्रकार की हानि की तुलना में वह कितनी है;

(ग) क्या कलिंग एयरलाइन्स ने मिजो पहाड़ियां, मनीपुर और उड़ीसा में विमान द्वारा सप्लाई पहुंचायी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) चार प्रतिशत ।

(ख) पहले के एक ठेके में, इंडियन एयरलाइस कारपोरेशन को ३ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत तक हानि की अनुमति दी गयी थी लेकिन इंडिया एयरफोर्स द्वारा सप्लाई पहुंचाने के लिए ऐसी कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गयी थी ।

१९६०-६१ में कलिंग एयरलाइन्स को हुई कुल हानि अभी अन्तिम रूप से तय नहीं की जा सकी है । इसलिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा इंडियन एयरफोर्स को हुई हानि के साथ उसकी तुलना करना संभव नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जुलाई, १९६० और अप्रैल, १९६१ के बीच नेफा, असम की मिजो पहाड़ियां, मनीपुर और उड़ीसा क्षेत्रों में पहुंचाये गये माल के माहवार आंकड़े बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९१**] ।

सरकारी स्थानों में अनधिकृत रूप से रहने वालों का सामान

†४६८१. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्थानों में अनधिकृत रूप से रहने वालों का सामान एस्टेट्स आफिस में पड़ा हुआ है ; और

(ख) कब से तथा कितने व्यक्तियों का ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). सरकारी स्थानों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों की, जिन्हें सरकारी स्थान (अधिनिष्कासन) अधिनियम, १९५० और सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत रूप से रहने वालों का अधिनिष्कासन) अधिनियम, १९५८ के अनुसार वहां से निष्कासित किया गया था, कुछ चीजें २८ जून, १९५१ से ११ नवम्बर, १९६० तक के बीच की विभिन्न तिथियों से लेकर एस्टेट्स निदेशालय में पड़ी हैं। इस तरह के २७ मामले हैं ।

निष्क्रांत सम्पत्ति

†४६८२. **श्री राम सेवक यादव**: क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में ८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा २७ (१क) के अन्तर्गत प्राप्त कोई आवेदन पत्र रिकार्ड में से गुम है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस मामले के बारे में सुनवाई की अब तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई भी आवेदन पत्र सुम नहीं है। यदि मंत्रालय के ध्यान में कोई विशेष मामला लाया जायेगा तो उसकी जांच की जायेगी।

भारतीय सेना म गुरखा सैनिक

†४६८३. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के गुरखा सैनिकों को अन्य देशों में भेजने के बारे में नेपाल सरकार के साथ कोई समझौता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने नेपाल सरकार को भारतीय सेना के गुरखा दस्तों को भारत से बाहर भेजने की सूचना देना मान लिया है।

श्री शंकर पिल्ले की पत्नी को मुआवजा

†४६८४. **श्रीमती मंजूला देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के श्री शंकर पिल्ले की, जिनकी अभी हाल में ओटावा में हत्या कर दी गयी थी, पत्नी को कोई मुआवजा दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे पदार्थों की कमी

†४६८५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को कच्चे माल की कमी के बा में २० अप्रैल, १९६१ के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ; और

(ग) स्थिति को संभालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में लघु उद्योगों का विकास बड़ी तेज गति से हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ उद्योगों की, विशेषत: उन उद्योगों की जो धातुओं पर आधारित हैं और जिन्हें आयातित

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे माल की आवश्यकता है, मांग सप्लाई मे अधिक तेजी से बढ़ रही है और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस फर्क को यथेप्ट रूप मे दूर नहीं किया जा सका। भारत भर में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, छोटे पैमाने के उद्योग इस कमी का अनुभव कर रहे हैं।

लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति ने छोटे कारखानों के लिए देश में नियंत्रित कच्चे माल की कमी के बारे में जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की है। समिति इस समस्या को सुलझाने के तरीकों के बारे में भी रिपोर्ट देगी।

देश भर में छोटे उद्योगों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(क) जून, १९६१ से पहले केवल छोटे पैमाने के उद्योगों को वितरण करने के लिए ४०,००० टन इस्पात की चादरें, तार और 'वायर-राड' का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है। राज्यों के उद्योग निदेशकों को इस सम्बन्ध में पहले ही आवंटन किया जा चुका है। ३००० टन टिन-प्लेट के आयात का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा विनिमय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न किस्मों के ९०००० टन इस्पात में से, छोटे पैमाने के कारखाने अपने कोटा प्रमाण-पत्रों के अनुसार माल ले सकते हैं। राज्यों के उद्योग-निदेशकों को इसकी सूचना दी जा चुकी है।

(ग) लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा एस० एस० आई० कोटा के अन्तर्गत प्रत्येक छिमाही में चादरों, वायर, प्लेट, बार और राड्स के आवंटन के १/३ के बराबर इस्पात का आयोजन और वितरण उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(घ) १९६१–६२ के दौरान केवल छोटे पैमाने के उद्योगों को वितरण के लिए विभिन्न किस्म के, जिनकी कमी है, १ लाख टन और इस्पात का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा 'रिलीज' करने के लिए वित्त मंत्रालय से कहा गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों को तांबा और जस्ता, राज्यों के उद्योग-निदेशकों की सिफारिशों पर और उस कारखाने द्वारा बनाई जाने वाली चीजों के महत्व और इन कारखानों द्वारा भूतकाल में इन धातुओं के खपत को देखते हुए 'रिलीज' किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश में विदेशी मुद्रा की कमी के बावजूद देश भर में छोटे पैमाने के उद्योगों को तांबे और जस्ते के आवंटन में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। देश में छोटे पैमाने के उद्योगों को आज कल कुल जितना धातु मिल रहा है वह १९५६ में उनकी खपत से दुगुना है।

टिन का वितरण सरकार द्वारा नहीं किया जाता। इसका आयात सुस्थापित आयातकों द्वारा किया जाता है। और मार्केट में उपलब्ध है।

भारत के नियोजकों का संघ [1]

†४६८६. **श्री प्र० चं० बरूआ:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में अभी हाल में भारत के नियोजकों के संघ की २८वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सरकार की मजूरी सम्बन्धी नीति के बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे अथवा मत प्रकट किये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Employers' Federation of India.

(ख) इनके बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : नियोजकों के संघ की २८वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्रकट किये गये मत समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं । भारत सरकार की मंजूरी सम्बन्धी नीति बनाते समय, जिसका प्रतिपादन पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है, मालिकों और कर्मचारियों के संगठनों के विचारों और अन्य सभी सम्बन्धित बातों पर ध्यान रखा जाता है ।

राज्य व्यापार निगम क लिये अयस्कों पर बिक्री कर की छूट

†४६८७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को अपने सहयोगियो से खरीदे गये अयस्कों पर बिक्री-कर अदा न करने की छूट दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के खान मालिकों से राज्य व्यापार निगम को बेचे गये अयस्कों पर बिक्री कर लिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उनसे कितना बिक्री-कर लिया जा रहा है; और

(घ) क्या उड़ीसा के खान-मालिकों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). जानकारी इकटठी की जा रही है और उसे यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मैसूर में छोटे पैमाने के उद्योग

†४६८८. **श्री सुगन्धि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में लघु उद्योग योजना के शुरू होने के पश्चात इस योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के कितने उद्योग शुरू किये गये; और

(ख) मैसूर राज्य में इन उद्योगों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मैसूर राज्य में लघु उद्योग योजना के शुरू होने के पश्चात् दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ९०० छोटे पैमाने के कारखाने स्थापित किये गये । प्रत्येक वर्ष लगभग १५० से लेकर २०० तक कारखाने खोले गये ।

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों को मार्च, १९६१ तक कुल १०८.४५ लाख रु० ऋण दिया गया । स्रोत निम्नलिखित हैं :

	रुपये
१. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	२०,००,०००
२. उद्योगों का राज्य-सहायता अधिनियम	२७,८३,४५०
३. मैसूर केन्द्रीय सहकारी ग्राम्य औद्योगिक वित्त बैंक लिमिटेड	४१,५९,१३५
४. मैसूर राज्य वित्त निगम	१९,०२,०००
जोड़	१०८,४४,५८८

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के लिये सीमेंट

†४६८९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, १९६१ में प्रत्येक महीने कितने बोरी सीमेंट का आवंटन किया गया ;

(ख) इन चार महीनों में प्रत्येक महीने उड़ीसा को रेल द्वारा कितना सीमेंट भेजा गया; और

(ग) इस समय उड़ीसा में सीमेंट की मांग कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) उड़ीसा को जनवरी, १९६१ से लेकर आवंटित किये गये और भेजे गये सीमेंट का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

महीना	आवंटित (बोरियों में)	जितना भेजा गया
जनवरी, १९६१	१,९४,०००	२,९६,८६०
फरवरी, १९६१	२,५४,०००	२,०४,३६०
मार्च, १९६१	१,९४,०००	२,२३,२४०
अप्रैल, १९६१	१,९४,०००	(आंकड़े उपलब्ध नहीं)

(ग) प्रतिमास २६,२२० मीट्रिक टन अथवा ५,२४,४०० बोरी ।

डी–१ और डी–२ वर्ग के क्वार्टर

†४६९०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में १ मई, १९६१ को डी-२ और डी-१ वर्ग के (नियमित और विशेष दोनों) कितने क्वार्टर आवंटन के लिये उपलब्ध होंगे और वे किन इलाकों में स्थित हैं;

(ख) १ मई, १९६१ को दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी, यद्यपि उन्हें डी-१ वर्ग के क्वार्टर प्राप्त करने के अधिकार है, 'जी', एफ' अथवा 'ई' श्रेणी के क्वार्टरों में रह रहे हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने कर्मचारियों को उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित क्वार्टर अलाट किये जायेंगे और कब;

(घ) प्राथमिकता तिथि के हिसाब से किस वर्ष तक के लोगों को आवंटन किया जायेगा ;

(ङ) क्या आवंटन करते समय आवेदकों द्वारा बतायी गयी इलाकों सम्बन्धी प्राथमिकता को ध्यान में रखा जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) डी-२ और डी-१ श्रेणी के किसी क्वार्टर का निर्माण नहीं हो रहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जो कर्मचारी 'डी-१' श्रेणी के निवास-स्थान के अधिकारी हैं उनमें से ९६ 'ई' श्रेणी, १७ 'एफ' श्रेणी और १ 'जी' श्रेणी के क्वार्टर में रह रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) १ अप्रैल, १९५३ से पहले की 'प्राथमिकता तिथि' वाला कोई कर्मचारी 'डी-१' अथवा 'डी-२' श्रेणी के निवास-स्थान के आवंटन की प्रतिरक्षा नहीं कर रहा।

(ङ) और (च). आवंटन के समय, आवेदन पत्रों में दी गयी प्राथमिकताओं को सामने रखा जाता है, बशर्ते कि उन इलाकों में स्थान उपलब्ध हो।

बागान श्रमिकों को शिक्षा

†४६९१. **श्री नारायण स्वामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रमिक कल्याण निधि की सहायता से बागान श्रमिकों की शिक्षा के बारे में क्या प्रगति हुई; और

(ख) इस अवधि में इस कार्य पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवतः कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाओं के बारे में बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों से है। इन उपबन्धों को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और प्रत्येक राज्य में इस कार्य की प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के लिये तेल शोधक कारखाने की गैस

†४६९२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के लिये तेलशोधक कारखाने की गैस के बारे में बर्मा शैल और भारत के उर्वरक निगम के बीच अभी हाल में कोई ठेका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गैस सप्लाई की जायेगी; और

(ग) किन शर्तों पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) ५८०,०००—१०६ किलोकैलोरी/ऐन्नम।

(ग) इस करार की एक प्रति लोक-सभा पुस्तकालय में रखवा दी गयी है।

भारतीय उत्पादकता दल की विदेश यात्रा

†४६९३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी एक भारतीय उत्पादकता दल ने अभी हाल में पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने एक रिपोर्ट पेश की है; और

(ग) इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) इस दल की मुख्य सिफारिशों की जानकारी देने वाला एक विवरण **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०२९६८/६१]** संलग्न है ।

औद्योगिक नियोजकों का अखिल भारतीय संगठन

†**४६९४. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नियोजकों के अखिल भारतीय संगठन के प्रधान ने संगठन के २८वें अधिवेशन में अपने भाषण में सरकार श्रम नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) इन के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान-पद से दिया गया भाषण देखा जा सकता है ।

(ग) विशिष्ठ समस्याओं को निपटाने के समय सरकार सभी विचारों और सिफारिशों का ध्यान रखती है ।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन

†**४६९६. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अखिल भारतीय निर्माता संगठन की अभी हाल में हुई बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें/सुझाव दिये गये थे; और

(ख) इनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त इस प्रकार के सब भाषणों, वक्तव्यों और संकल्पों की निरन्तर जांच होती रहती है और नीति सम्बन्धी निश्चय करते समय उन पर ध्यान रखा जाता है ।

कारखानों के लिये देशी रूई का कोटा

†**४६९७. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों के लिए देशी रुई के 'कोटों' की घोषणा में विलम्ब होने के परिणाम-स्वरूप देश के विभिन्न भागों में रुई के भारी स्टाक जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) देर के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी

†४६९८. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी के लगभग ६०० अराजपत्रित पदाधिकारियों को इस भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती के वास्तविक हस्तान्तरण के पश्चात अपने वेतनों में मिलने वाली वार्षिक वृद्धि प्राप्त नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पांडिचेरी विधान सभा ने अक्तूबर, १९६० में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके पांडिचेरी विधान सभा के वित्त आयोग को २५ रु० की सिफारिश के अनुसार ३५ रु० प्रति मास वृद्धि करने की सिफारिश की थी; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं। सभी स्थायी कर्मचारियों को, जिनमें अराजपत्रित पदाली के पदाधिकारी भी शामिल हैं, नियमों के अनुसार ग्राह्य वेतन-वृद्धि प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) मामला अभी विचाराधीन है।

सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति का आवंटन और हस्तान्तरण

†४६९९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के अलाटमेंट और हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाले पारिवारिक झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करती; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मूल आवंटन आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है और सम्पत्ति को उसके वर्तमान काबिज़ों के नाम संयुक्त रूप से हस्तान्तरित कर सकती है जबकि सम्पत्ति केवल एक ही व्यक्ति के नाम हो, जिसे कि यह सम्पत्ति मुआवजे के रूप में दी गयी हो और जबकि उसने सरकार को किराये और लागत के रूप में सारी अदायगी कर दी हो ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). सरकार सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के आवंटन और हस्तान्तरण से उत्पन्न झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करती। यह मंत्रालय के ध्यान में कोई विशेष मामला लाया जायेगा, तो उसकी जांच की जायेगी।

जंजीबार को भेजी गयी भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के बारे में शिकायत

†४७००. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार के आयातकर्ताओं ने राज्य व्यापार निगम के उस प्रतिनिधिमण्डल से, जो कि हाल ही में उस देश को गया था, भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं की किस्म के सम्बन्ध में असंतोष जाहिर किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या क्या शिकायतें हैं और उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जंजीबार के कुछ लोहे के सामान के आयातकर्ताओं ने राज्य व्यापार निगम के एक पदाधिकारी ने भारतीय तालों, कब्जों और सांकलों की किस्म के सम्बन्ध में असंतोष जाहिर किया है। ये वस्तुएं कलकत्ता के किन्हीं व्यापारियों द्वारा भेजा गया था। कब्जे अंग्रेजी किस्म के कब्जों की तुलना में अधिक भारी हैं और ताले और कुंडियां एक समान किस्म की नहीं थीं। इसी प्रकार से पानी के नलों का सामान भी ठीक नहीं थे। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद का ध्यान इन शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ताकि वह इन त्रुटियों को दूर करने के लिये निर्माताओं से बातचीत करे।

सिनेमा शो देखने वाले विद्यार्थी

†४७०१. श्री वी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सिनेमा घरों में मेटिनी शो देखने के लिये विद्यार्थियों को अनुमति है;

(ख) क्या यह सच है कि मेटिनी शो के कारण विद्यार्थी अपने स्कूलों और कालेजों में अनुपस्थित रहते हैं; और

(ग) विद्यार्थियों और नवयुवकों को मेटिनी शो में जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) दिल्ली सिनेमा फिल्म नियम, १९५३ के नियम ४५ के खण्ड (१२) के अधीन १८ वर्ष की आयु से कम आयु के किसी व्यक्ति को ५ बजे शाम से पहले वाले किसी भी शो को देखने की अनुमति नहीं है। हां, शनिवार, रविवार और मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी भी छुट्टी के दिन या १ मई से १४ जुलाई तक किसी भी दिन यह रोक नहीं होती।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रतिरक्षा मंत्री की विदेश यात्रा

४७०२. श्री खुशवक्त राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ३ वर्षों में प्रतिरक्षा मंत्री जब-जब विदेश गये हैं तब-तब प्रतिरक्षा मंत्रालय के या बाहर के कौन-कौन व्यक्ति उनके साथ गये;

(ख) उन पर हर बार कितना व्यय हुआ; और

(ग) उनके लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय ने किया या उसका प्रबन्ध उन व्यक्तियों ने स्वयं किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५८, १९५९, १९६० में प्रतिरक्षा मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय शिष्टमंडल के नेता थे। इन तीनों अवसरों पर प्रतिरक्षा मंत्रालय से जो एकमात्र व्यक्ति उनके साथ गया वह प्रतिरक्षा मंत्री के निजी सचिव, श्री आर० भंडारी थे। इसके अतिरिक्त १९५९ और १९६० में योजना आयोग के सदस्य श्री कृष्ण मेनन के साथ उनके निजी सचिव श्री एम० वी० नायर भी साथ गये थे। अन्य व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

†मूल अंग्रेजी में

जून-जुलाई १९६० में, प्रतिरक्षा मंत्री घाना के स्वाधीनता समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां गये थे। तब उनके साथ कोई भी नहीं गया था।

प्रतिरक्षा मंत्री ने जब सितम्बर, १९६० में श्रीलंका की यात्रा की तब उनके साथ उनके निजी सचिव, श्री आर० भंडारी और विदेश मंत्रालय के उपसचिव डाक्टर वी० राजन थे।

(ख) इन वर्षों के दौरान में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शिष्टमंडलों पर जो खर्च किया गया, वह इस प्रकार है :

१९५८ में	४,२२,०००	रु०
१९५९ में	३,४१,०००	रु०
१९६० में . .	४,२०,०००	रु०

ये रकमें संयुक्त राष्ट्र के सम्पूर्ण भारतीय शिष्टमंडल पर खर्च की गई। श्रीलंका और घाना की यात्रा में प्रतिरक्षा मंत्री के साथ जाने वाले लोगों पर कोई रक़म खर्च नहीं की गई।

(ग) विदेश मंत्रालय ने आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया था।

रिक्शा खींचना

†४७०३. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों में रिक्शा खींचने के कार्य को धीरे-धीरे समाप्त कर देने के सरकारी निर्णय के पालन में किये गये उपायों में कहां तक सफलता मिली है;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के मार्ग में कोई कानूनी अड़चनें पड़ गयी हैं;

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में रिक्शा के स्थान पर आटोरिक्शा चलाने के सम्बन्ध में कोई सहकारी आन्दोलन चलाया गया है और उस कार्य में कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) सरकार द्वारा इस आन्दोलन को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). रिक्शा केवल शहरों में ही नहीं अपितु ग्राम्य क्षत्रों में भी अधिक संख्या में चलायी जा रही है ; मांगी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं है और उसे इकटठा करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह उस से प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप न होगा।

स्थगन प्रस्ताव

स्वदेशी काटन मिल्स में तालाबन्दी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ सर्व श्री स० मो० बनर्जी और तंगामणि से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

"स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर में अवैध तालाबन्दी से, जिस के परिणाम स्वरूप १०००० व्यक्ति बेकार हो गये उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता। क्योंकि यह मामला

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यभार बढ़ाने और अनुशासन संहिता से संबंध रखता है अतः केन्द्र का इस मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य है।"

मैं श्री स० मो० बनर्जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विषय किस प्रकार केन्द्र के दायित्व के अधीन आता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर): केवल स्वदेशी काटन मिल ही एक ऐसी मिल है जिस ने ९ घंटे की पारी आरम्भ की है। इस प्रकार कार्यभार बढ़ाने के संबंध में मजदूरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया गया। सोलहवें और सत्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार इस संबंध में मजदूरों की राय जाननी आवश्यक है और मजदूरों का यह सुझाव है कि यह विषय मध्यस्थ निर्णय से तय होना चाहिये।

श्रमिकों ने विधिवत हड़ताल की पूर्व सूचना दी थी तथापि प्रबन्धकों ने बातचीत करने से इन्कार कर दिया और तालाबन्दी कर दी :। अतः यह तालाबन्दी अवैध है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इस मामले में निश्पक्ष जांच करे।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : केवल विशेष अवस्थानों में ही किसी कारखाने को आठ घंटों से अधिक समय काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि इस मिल को ९ घंटे काम करने की अनुमति दी गयी है। कारखाना अधिनियम के अधीन काम के घंटों संबंधी दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : यह विषय राज्य सरकार के अधीन है तथापि मैं निम्न-लिखित वक्तव्य देना चाहता हूं ।

१९५३ में मिलों में पारियों के समय पर हुए विवाद के उपरांत प्रादेशिक समझौता अधिकारी कानपुर ने इस संबंध में एक समझौता किया। यह फरवरी २१, १९५४ से लागू हुआ ? तब से मिलों का कार्य उस आधार पर चल रहा है।

८ मार्च १९६१ को सूती मिल मजदूर सभा ने इस आशय का नोटिस दिया कि यदि पारियों का समय १९५४ के पूर्व के समय के अनुसार नहीं बदला जायेगा तो मजदूर २५ मार्च १९६१ से हड़ताल कर देंगे। मजदूरों के अनुरोध पर राज्य सरकार ने पुराने बोर्ड की, जिसने यह समझौता किया था उस की एक बैठक बुलाई। बोर्ड की बैठक में मजदूर पारी के घंटों में परिवर्तन करने के कोई संतोषजनक कारण नहीं दे सके। बोर्ड ने अगली बैठक में विचार करने के लिये उन से अतिरिक्त आंकड़े मांगें। प्रबन्धक इस मामले को मध्यस्थ को सौंपने को तैयार हो गये तथापि मजदूरों के प्रतिनिधि इस बात पर तैयार नहीं हुए। वह सोमवार की पारी को एक घंटा कम करने को भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने २५ मार्च के २ बजे से हड़ताल कर दी। तदुपरांत उन्होंने १ अप्रैल से १७ अप्रैल के बीच में देर पर आना और जल्दी जाना आरम्भ किया । उन्होंने धीमा काम करना आरम्भ किया। कारखाने में अनु-शासनहीनता फैल गई। इस पर प्रबन्धकों ने १ मई से तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

राज्य सरकार ने इस मामले को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद के अधिनियम के अधीन इसे समझौता अधिकारी को भेजने को कहा है। तथापि अभी संघ के नेताओं ने अपनी सहमति नहीं प्रगट की है। राज्य सरकार के कथनानुसार यह हड़ताल नितांत अनुचित है। यह अनुशासन संहिता के विरुद्ध है। यह मामला राज्य सरकार के अधीन है और वहां की औद्योगिक व्यवस्था, विवाद का शीघ्र, निप-टारा करने का प्रयत्न कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह ज्ञात होता है कि यह पूर्णतः राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं है। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): नियम १९७ के अन्तर्गत म अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना है कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की अभी हाल की हड़ताल '

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : २० सितम्बर १९६० को दिल्ली प्रशासन ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ के अधीन एक अधिनियम जारी किया, जिसके अधीन दिल्ली के संघ राज्य क्षत्र में गृह निर्माण तथा सड़कों की मरम्मत के काम में लगे हुए मजूरों के न्यूनतम वेतन में परिवर्तन किया गया।

११ अप्रैल, १९६१ को राज्य के अधीन आने वाले ६०० मजदूरों ने इस आधार पर हड़ताल कर दी कि मकानों का निर्माण करवाने वालों ने अधिसूचित पुनरीक्षित दरों को लागू नहीं किया। दो दिन बाद सभी मजदूर काम पर लौट गये। चार दिन बाद राज्य तथा केन्द्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों के मकान बनाने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी और दिल्ली प्रशासन द्वारा पुनरीक्षित दरों की मांग करने लगे। राज्य क्षेत्र में यह हड़ताल समाप्त हो गयी है। केन्द्रीय क्षेत्र में भी यह हड़ताल नहीं रही है।

केन्द्रीय क्षेत्र अधीन मजदूरों की मजूरी को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन निश्चित दर तक बढ़ाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: पांच अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यद्यपि नियम संख्या १९७(३) के अधीन एक दिन में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि आज अंतिम दिन होने के कारण पांचों प्रस्तावों को आर्डर पेपर में स्थान दिया गया है। उन प्रस्तावों के संबंध में वक्तव्यों को तत्संबंधी मंत्री सभा पटल पर रख देंगे।

(२) पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबंध संख्या ९२**]

(३) रानी गंज कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ खानों में होने की घटनायें

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं। **देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९३**]

---

†मूल अंग्रजी में

(४) व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९४]

(५) पूर्वोत्तर सीमांत अधिकरण सीमांत डिवीजन में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में शस्त्रागार से शस्त्रास्त्रों का कथित गायब हो जाना

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९५] ।

अलीपुर खंड क्षेत्र में बाढ़ के कारण

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९६] ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष १९५९–६१ के लिये संगठन और रीति विभाग का प्रतिवेदन

†सभा कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं वर्ष १९५९–६१ के लिये संगठन और रीति विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २९४८/६१]

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५९–६० और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६१

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (सैनिक), १९५९–६० (वाणिज्यिक लेखे प्रपत्र सहित) और लेखा-परीक्षा, प्रतिवेदन १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २९४९/६१]

आश्वासनों वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को बताने का विवरण

†सभा कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बतानेवाला निम्नलिखित विवरणों की एक -एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या२—तेरहवां सत्र, १९६१

[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ९७]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५—बारहवां सत्र, १९६०

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९८]

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(३) अनुपुरक विवरण संख्या ९—ग्यारहवां सत्र, १९६०

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९९]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४—दसवां सत्र, १९६०

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १००]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८—आठवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०१]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २२—छठा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०२]

रासायनिक खाद (लाने ले जाने में नियंत्रण) संशोधन आदेश १९६१

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शे० देशमुख)** : मैं अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या ज ० ए ० आर० ५६१ में प्रकाशित रासायनिक खाद (लाने ले जाने नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९५६/६१]

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा समवाय के कार्य की टिप्पणी

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अगस्त, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९५७/६१]

नमक उद्योग के विकास के बारे में सिफारिशों पर सरकार के निर्णय बताने वाला संकल्प

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं दिनांक ३ मई, १९६१ के संकल्प संख्या १८(४)/५९—साल्ट की एक प्रति जिसमें नमक उद्योग के विकास से संबंधित कुछ विषयों पर विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये हुये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९५८।६१]

---

†मूल अंग्रजी में

त्रावनकोर फारवर्ड बैंक लिमिटेड के पुर्ननिर्माण की योजना

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९८९ में प्रकाशित त्रावनकोर फारवर्ड बैंक लिमिटेड के पुर्ननिर्माण तथा उसके स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाये जाने की योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९५९/६१]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) छठा संशोधन नियम १९६१

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६५ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छठा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९६०/६१]

उड़ीसा भूमि सुधार नियम १९६१ और उड़ीसा सिंचाई नियम, १९६१

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): मैं निम्नलिखित नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा भूमि सुधार एक्ट, १९६० की धारा ७५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की उड़ीसा गजट अधिसूचना संख्या १९७६७—री—१/६१ आर में प्रकाशित उड़ीसा भूमि सुधार नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९६१/६१]

राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा सिंचाई एक्ट, १९५९ की धारा ५३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ मई, १९६१ की उड़ीसा गजट अधिसूचना संख्या २०४६४—३—डब्ल्यू—१२।६१—प्रार में प्रकाशित उड़ीसा सिंचाई नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९६२/६१]

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं २४ अप्रैल, १९६१ को रखे गये राउरकेला परियोजना में आदिवासी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के संबंध में अग्रेतर जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०३]

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की तेरहवें सत्र में हुई बीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्रीमती उमा नेहरू** (सीतापुर) : मैं याचिका समिति की तेरहवें सत्र में हुई बैठकों (इक्यावनवीं और चौवनवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखती हूं ।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों संबंधी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति और परिवहन तथा संचार, निर्माण, आवास और संभरण, वाणिज्य तथा उद्योग, प्रतिरक्षा और खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों के बारे में ११५वीं, ११६वीं, ११९वीं, १२०वीं, १२१वीं, १२४वीं, और १३२वीं रिपोर्टों से संबंधित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं उन विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें संसद के सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है ।

तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६१ औद्योगीकरण रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक १९६१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ पंतीसवां, एक सौ छत्तीसवां और एक सौ सेंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं :—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग)—ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के बारे में प्राक्कलन समिति को, अड़तीसवीं प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय--केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में प्राक्कलन समिति के तेईसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ छत्तीसवां प्रतिवेदन ।

(३) गृह-कार्य मंत्रालय--अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में प्राक्कलन समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्भकोणम्) : मैं फरीदाबाद विकास बोर्ड--टेक्निकल संस्थान के संचालन में हानि और इस हानि में भारतीय सहकारी संघ के उत्तरदायित्व के अंश के बारे में लोक लेखा समिति की सैंतीसवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†श्री उमा नेहरू (सीतापुर) : मैं याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर में शुद्धि

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : दिल्ली में राजस्थान सरकार की सम्पत्ति के बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर के तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के ८ दिसम्बर, १९६० के उत्तर के संबंध में यह कहा गया था कि उदयपुर हाउस का एक तिहाई किराया भूतपूर्व महाराजा को दिया जाता है । सही स्थिति यह है कि भूतपूर्व महाराजा को कोई किराया नहीं दिया जाता है । इसका पूरा किराया राजस्थान सरकार को दिया जाता है ।

जिला त्रिवेन्द्रम पूंजी कुन्नू में विस्फोट के बारे में वक्तव्य

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): १९ अप्रैल, १९६१ को त्रिवेन्द्रम जिले के पूंजीकन्नू नेमोम में फूस के एक शेड में एक विस्फोट हुआ । उसके फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई--एक की तो घटना स्थल पर ही और दो की अस्पताल में । वे दोनों मृत्यु से पहले कोई बयान नही दे पाये । दो अन्य व्यक्तियों के भी शरीर झुलस गये । उनकी चिकित्सा हो रही है । शेड की छत और पड़ोस का एक मकान आग में भस्म हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

दक्षिण सर्किल मद्रास के एक विस्फोटक पदार्थों के सहायक इन्स्पैक्टर ने २४ अप्रैल, १९६१ को घटना स्थल पर जाकर प्रारम्भिक जांच पड़ताल की। उससे पता चला है कि वहां गंधक और क्लोरेट का एक निषिद्ध मिश्रण मौजूद था। शायद उसी मिश्रण में असावधानी के कारण आग भड़क उठी थी। संदेह इस बात का है कि वहां बिना अनुज्ञप्ति के आतिशबाजी का अवध विस्फोटक सामान तैयार किया जा रहा था। उसकी ब्यौरेवार रासायनिक परीक्षा के लिये नमूने इकट्ठे कर लिये गये हैं। इस घटना की न्यायिक जांच के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

कॉफी (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काफी अधिनियम, १९४२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम, १९४२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : इसका मतलब यह है कि आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं होगी। जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था। इस प्रकार क्रम बदलने से काफी असुविधा हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा स्थगित करने से कोई हानि नहीं होगी । क्रम इसलिये बदला गया है कि इस विधेयक को आज ही प्रवर समिति को सौंपना जरूरी है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर, संशोधन करने वाले विधेयक को, २१ सदस्यों, अर्थात् श्री अगाड़ी, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री अय्याकणु, श्री पु० ब० बनर्जी, श्री नौशीर भरूचा, श्री भटकर, चौ० रणवीर सिंह, श्री न० रं० घोष, श्री यादव नारायण जाधव, श्री झुनझुनवाला, श्री लीलाधर कटकी, डा० सुशीला नायर, श्री सरजू पाण्डेय, श्री ना० नि० पटेल, श्री बाला साहिब पाटिल, श्री राम गरीब, श्री रामी रेड्डी, श्री रा० च० शर्मा, श्री शोभा राम, श्री सिंहासन सिंह और श्री जगजीवन राम की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

इस विधेयक का पाठ माननीय सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है । यह पशुओं और माल को ढोने के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन के दायित्व सम्बन्धी वर्तमान विधि में एक आधारभूत परिवर्तन करता है ।

हमारे देश में रेलवे की हैसियत एक सुपुर्दवार की रही है, जो कि अन्य देशों में रेलवे का दायित्व सामान्य वाहक का ही रहता है ।

रेलवे भाड़ा जांच समिति (१९५५–५७) को इस प्रश्न की जांच का काम सौंपा गया था । उसने यही सिफारिश की है कि रेलवे को सामान्य वाहक का ही दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये । समिति ने विचार प्रकट किया है कि इससे आम जनता को बड़ा संतोष होगा और इस परिवर्तन से रेलवे की प्रशासकीय व्यवस्था में भी बड़ा सुधार हो जायेगा । माल की क्षति कम होगी ।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । अब रेलवे सामान्य वाहक का दायित्व लेगी ।

प्रस्ताव यह है कि माल या पशुओं की क्षति, खो जाने या उसके बिगड़ने का दायित्व रेलवे अपने ऊपर, प्रस्तावित धारा ७३ के अनुसार लेगी ।

जब रेलवे यह दायित्व संभाल लेगी, तो रेलवे द्वारा माल लाने-ले जाने के दौरान माल के खोने या उसे क्षति पहुंचाने का दायित्व रेलवे पर रहेगा । जब तक कि यह प्रमाणित न किया जाये कि किसी नसर्गिक कारण या युद्ध के कारण वह नुकसान पहुंचा है । इस धारा की व्यवस्था का फल यह होगा कि अभी रेलवे जिन मामलों में मुआविजा नहीं देती, उनको भी दिया करेगी । रेलवे को यह प्रमाणित करना पड़ेगा उसने पशुओं या माल के लाने -ले जाने में समुचित सावधानी बरती है ।

नतीजा यह होगा कि अब रेलवे को अधिक मामलों में मुआविजा देना पड़ेगा ।

एक अन्य प्रस्तावित संशोधन यह है कि यदि गंतव्य स्थान की रेलवे सीमा से निर्धारित समय के अन्दर माल नहीं उठाया जायेगा, तो रेलवे गंतव्य स्थान पर माल पहुंचने के बाद तीस दिन तक के लिये उसके सुपुर्दवार का दायित्व संभालेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

मोटे तौर पर इसकी यही रूपरेखा है । प्रवर समिति इस की सभी व्यवस्थाओं पर अधिक ब्यौरेवार ढंग से विचार कर सकेगी। इसीलिये मैं ने इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ !

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं लेना चाहता हूं। पिछले दिनों अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया था तब आप ने कहा था कि रिपोर्ट आने पर इसी अधिवेशन में हम उस पर विचार करेंगे, शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर जब चर्चा हुई थी तब भी स के लिये कहा गया था कि इस प्रश्न को न छेड़ा जाये। क्योंकि इस प्रश्न पर सेपरेट बहस होगी । आज जब यह अधिवेशन समाप्त हो रहा है, तो मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि अगले अधिवेशन में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की रिपोर्ट पर बहस होगी तो इस विषय को भी उस के साथ लिया जायेगा या अलग से विचार होगा । इसके सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आज शुक्रवार है इसलिये फुर्सत नहीं मिलेगी ।

क्या समिति का प्रतिवेदन पटल पर रख दिया गया है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब इसे सरकार की ओर से प्रस्तावित किया जायेगा । यदि वहन करे, तो माननीय सदस्य कर सकते हैं। लेकिन आज उसके लिये समय नहीं मिल पायेगा ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे इस पर अधिक विचार करने का अवसर नहीं मिल पाया है ।

इसके द्वारा रेलवे अपने ऊपर एक बड़ा दायित्व ले रही है । अभी माल यातायत से रेलवे को २५० करोड़ रुपये की आय होती है । यह व्यवस्था बड़ी अच्छी है कि माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के बाद रेलवे ३० दिन तक उसकी सुपुर्दवार रहेगी । रेलवे भाड़ा टीका जांच समिति की यही सिफारिश है ।

खोये हुए या क्षतिग्रस्त माल के लिये रेलवे को १९५८–५९ में ३.२९ करोड़ रुपये अदा करने पड़े थे । इस वर्ष वह कुछ और भी बढ़ गयी है । इसमें समुचित सावधानी के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इतना रुपया कर्मचारियों को क्यों न दे दिया जाये, और उनसे कहा जाये कि चोरियां न होने दें ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : कर्मचारी हमेशा इसके लिये जिम्मेदार नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वे कभी नहीं होते । यदि वे चोरियों का पता लगायें, तो उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिये ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हम पुरस्कार देते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कभी कभी देते हैं ।

मैं चाहता हूं कि इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाये ।

दावों के बारे में प्रशासन को सावधानी रखनी चाहिये । उनके निबटारे में विलम्ब नहीं होना चाहिये । माल भेजने वालों में विश्वास पैदा करना जरूरी है । रेलवे को उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये जो पार्सल द्वारा भेजे जाने वाले माल का गलत विवरण देते हैं ।

मैंने देखा है कि औषध का विवरण देकर अलकोहल भेजा गया था। ऐसी चीजें रोकने के लिये रेलवे प्रशासन को अधिक सतर्कता से काम लेना चाहिये । पता लगने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अपने विधेयक को पुरःस्थापित करना भूल गया हूं । यदि आप अनुमति दें, तो मैं उसे अब पुरःस्थापित कर दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिये अभी कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती । श्री दातार की ओर से, श्री जगजीवन राम को मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दूंगा ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : इस विधेयक को सभा के सामने और पहले आना चाहिये था । सरकार ने रेलवे प्रशासन के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी । इस विधेयक में उस समिति की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है । अब व्यवस्था की जा रही है कि जल्द बिगड़ने वाले माल को यदि नीलाम के जरिये बेचा जायेगा, तो उससे प्राप्त होने वाली रकम माल के स्वामी को दे दी जायेगी । यह बड़ा अच्छा है ।

इस विधेयक की सब से महत्वपूर्ण व्यवस्थभ है माल लाने ले जाने के दौरान रेलवे के दायित्व के सम्बन्ध में । इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है । अब बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है कि रेलवे माल के यातायात के दौरान उसकी हिफाज़त की ओर समुचित ध्यान देगी । उसका दायित्व, सामान्य वाहक का दायित्व, रेलवे संभालेगी । रेलवे केवल कुछ ही परिस्थितियों में क्षति का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगी । दंगों, सामाजिक अशांति, हड़तालों,

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

तालाबन्दियों, इत्यादि की परिस्थिति में रेलवे उत्तरदायी नहीं रहेगी । हड़तालों और तालाबन्दियों या ऐसे ही श्रम विवादों के फलस्वरूप पहुंचने वाली क्षति का दायित्व रेलवे को अपने ऊपर लेना चाहिये । यदि ऐसा उपबन्ध नहीं होगा, तो कई त्रुटियां पैदा होने लगेंगी ।

एक यह व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है कि पार्सल में कितने मूल्य का माल था, इसे प्रमाणित करने का दायित्व माल भेजने वाले पर रहेगा ।

दूसरी यह व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है कि गंतव्य स्थान पर माल पहुंचने के तीस दिन बाद तक रेलवे उस माल की सुपुर्दवार रहेगी, अर्थात् उसे क्षति न पहुंचने देने की जिम्मेदारी रेलवे की रहेगी ।

इसकी उपधारा (२) में कहा गया है कि ३० दिन के बाद रेलवे पर यह दायित्व नहीं रहेगा । यह पर्याप्त नहीं है । ३० दिन का समय कम है, क्योंकि बहुधा माल भेजने या पाने वाले को सूचना भेजने में बड़ा विलम्ब हो जाता है । यदि यह व्यवस्था रखनी ही है, तो फिर यह भी होनी चाहिये कि सम्बन्धित व्यक्तियों को ठीक समय पर सूचित कर दिया जायेगा । व्यवस्था यह होनी चाहिये कि सूचना मिलने के ३० दिन बाद तक रेलवे का दायित्व रहेगा । उसके बाद नहीं ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह तो बड़ी लम्बी अवधि हो जायेगी ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : आप उसे और कम रख सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निशुल्क अवधि क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माल उतारने के लिये जो पांच घंटे का समय दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई दूर रहता है, तो पांच घंटे की अवधि से कैसे पूरा पड़ेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : हमने सामान्य ग्राहक का दायित्व अपने ऊपर लिया है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : सभी प्रकार के माल के लिये निःशुल्क अवधि चौबीस घण्टे है ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : मेरा मत है कि यह अवधि बहुत कम है । प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये । अवधि तो सूचना मिलने के बाद की ही रखी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको पता कैसे चलेगा कि माल गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे रसीद तो रहती है ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: फिर भी लोगों को हर रोज पार्सल दफ्तर में पूछने जाना पड़ता है कि माल आया या नहीं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : यदि उनके यहां टेलीफोन होता है, तो टेलीफोन द्वारा उनको सूचित कर दिया जाता है । फिर उनके दलाल भी रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगजीवन राम : जो लोग बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं, उनके अपने आदमी रहते हैं, प्रबन्ध रहता है। वे पता लगाते रहते है कि कब माल पहुंचा। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि समय पर सूचना नहीं मिलती। टेलीफोन द्वारा भी सूचित कर दिया जाता है। फिर पांच घण्टे माल उतारने के लिये पर्याप्त हैं।

भी-कभी तो बिना रेलवे रसीद के ही माल ले लिया जाता है। जल्दी बिगड़ने वाले माल के मामले में ऐसा ही किया जाता है।

†पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सूचना मिलने के बाद कुछ समय दिया जाना चाहिये। आशा है प्रवर समिति इस पर गहराई से विचार करेगी।

मैं इस विधेयक की व्यवस्थाओं का स्वागत करता हूं। आशा है प्रवर समिति इसकी त्रुटियां दूर कर देगी।

†श्री अरविन्द घोशाल : वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। माल खोने, उसे क्षति पहुंचने या बिगड़ने का एक मुख्य कारण यह है कि भ्रष्टाचारी तथा सजायाफ्ता लोगों के कुछ गुट देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाकायदा यही काम करते हैं। उनका यही पेशा है कि रेलवे में चोरियां कराई जायें।

रेलवे द्वारा भेजे गये माल के क्षतिग्रस्त होने या खोने के कारण जो दावे प्रतिकर के लिये किये जाते हैं उनके निबटारे में बड़ा विलम्ब होता है। उनमें कई अनियमिततायें भी होती हैं। उसमें भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश रहती है। इसलिये ऐसे दावों के मामले निबटाने के लिये कोई एकरूप प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

शालीमार गोदाम में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसे समाप्त करने के लिये सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

†श्री वारियर (त्रिचूर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब रेलवे प्रशासन माल की चोरी या उसको पहुंचने वाली क्षति के सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण कर सकेगा।

इसके फलस्वरूप रेलवे को कोई हानि नहीं होगी।

जल्द बिगड़ने वाले माल के लाने-लेजाने के बारे में अधिक सावधानी बरतनी चाहिये।

इसका भार दायित्वपूर्ण लोगों को दिया जाना चाहिये, जिससे कि ऐसा माल बिगड़ने से पहले ही निश्चित स्थान तक पहुंच सके।

जनता को संतोष तभी होगा, जब मौजूदा प्रक्रिया में सुधार किया जाये और विलम्ब की गुंजाइश दूर की जाये। तभी जनता का रेलवे प्रशासन पर अधिक विश्वास जम सकेगा। यातायात गतिरोध दूर किये जाने चाहियें। तभी रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।

†श्री शाहनवाज खां : मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह देखकर कि सामान्यतया सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। हम माननीय सदस्यों के सुझावों से पूरा लाभ उठायेंगे। प्रवर समिति सभी सुझावों पर ब्यौरेवार विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

श्री विट्ठल राव का सुझाव है कि अब रेलवे का दायित्व बढ़ जायेगा, इसलिये इस बढ़े हुए दायित्व को निभाने के लिये समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। हम इसकी भरसक चेष्टा करेंगे कि दावों की संख्या कम से कम रह जाये।

ऐसे कुछ ही मामले रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण होते हैं। अधिकतर मामले तो जालसाजी के कारण ही होते हैं। उसकी सावधानी रखनी पड़ेगी।

श्री विट्ठल राव ने एक एलकोहल के पार्सल का जिक्र किया था, भेजने वाले ने जिसका विवरण गलत दिया था। रेलवे का सम्बन्ध तो सबसे अधिक इस बात से है कि उचित माल-भाड़ा अदा किया जाये। एलकोहल भेजने के खिलाफ मुकदमा तो आबकारी विभाग ही चलायेगा। इस मामले में उसने चलाया भी है। इसके सम्बन्ध में पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया जा चुका है। इसकी पूरी तौर पर जांच की गई थी और सक्षम चिकित्सा अधिकारी की राय में वह औषधि ही थी, एलकोहल नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक बार जब रेलवे को पता चल गया कि विवरण गलत था, तो रेलवे ने उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की? माननीय सदस्य यही पूछना चाहते हैं?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुकदमे की कार्यवाही तो पुलिस की ओर से ही होगी। हमने वह मामला आबकारी विभाग को सौंप दिया था। मुकदमा चलाना या न चलाना उनका काम है।

†**श्री जगजीवन राम** : रेलवे अधिनियम में गलत विवरण देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। रेलवे कार्यवाही कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भी केवल इतना चाहते हैं कि कार्यवाही शीघ्रता से की जाये।

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री उपाध्याय ने नोटिस मिलने के बाद ३० दिन की अवधि रखने का सुझाव दिया है। वह बड़ी लम्बी अवधि हो जायेगी। वह अनावश्यक भी है।

उपयोगी सुझावों के लिये, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:—

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को २१ सदस्यों अर्थात् श्री अगाड़ी, श्री फ्रैंक एंथनी, श्री अय्याकण्णु, श्री पु० बि० बनर्जी, श्री नौशीर भरूचा, श्री भटकर, चौ० रणवीर सिंह, श्री न० रं० घोष, श्री यादव नारायण जाधव, श्री झुनझुनवाला, श्री लीलाधर कटकी, डा० सुशीला नायर, श्री सरजू पांडेय, श्री ना० नि० पटेल, श्री बालासाहेब, पाटिल, श्री राम गरीब, श्री रामी रेड्डी, श्री रा० चं० शर्मा, श्री शोभा राम, श्री सिंहासन सिंह और श्री जगजीवन राम की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे आगामी सत्र के प्रथम दिन पक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य क्षेत्र (स्टैम्प तथा कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में स्टैम्प-शुल्क तथा कोर्ट फीस से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा कुछ का निरसन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में स्टैम्प शुल्क तथा कोर्ट-फीस से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा कुछ का निरसन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विश्वविद्यालय अनूदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ४ मई, १९६१ को डा० का० ला० श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार होगा, अर्थात्:—

"कि यह सभा अप्रैल, १९५९ से मार्च १९६० तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर जो १७ फरवरी, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : कल मैं कह रहा था कि कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में चुने हुये विद्यार्थियों को ही प्रवेश देने का प्रस्ताव लागू करने से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि हम सम्पूर्ण देश में निम्न स्तर पर शिक्षा का एकरूप मापदंड निर्धारित कर लें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इससे कोई हानि न हो।

मेरा यह निवेदन है कि विश्वविद्यालयों को दलीय राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में स्वयं भाग लेना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में केवल योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस मामले में कोई साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो यह हमारे संविधान के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस बात को सोच लेना चाहिए कि यदि साम्प्रदायिक प्रतिनिधान को लागू किया गया तो हमारे बालकों के दीमागों में साम्प्रदायिकता का विष बहुत बुरी तरह भर जायेगा। यह स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्यापकों की स्थिति में अधिक से अधिक सुधार हो। उन्हें समाज में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

उन्हें समाज में उच्च स्तरीय स्थान दिया जाना चाहिए । सभी अध्यापकों को सभी व्यवहारिक मामलों के लिए सरकारी नौकर घोषित कर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रारम्भिक जीवन से ही उनमें यह चेतना और भावना का निर्माण किया जाना चाहिए कि वे मेहनत का आदर करना आरम्भ कर दे। इस उद्देश्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ कमाने के भी अवसर प्राप्त कर सके। स्वयं धन अर्जित करने से उन्हें काफी स्वयमेव प्रोत्साहन मिलता रहेगा । एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगे अध्यापकों के प्रशिक्षण की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही अधिक है, जिन्हें कालिजों में प्रवेश नहीं मिल रहा । देश में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को ढालने की दिशा में कोई पग नहीं उठाया गया । हालात यह बने हैं कि हमारे पास समुचित संख्या में ऐसे लोग नहीं जिनको कि सरलता से तकनीकी काम पर लगाया जा सके । हम औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे पास तकनीकी काम करने वालों की संख्या पर्याप्त हो ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सातवें दर्जे के बाद विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये जिसमें टेक्निकल विषयों पर अधिक जोर दिया जाय ताकि उसे हायर सेकेन्डरी स्तर के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाय ।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आयोजनायें उचित ढंग से निर्माण की जानी चाहिएं ताकि हम यह जान सकें कि हमें किस मात्रा में तकनीकी लोगों की आवश्यकता है । इस बात का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिये कि हमारी शिक्षा योजनायें देश की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें ।

केरल राज्य में मछली पालन उद्योग के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि समुद्री प्राणिशास्त्र के विशेषज्ञ हों । मेरा सुझाव है कि केरल में इस विषय की शिक्षा के लिए विश्व-विद्यालय में एक विभाग होना चाहिए । हमारी उच्च शिक्षा के स्तर की अवनति के कई कारण हैं । यह भी ठीक है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षा सामग्री नहीं है । पुस्तकालयों का नितान्त अभाव है । शिक्षकों को वेतन बहुत ही कम मिलता है । कालिज में विद्यार्थियों की काफी भीड़ भाड़ रहती है । यह भी ठीक है कि योग्य कर्मचारियों की भी कमी है । इन सब कारणों से हमारी शिक्षा का स्तर कुछ ऊंचा नहीं हुआ ।

मेरा यह भी निवेदन है कि जहां तक विज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारी पाठ्य पुस्तकों और पाठयक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि हम विज्ञान की प्रगति के साथ चल सकें । मेरा यह भी सुझाव है कि योजना पर एक पाठय पुस्तक भी प्रकाशित की जानी चाहिए । अनुसंधान की दिशा में भी हमने कोई श्रेयस्कर अथवा सन्तोषजनक काम नहीं किया । विश्व-विद्यालयों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने में शीघ्रता से काम नहीं लिया जाना चाहिए । सायंकाल के कालिजों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रजी मे

श्री राम शरण (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया।

हमारे देश में शिक्षा की स्थिति कुछ विचित्र सी है। एक तरफ जब हम प्राइमरी एजूकेशन और सैकिंडरी एजूकेशन के बारे में विचार करते हैं तो हम अपने को दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन जहां तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है उसमें जब हम आगे बढ़े हुए देशों के साथ अपन मुकाबला करते हैं तो हम अपने को उनके बराबर या कुछ से आगे बढ़ा हुआ पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहां विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। पहले यह संख्या १८ थी जो कि अब ४० हो गयी है। विद्यार्थी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन मालूम होता है कि ठीक नियोजन नहीं है जिसके कारण अनएम्पलायमेंट और खास तौर से शिक्षित लोगों में अनएम्पलायमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो जरूरत यह है कि ऐसा नियोजन हो कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से पढ़ लिख कर निकलें उनको निकलते ही या निकलने के कुछ समय बाद ही काम मिल जाए जिससे जो असन्तोष पढ़े लिखे लोगों में बढ़ता चला जा रहा है वह कम हो जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं। उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि यदि हमारे देश में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई चली जाए और हमको उचित संख्या में अध्यापक न मिलें तो हमारी पढ़ाई का माप गिरता चला जाएगा। इसलिए हमको कोई रोक जरूर लगानी होगी कि विश्वविद्यालय में हम कहां तक लोगों को भरती कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको उन लोगों के लिए जो कि विश्वविद्यालय में आने योग्य न हों मल्टीपरपज़ स्कूल खोलने चाहिएं जिनके द्वारा हम लोगों को तकनीकी शिक्षण देकर काम धन्धों में लगा सकें। इससे विश्वविद्यालयों में जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी और जो लोग विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकेंगे वे इन स्कूलों की शिक्षा से लाभ उठा सकेंगे। ऐसा होने से हमको अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में मिल सकेंगे। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भरती पर रोक लगाने के साथ साथ हमको शिक्षकों की योग्यता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। लेक्चरार्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स का वेतन बढ़ा दिया गया है और इसलिये आशा की जाती है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग अध्यापन के कार्य की तरफ काफी मात्रा में आयेंगे और इस कार्य को अपनाएंगे।

तीन साल का जो डिग्री कोर्स है इसको प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने अपना लिया है, केवल उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों ने और बम्बई के विश्वविद्यालय ने इसको कुछ भेद के साथ अपनाया है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बात का प्रयत्न है कि १२ साल का कोर्स खत्म करने के बाद फिर तीन वर्ष की पढ़ाई बी० ए० के लिए शुरू की जाए। साधारण तौर पर दूसरे विश्वविद्यालयों ने ११ वर्ष के बाद तीन वर्ष का कोर्स बी० ए० के लिए रखा है। तो यह जो उत्तर प्रदेश की विशिष्टता है। क्या इसको जारी रखा जाना चाहिए ? इसमें विद्यार्थियों का एक वर्ष अधिक लग जाएगा इस पर जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन बम्बई में ऐसा किया है कि इंटरमीजिएट के बाद तीन साल का कोर्स रखना चाहते हैं लेकिन उसको वह बी० ए० आनर्स की उपाधि देंगे। इसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश में भी १२ साल के बाद जो तीन साल का कोर्स रखा जा रहा है उसको आनर्स की उपाधि दी जाए तो जो एक साल ज्यादा लगेगा उसका कुछ एवज विद्यार्थियों को मिल जाएगा।

[श्री राम शरण]

इसके अतिरिक्त मैं खास तौर से जो ध्यान दिलाना चाहता हूं वह छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में है। जहां तक मालूम हुआ है सरकार चाहती है कि कोई भी विद्यार्थी जो मैरिट के हिसाब से विश्वविद्यालय की शिक्षा के योग्य है उसे विश्वविद्यालय की शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट से मालूम होता है कि ह्यूमैनिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के लिए १०० और २०० रुपये के ८० और ५० स्कालरशिप रखे गए हैं और जहां तक साइंस, इंजिनियरिंग और टैकनालाजी का सवाल है १०० स्कालरशिप दो दो सौ रुपए के रखे गए हैं। हमारे देशमें विश्वविद्यालयों की संख्या ४० है। इस संख्या को देखते हुए ये स्कालरशिप बिल्कुल अपर्याप्त हैं। इनसे काम नहीं चलेगा। खुशी की बात है कि विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्रियल एस्टेटस कायम की जा रही हैं जिनमें वे विद्यार्थी काम करके कुछ कमा सकेंगे और अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे जो कि धनाभाव के कारण अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हों। इससे उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में अवश्य मदद मिलेगी।

इसी के साथ मेरा सुझाव है कि कुछ छात्रवृत्तियां मैरिट कम पावरटी के आधार पर दी जानी चाहिए जिससे कि वे विद्यार्थी जो योग्य हैं किन्तु धनाभाव के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते उनको सहायता मिल सके। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक तरफ धनाभाव के कारण आगे पढ़ नहीं सकते लेकिन दूसरी तरफ योग्य हैं। इस प्रकार की छात्रवृत्तियों से ऐसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे और इस प्रकार देश की प्रतिभा का उचित विकास हो सकेगा और वे विद्यार्थी अच्छे काम में लगाये जा सकेंगे।

एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह शिक्षा के माध्यम की बात है। आयोग की रिपोर्ट पढ़ने से यह मालूम होता है कि सिद्धान्त रूप से सब विश्वविद्यालयों ने यह मान लिया है कि शिक्षा का माध्यम रीजनल भाषा होनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में नहीं अपनाया है। और रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि "इस परिवर्तन का समय कम किया जाएगा"। लेकिन पता नहीं कि यह पीरियड आफ चेंज ओवर कितना रखा जाएगा। एक तरफ कहा जाता है कि अभी जरूरी साहित्य नहीं है। साहित्य की कमी है। इसलिए इस प्रकार का साहित्य अधिक से अधिक और जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। यह प्रयत्न होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी शिक्षा का माध्यम यह क्षेत्रीय भाषाएं हो सकें।

आखिरी बात जिसकी तरफ ध्यान दिलाना है वह है नैतिक शिक्षा के बारे में है। हम जानते हैं कि देश की परतंत्रता के कारण हमारे देश के नैतिक स्तर का बहुत ह्रास हुआ है और इस देश का नैतिक स्तर बहुत अधिक गिरता जा रहा है। हमारे देश का स्तर तभी ऊंचा हो सकेगा जब कि हमारे विद्यार्थियों का नैतिक स्तर ऊंचा हो और उसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों का नैतिक स्तर ऊंचा हो। अध्यापकों का नैतिक स्तर ऊंचा होने से उसका असर विद्यार्थियों पर पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हमारी पढ़ाई और कोर्सेज भी इस प्रकार के हों, पुस्तकें इस प्रकार की हों जिनका कि विद्यार्थियों के ऊपर अच्छा असर पड़े। पढ़ते लिखते हुए किस तरीके से वे अपना नैतिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं इसकी जानकारी उन्हें करानी चाहिए। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई थी और उसने भी रिपोर्ट दी है। उसके जरिए से भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है और आगे चल कर आशा है कि यह प्रयत्न किया जायगा कि हमारे विद्यार्थियों को इस प्रकार की नैतिक शिक्षा दिलाने का उचित प्रबन्ध किया जाय जिससे आगे चल कर हमारे विद्यार्थी देश के अच्छे और योग्य नागरिक बन सकें। बस मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि केरल विश्वविद्यालय में समुद्री प्राणिशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अनुदान दिया है।

भारतीय समुद्र के बारे में खोज करने के लिए यूनेस्को के तत्वावधान में वैज्ञानिकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय दल भी निकट भविष्य में भारत आने वाला है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह विवाद आगामी सत्र में जारी रहेगा।

वृद्धावस्था पेन्शन विधेयक

†**श्री अरविन्द घोषाल** : (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के वृद्ध और अपाहिज नागरिकों को पेन्शन देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के वृद्ध और अपाहिज नागरिकों को पेन्शन देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी द्वारा २२ अप्रैल १९६१ को प्रस्तुत अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक १९५९ पर विचार होगा।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, २२ अप्रैल, सन् १९६१ को मैंने सदन के सम्मुख अपना आलइंडिया घरेलू कर्मचारी बिल पेश करते हुए इस बात की आवश्यकता बतलाई थी कि घरेलू कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाय, उन के काम के घंटे रैगुलेट किये जांय, उन के लिए उचित पारिश्रमिक दिलवाने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही उनके काम की शर्तों और छुट्टी आदि को रैगुलेट किया जाय। मैं जब उस दिन इस बिल पर बोल रहा था तो मैं ने कहा था कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक मनुष्य को समान दृष्टि से समान स्तर पर लाने के प्रयत्न हो रहे हैं। छोटे से छोटे मनुष्य को चाहे वह किसी भी प्रकार का मजदूर है या घरेलू मजदूर है उसे ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिएं जिस से वह महसूस कर सके कि वह भी एक मनुष्य है और उस प्रकार का मानवोचित व्यवहार चाहता है। केवल वेतन आदि तथा दूसरी सुविधाएं लेकर ही नहीं बल्कि इस प्रकार का अवसर भी उसे सुलभ होना चाहिए जिस से कि वह उस हीन जीवन से उठ कर एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जहां उन्नति के अवसर हों। इस के लिए समाज की व्यवस्था तथा वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। आज की समाज की व्यवस्था में जो एक दोष नजर आता है वह दोष यह है कि जो मनुष्य छोटा है वह छोटा ही बना रहता है और जो जन्म-जन्मान्तर से बड़ा है उसे उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और नतीजा यह होता है कि वह निरन्तर उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाल्मीकी]

आज मजदूरों के कल्याण के लिये आप की ओर से काफी प्रयत्न चल रहे हैं किन्तु घरेलू मजदूर उन से वंचित हैं। आज जब कि प्रजातात्रिक परम्परायें देश में पनप रही हैं तथा मनुष्य का महत्व बढ़ रहा है तब घरेलू मजदूर का इस प्रकार के मजदूर जीवन भर एक रट में फंसे रहें और उन्हें सामाजिक न्याय भी न मिले यह कहां तक न्याय-संगत है ? घरेलू मजदूरों के अलावा हमारे वे अभागे व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी जायदाद वाले मालिकों के नौकर हैं, राजा महाराजाओं के यहां नौकर हैं उनका जीवन भी बड़ा दुःखपूर्ण है। आज हमारे उन राजा महाराजाओं के सिर पर ताज भले ही न रहा हो लेकिन उन के महलों के अन्दर और हरमों के अन्दर वे हमारे अभागे नौकर आज भी फंसे चले आते हैं। अभी यह सुनने में आया था और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने भी उसको सुना होगा कि कि निजाम हैदराबाद जिसका कि आज से कुछ समय पहले काफी दबदबा रहा है उस निजाम हैदराबाद के वहां हजारों इस प्रकार के घरेलू मजदूर सिसकते नजर आते हैं। आज सदियों के बाद जब इस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं तो हमें उन अभागे आदमियों को भी उस रट में से निकालने के लिए प्रयत्न करना होगा जो कि उस में सदियों से फंसे चले आते हैं। मेरा तो कहना यह है कि चाहे वह भंगी हो, चाहे वह दूसरे प्रकार का मजदूर हो, धोबी हो, साधारण प्रजा का आदमी हो, घरेलू मजदूर हो या कोई बर्त्तन धोने आदि का काम करता हो, उन सब लोगों को उस रट में से निकालने का प्रयत्न होना चाहिए। उनकी अवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न होना चाहिए। मैंने अंग्रेजी का एक "बैगाबौंड" नाम का नाविल पढ़ा था। उस नाबिल के अन्दर जो विशेष कैरेक्टर है वह कहता है है कि मैं अपने इस स्कलियन को अर्थात बर्त्तन धोने वाले को फिलासफर बनाऊंगा। किन्तु आज की स्थिति में ऐसा मजदूर फिलासफर भले ही वह बन न सके क्योंकि फिलासफर बनने के लिए अक्ल की दरकार होती है, वह एक अक्ल वाला आदमी होता है लेकिन वह कम से कम एक लीडर और नेता तो बन ही सकता है जिस के कि लिए ज्यादा अक्ल की जरूरत नहीं होती है। अब उस को कम से कम लीडर और नेता तो बनने का अवसर दे ही सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आज के प्रजातांत्रिक युग में यह बहुत जरूरी है कि उनको सामाजिक न्याय मिले। अगर उन के साथ उसी पुराने तरीके से अन्याय होता रहे और उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त न हो और वह उसी दयनीय अवस्था में पड़े रहें तो फिर हमारा इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दुहाई देना बेकार है और वह कोई मायने नहीं रखती है।

आज शासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि हर एक देशवासी चाहे वह बड़े घर में जन्मा हो या छोटे घर में, अमीर हो या गरीब मालिक हो या घरेलू नौकर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा हो, सब अपना जीवन एक इंसान की तरह बिता सकें। हर एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने के समान अवसर दिये जांय। निस्सन्देह एक भूखा और नंगा आदमी जो कि एक भूखी और नंगी गोद में पैदा होता है वह प्रयत्न कर के अपनी मेहनत से लाखों की जायदाद का मालिक बन जाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसको भी उन्नति करने के समान अवसर दिये जांय। मैं इसको बल देने के लिए आपके सामने श्री जे० ए० सी० ब्राउन द्वारा किये गये उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को उन्हीं शब्दों में रखना चाहता हूं ताकि वह बात आपके सामने अच्छी तरह से आ सके। उस से आप समझ सकते हैं कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है और उन्नति कर सकता है। मैं आप के सामने उन के शब्दों को रख देना चाहता हूं :—

"मनुष्य नीची जात का हो, उसकी शिक्षा के अवसर सीमित हो। परन्तु फिर भी वह अपना सब कुछ मानव प्रतिष्ठा की भावना पर ही आधारित करना चाहता है।"

एवरेट चैरिंगटन हग्ज और जे० ए० सी० ब्राउन ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जीवन की कुछ मजबूरियां हैं कि उन्हें कोई काम अपनी इच्छाओं के विरुद्ध करना पड़ता है और मजबूर हो कर इस तरह के साधारण काम में लगना पड़ता है। जब वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी काम को करने पर मजबूर हो जाता है तो उसकी कैसी दशा होती है, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। वह करना तो किसी और काम को चाहता है, अक्लमन्दी के साथ किसी और काम को पकड़ना चाहता है लेकिन भाग्यवश उसे और काम मिलता नहीं है और उसे मजबूर होकर इस काम को करना पड़ता है। घरेलू मजदूर होकर उस को रहना पड़ता है। इस ओर आप के ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या मनुष्य इस प्रकार आगे बढ़ सकता है यदि उसे जीवन को सफल बनने का अवसर तक नहीं दिया जाता है ? एक प्रकार से बिना मुंह खोले और अपनी बात को कहे वगैर और जीवन में हर एक ज्यादती को बरदाश्त कर केवल दासता का जीवन व्यतीत करते रह कर क्या वह कभी उन्नति कर सकता है ? घरेलू कर्मचारियों का जीवन एक इसी प्रकार का जीवन रहा है। इन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मस्तिष्क में जब इनका चित्र आता है तो वह एक दासता का, तथा घृणापूर्ण ही आता है। यद्यपि वह दासता आज संसार में नहीं है तथापि घरेलू मजदूरों का निकास वहीं से प्रारम्भ होता नज़र आता है। प्राचीन सभ्यतायें चाहे आज दुनियां में न रहीं हों, मगर वे एक अमिट निशान छोड़ गई हैं। चाहे वह यूनान की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, या यहां की पुरानी सभ्यता हो, घरेलू कर्मचारी दासों का ही जीवन व्यतीत करते थे, उनका जीवन एक दुख भरा ही जीवन था। सभ्यता के विकास के साथ साथ महल तथा हरम के जीवन के साथ साथ आराम के जीवन के साथ साथ, जीवन की रंगीनी के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ने लगी। प्राचीन भारत में घरेलू मजदूर शूद्र ही तो कहलाते थे और जब मुझे यह शूद्र शब्द याद आता है तो इसके साथ साथ मुझे जैसा जीवन वे व्यतीत करते थे, दुःख भरा जीवन व्यतीत करते थे, दासता का जीवन व्यतीत करते थे, पतित जीवन व्यतीत करते थे, निम्न जीवन व्यतीत करते थे, उसकी भी याद आ जाती है। प्राचीन काल में भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता था और इसी प्रकार का वे जीवन व्यतीत करते थे। मेरे पास एक किताब है जो डोमेस्टिक सर्वेंट क्लास के बारे में है और जिसको मेरी एक बहन ने बम्बई की जो हैं उन्होंने लिखा है। उनका नाम अबान बी० मेहता साहिबा है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में ये घरेलू मजदूर शूद्र का जीवन, चांडाल का जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार से बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने इनके साथ सद्व्यवहार की बात कही थी और बीमारी में उनका खयाल रखने को कहा था और यह भी कहा था कि कभी कभी छुट्टी भी उनको मिल जानी चाहिये। कौटिल्य अर्थ शास्त्र में व्यक्त ये शब्द भी मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं कि वहां घरेलू मजदूरों के साथ सद्व्यवहार की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि मालिक नौकर के सम्बन्ध अच्छे होने चाहियें। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके उचित वेतन निर्धारित होने चाहियें। कौटिल्य ने साफ तौर से राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि दास और भृत्यों का विशेष ध्यान रखा जाये। इतना ही नहीं बल्कि अशोक के धर्म उपदेशों में उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार की बात कही गई है। काम सूत्र, शान्ति पर्वम् आदि में भी उनके साथ सद्व्यवहार की बात कही गई है। शकुन्तला नाटक में भी महाकवि कालीदास ने कन्व ऋषि के मुंह से शकुन्तला जब वह विदा हो रही थीं कहलवाया है कि उसका व्यवहार परिजनों के साथ नम्रता का होना चाहिए तथा घरेलू मजदूरों के साथ नम्रता का सद्-व्यवहार होना चाहिए। मनु ने भी भृत्यों के वेतन आदि की बात कही है और कहीं कहीं यह भी कहा है कि उनको उतरे हुए कपड़े और उच्छिष्ट भी दिये जायें। उतरे हुए कपड़े देने की प्रणाली आज भी चल रही है। बाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि रामचन्द्र जी का व्यवहार भत्यों के साथ नम्रता तथा मानवता का था।

[श्री बाल्मीकी]

इस सब से यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न आज कोई नया प्रश्न नहीं है। आज जब सामाजिक चेतना है, जन जागृति है तो घरेलू मजदूर केवल सोते रहें यह कहां तक सम्भव है। आज उनकी कीमत है तथा उनके काम की सामाजिक महत्ता है। मेरी वी० रोबिंसन, डायरेक्टर आफ वोमेंज़ ब्यरो ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।

यह सामाजिक दोष कि घरेलू मजदूरों का जीवन विकसित न हो सके कब तक चलेगा। आज उनकी परिस्थितियों को हर प्रकार से देखना होगा और यह बहुत आवश्यक है। इन पिछले चन्द वर्षों में किसी न किसी प्रकार से यह प्रश्न हमारे सामने आता रहा है। श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने बराबर इस पर विचार किया है। २९ अप्रैल, १९४९ को भी इस पर विचार हुआ था और कहा गया था कि इनके प्रति सद्व्यवहार होना चाहिये और इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इनकी एक मात्र संस्था आल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्ज़ यूनियन जो है उसने भी इसके बारे में बराबर आन्दोलन किये हैं और बराबर अपने रिप्रिजेंटेशन सरकार के सामने और माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने रखे हैं। प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय इन की समस्याओं को देखने के लिए और हल करने के लिए निकाला है। यह प्रश्न बहुत पुराना है, नया नहीं है। इनको शूद्र समझा जाता रहा है, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वेतन इनको ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है, यातनायें इनको भोगनी पड़ती हैं, बड़ा ही दुखभरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और आज के युग में जहां आप अन्य मजदूरों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उनकी तरफ इतना अधिक ध्यान दे रहे हैं वहां आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि इन की ओर भी आप ध्यान दें। कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनकी तरफ़ आप ध्यान देते हैं, खेतीहर जो मजदूर हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि आज जबकि जनता की सरकार है, जनता के पैसे से वह चलती है, इन घरेलू कर्मचारियों की समस्या को बराबर वह टालती जाये। अगर ऐसा किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आइ० एल० ओ० की एक कनवैनशन सन् १९५१ में जेनेवा में हुई थी और उसके बाद से घरेलू मजदूरों के बारे में, उनके जीवन की समस्या के बारे में, दिन-प्रति के प्रश्नों के बारे बराबर एक सवाल उठता रहा है और इस रूप में भी यह सवाल आपके सामने आया है। मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ सन् १९५१ के जेनेवा कंवेंशन में बैठे थे उन का ध्यान इस ओर गया था। उन्होंने जो बात वहां पर रक्खी थी वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। उन का ध्यान डोमेस्टिक सर्वेंट्स की समस्याओं पर गया और उन्होंने कहा कि मालिक और घरेलू मजदूरों के सम्बन्ध सुव्यवस्थित रहें, वे पारस्परिक अधिकार को समझें, कानून की स्थितियों को समझें, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व को समझें। काम करने की स्थितियां ठीक हों, काम करने के घंटे ठीक होने चाहियें, विश्राम करने का समय, साप्ताहिक छुट्टी, वार्षिक छुट्टी, वेतन सहित देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार की सुव्यवस्था उन के लिये निर्धारित होनी चाहिये। घरेलू मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन की व्यवस्था होनी चाहिये, और यही नहीं, बल्कि उन के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिये। नारी घरेलू मजदूरों के लिये मैटर्निटी बेनिफिट्स तथा दूसरी सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिये, निवास की व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिये, कम उम्र के घरेलू मजदूरों की सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। इस दिशा में सामाजिक सुरक्षा के साथ कानूनी व्यवस्था भी होनी चाहिये। उन के लिये नये उद्योग धन्धों में ट्रेनिंग आदि, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि,

देने का प्रबन्ध होना चाहिये। इन बातों पर उन विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस कंवेंशन की जो मंशा है उस पर पूरी तरह लेटर ऐंड स्पिरिट के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया है। न ही उस दिशा में अमल हुआ है।

आज देश में बेकारी बढ़ रही है, आज देश में अनप्रोडक्टिव लेबर बढ़ती चली जा रही है। मैं जानता हूं कि आप इस बेकारी को दूर करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और एक प्रकार से देश के अन्दर उद्योग धन्धों को फैला कर के, छोटे उद्योग कायम कर के, कुटीर उद्योग कायम कर के, लोगों के सामने काम के लिये आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देश के अन्दर एक प्रकार की अनप्रोडक्टिव लेबर बढ़ती चली जा रही है। इस की वजह यह है कि इस ओर अभी लोगों को पूरी तरह से काम देने का प्रबन्ध आपके पास नहीं है। यों तो घरेलू मजदूर देश के हर कोने से उत्पन्न होते हैं, किन्तु जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां से भक्त दर्शन जी आते हैं, और जिन के बारे में वे बोलते हुए बतलाने की चेष्टा करेंगे कि वहां कैसी स्थिति है, वहां की स्थिति को थोड़ा थोड़ा मैंने भी देखा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने देखा है कि वहां कितनी भयंकर गरीबी है, वहां अच्छे आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार से वहां से हजारों गरीब लड़कों को, गरीब मजदूरों को, काम की तलाश में मैदानों में उतरना पड़ता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे कासमोपालिटन नगरों के अन्दर उन को काम की तलाश में आना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आप प्रयत्न कर रहे हैं इस के लिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनप्रोडक्टिव लेबर को रोकने के लिये, जहां वे पैदा होते हैं वहीं पर उन को काम धन्धा देने के लिये, वहीं पर उन को रोकने और उन के लिये काम के आकर्षण पैदा करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? ये आवश्यक है कि सर्वेक्षण करके पहाड़ी क्षेत्रों का अधिक विकास किया जाय। घरेलू मजदूर देश के हर कोने में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जैसा मैं ने बतलाया पर्वतीय क्षेत्रों से वे अधिक आते हैं, और यहां आ कर वे तरह तरह के काम धन्धों को अपनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाग्यहीन पर्वतीय बच्चे रेस्टोरेन्ट्स के अन्दर आप देखिये या दूसरे निजी उद्योग धन्धों, तरह तरह के प्राइवेट कामों के अन्दर वे लगे हुए हैं, लेकिन उन का जीवन बड़ा दुखी जीवन है, उन को वेतन भी ठीक नहीं मिलता है, उन को फुर्सत नहीं होती है, कोई आराम नहीं मिलता है। चौबीस घंटे काम में पिले रहते हैं। जब ऐसा प्रश्न यहां आता है तब कोई यह सोचे कि मैं देश के अन्दर अशान्त वातावरण पैदा करना चाहता हूं और मालिक तथा नौकरों के बीच के सम्बन्ध खराब करना चाहता हूं, तो ऐसी मेरी मंशा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि नौकरों और मालिकों के बीच सद्भावना उत्पन्न हो, जिस प्रकार मालिक दोपहर को खाना खाकर डेढ़ दो घंटे सोता है, उसी प्रकार नौकर को भी आराम करने का मौका मिले, जिस प्रकार से घर के और लोगों को आराम मिलता है, उसी प्रकार घरेलू मजदूरों को भी मिलना चाहिये। यदि आप यह कहते हैं कि हमारे देश के अन्दर जो घरेलू मजदूर है वह हमारे घर का अंग है उसी प्रकार बहुत से भाई कहते हैं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से हमारे परिवार इस प्रकार के हैं जो धनी परिवार हैं, सुखी परिवार हैं, उन के यहां घरेलू मजदूरों को काफी सुख दिया जाता है, उन के कपड़े लत्ते का सुन्दर प्रबन्ध किया जाता है और घर की तरह से उन को आराम मिलता है। लेकिन ऐसे मनुष्य मुट्ठी भर हैं, उंगलियों पर गिनने के काबिल हैं, परन्तु जो अन्य हजारों आदमी हैं वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ? उन्हें व्यर्थ समझते हैं। इसीलिये मैं ने आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि नौकरों को जानवरों की तरह से नहीं समझना चाहिये, उन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि जानवरों की भी कोई कीमत है, परन्तु घरेलू मजदूर की कोई कीमत नहीं। समाज में उनकी कोई कीमत बन सके--मैं चाहता हूं कि इस की ओर आप ध्यान दें। आज तक

[श्री बाल्मीकी]

जो भी फैसले हुए हैं उन के बारे में उन को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि इस बीच में हमारी सलाहकार समिति ने भी और कुछ अन्य नेताओं ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और जो १७वां श्रम सम्मेलन मद्रास के अन्दर हुआ था उस में भी आपने कुछ फैसले किये हैं, उन की ओर आप को ध्यान देना चाहिये। आप ने देश के सामने पाइलट स्कीम का नक्शा भी रक्खा है।

(श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए)

उस पाइलट स्कीम के अनुसार उन के नाम वहां दर्ज हों, एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज में एक रजिस्टर रक्खा जाय और इस प्रकार की उन को सुविधा प्राप्त हो सके।

मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो पाइलट प्रोजक्ट्स या प्रयोगात्मक कार्यालय खोले गये हैं उन से इन लोगों की समस्या हल नहीं होती है। इन को और मजबूत करने की कोशिश करें क्योंकि अगर यह इसी तरह ढील से चलते रहे तो लोगों को इन का फायदा नहीं मिलता और उन की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। आप ने उन की स्थिति की जांच के लिये एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है, ठीक है मैं इस का स्वागत करता हूं, लेकिन इस एडवाइजरी कमेटी का रूप बदलने की आवश्यकता है। इस में कम से कम घरेलू मजदूरों के भी दो या तीन प्रतिनिधि होने चाहिये ताकि आप उन लोगों की समस्याओं पर और अच्छी तरह विचार कर सकें। जैसा रूप आज इस कमेटी का है उस से काम चलने वाला नहीं है। मान लीजिये कि आप उन की स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं और उस के लिये एक अच्छी शक्ल पैदा करना चाहते हैं, तो जैसा मैं ने कहा, कानून की शक्ल मेरे मस्तिष्क में मौजूद है। मैं तमाम दुनिया के बारे में जानता हूं या नहीं, लेकिन कई देश इस प्रकार के हो सकते हैं जहां कोई न कोई कानूनी शक्ल की बात मौजूद है। मुझे बतलाया भी गया है कि एक ऐसी मोरेल सोसायटी है जिस को सरकार की मदद मिलती है और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर के वह उन की समस्याओं को समझने की चेष्टा करती है। लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि जब दूसरे मजदूरों के लिये कानूनी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो यकीनी तौर से कोई वजह नहीं है कि घरेलू मजदूरों के लिये भी कोई कानूनी व्यवस्था पैदा न हो सकें, उन के लिये काम के घंटे निर्धारित न हो सकें, उन के लिये छूटटी के घंटे निर्धारित न हो सकें, उन के लिये सम्मानित रूप से कार्य करने के लिये अवसर न प्राप्त हो सके, उन के लिये बीमारी के समय देख भाल का ठीक से प्रबन्ध न हो सके, और अगर और कुछ नहीं तो कम से कम उन के वेतन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो न्यूनतम वेतन का कानून है उस को उन पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिये। उन पर खाली यह कानून ही लागू नहीं करना चाहियें बल्कि जो उन के झगड़े होते हैं वे कंसिलिएशन मशीनरी या ट्राइब्यूनल के द्वारा तय होने चाहिये। जो आप की ट्रिब्यूनल या कंसिलिएशन मशीनरी है वह उन की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, मैं इस की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और इस तरह से उन के साथ सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे।

मैं आप से मानवता के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर तथा कल्याणकारी राज्य के सम्मान के नाम पर अपील करता हूं कि आप ठंडे दिल से और ठंडे मस्तिष्क से, संजीदगी के साथ उन की समस्याओं पर विचार करें तथा उन के लिये कोई उचित व्यवस्था करें। उचित व्यवस्था

से मेरा मतलब उन के काम की व्यवस्था है । यदि इस युग में भी ऐसे मानवों को जो क्षुधा की ज्वाला बुझाने के लिये गरीबी के अभिशाप के कारण छोटा से छोटा काम करते हैं, न्याय नहीं मिलता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, तो उन लोगों के अन्दर एक अजीब क्रान्ति भविष्य में उत्पन्न हो सकती है । मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार के मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं किया जाता है और उन के लिये कोई सामाजिक न्याय पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती है, उन को नित्य प्रति के विक्टिमाइजेशन या अत्याचार से बचाने की चेष्टा नहीं होती है जोकि उन पर किया जाता है तब तक सदियों तक भूखों मरने वाले और नीचे गिरे हुए मनुष्यों का जीवन अव्यवस्थित ही रहेगा । साथ ही यह भी याद रखना चाहिये :

"बुभुक्षतो नरो किन्नकरोति पापं, क्षीणाः नराः निष्करुणा भवन्ति ।"

भखा मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता । इस प्रकार के क्षीण दलित हृदय मनुष्य करुणा रहित होते हैं ।

दुर्बल को न सताइये, वाकी मोटी हाय,
मुई खाल की सांस सों सार भस्म हो जाय ।

अब समय आ गया है कि आप उन की ओर ध्यान दें और ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश करें जिन से उन की स्थिति ठीक हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं श्री बाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत विधेयक की भावना का अन्तःकरण से स्वागत करता हूं ।

यह स्वाभाविक है कि देश में घरेलू कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, काम के घंटों और वेतन की अदायगी के बारे में विचार किया जाय और ऐसा प्रयत्न किया जाय कि जिस से घरेलू कर्मचारियों का पारिश्रमिक उन को उचित रीति से मिल सके । बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में घरेलू कर्मचारी काम करते हैं, और जब तक प्रशासन हर एक सक्षम व्यक्ति के लियें काम नहीं जुटा सकेगा, घरेलू कर्मचारी रहेंगे और उन की सेवा की शर्तें तै करने का सवाल भी इस सदन और देश के सामने रहेगा ।

लेकिन इस सवाल पर विचार करते हुए केवल भावना के आधार पर हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते । अन्य देशों से हमारे देश की तुलना भी ठीक नहीं होगी । जहां मनुष्य श्रम के लिये बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत नहीं रहते, जहां स्टेशनों पर कुली नहीं मिलते, जहां घरों में कर्मचारी रखना बहुत महंगा पड़ता है, उन देशों की स्थिति से हमारे देश की स्थिति की तुलना नहीं हो सकती । यह ठीक है कि हम उसी स्थिति को लाना चाहते हैं जबकि प्रति घंटे आदमी को पांच या सात रुपये पारिश्रमिक मिल सके, जैसाकि अन्य देशों में मिलता है जिस के कारण घरेलू कर्मचारी रखना सम्भव नहीं होता, लेकिन आज इस प्रकार के नियम हम लागू कर सके यह व्यावहारिक नहीं है, और इसलिये इस विधेयक पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना होगा ।

देश के अनेक प्रान्तों में अलग अलग स्थितियां हैं, और मैं प्रस्तावक महोदय से इस बात में सहमत नहीं हूं कि सम्पूर्ण देश के लिये कोई एक कानून बनाया जाये जिसे वहां विद्यमान परिस्थिति का बिना विचार किये हुए लागू कर दिया जाय । हां, मैं इस सम्पन्ध में यह सुझाव अवश्य दूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई "माडल बिल" बनाना चाहिये और उसे अन्य राज्य सरकारों के विचार के और स्वीकृति के लिये भेजना चाहिये जिसे वहां की परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सके ।

[श्री वाजपेयी]

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। घरेलू कर्मचारियों के लिय हफ्ते में एक दिन की छुटटी होनी चाहिये, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मेरा घरेलू कर्मचारी एक दिन की भी छुटटी लेना नहीं चाहता। क्योंकि छुटटी लेने का अर्थ होता है उस दिन घर में भोजन नहीं बनेगा क्योंकि भोजन वही बनाता है, और अगर भोजन नहीं बनेगा तो उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। अब अगर प्रस्तावक महोदय इस में ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिस दिन घरेलू कर्मचारी की छुट्टी हो उस दिन जो उसे नौकर रख वह उसे भोजन बना कर खिलायें —लेकिन यह व्यवस्था उन्हों ने नहीं की है—तब तो समझ में आ सकता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस से मैं समझता हूं कि शायद इतनी दूर तक जाने के लिये वह भी तैयार नहीं हैं। इसीलिये घरेलू कर्मचारी छुट्टी नहीं चाहता। इसलिये इस के बारे में नियम बनाने के पहले हम को सोचना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि हम कानून बना कर उन का हित करन का प्रयत्न करें और इस से उन का अहित हो जाय। तो जहां तक भांवना का सवाल है वह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कानून बनाया गया तो घरेलू कर्मचारियों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और जो प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा।

जहां तक वेतन का सवाल है, वेतन भी आज की स्थिति को देखते हुए बहुत कम रखा गया है। इस में रखा गया है कि १८ साल की उम्र से कम वाले को ३० रुपया प्रतिमास वेतन दिया जाय और जिस की उम्र इस से ज्यादा हो उस को ४० रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाय। मैं उन से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या इस में भोजन का हिसाब भी शामिल है या नहीं। अगर इस में भोजन का हिसाब शामिल नहीं है तो वह वेतन के अन्तर्गत कैसे आयगा और अगर कोई घरेलू कर्मचारी अपने पैसे से भोजन की व्यवस्था करता है तो इस तीस रुपये में उस का निर्वाह कैसे होगा। अभी जो दिल्ली में घरेलू कर्मचारी हैं वे भोजन के साथ तीस और चालीस रुपया प्रति मास लेते हैं। अतः भोजन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये। जहां तक काम के घंटों का प्रश्न है १० घंट की व्यवस्था इस तरह हो सकती है कि किसी परिवार के भोजन के दोनों समय उस को काम के लिय बुला लिया जाय और उस को अपने भोजन की व्यवस्था बाहर करनी पड़े।

इसी तरह से आठ घंटे की व्यवस्था कर दी गई तो भी कर्मचारी को कठिनाई हो सकती है। आज तो अगर आठ घंटे का काम नहीं है तो वह बैठ सकता है या अपना समय और काम में लगा सकता है, लेकिन अगर एक बार हम मालिक और कर्मचारी के सम्बन्धों का निर्धारण ट्रेड यूनियनवाद के इस आधार पर करेंगे तो घरेलू कर्मचारियों को १० घंटे बराबर काम करने के लिय तैयार रहना चाहिये।

इस में जो पुलिस को अधिकार दिया गया है वह भी घरेलू कर्मचारियों के हित में प्रमाणित नहीं होगा। पुलिस छानबीन करेगी, वह कहां से आया है इस का पता चलायगी। अब कुछ ऐसे घरेलू कर्मचारी भी होते हैं जो अपने घरों कि परिस्थितियों से विवश हो कर मैदानों में चले आते हैं, कुछ घर वालों से बगैर कहे चले जाते हैं और कुछ कमा कर घर वापस जाना चाहते हैं। अगर पुलिस वाले उनके घर वालों को बता देंगे कि वे कहां हैं तो हो सकता है कि उन के घर वाले आ कर उन को पकड़ कर ले जायें। और कितने कर्मचारी पुलिस को पूरी जानकारी देने के लिये तैयार होंगे। और पुलिस अगर जानकारी एकत्र करेगी तो मैं नहीं समझता कि घरेलू कर्मचारियों के लिये यह कोई अच्छी बात होगी

जहां तक मालिक का सवाल है अगर मालिक उस को रजिस्टर नहीं कराता तो उस को केवल २५ रुपय देने होंगे । यह जुरमाना बहुत कम है ।

मेरा निवेदन है कि तो एक ओर यह विधेयक जितना दूर जाना चाहिये उतना दूर नहीं जाता और दूसरी ओर ऐसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है कि जिस से घरेलू कर्मचारियों की कठिनाइयां बढ़ जांय । इसलिये मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद को चाहिये कि एक समिति का निर्माण करे जो यह सोचे कि कानून बनाने के अलावा घरेलू कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिये कौन कौन उपाय अपनाने चाहियें और सब बातों पर विचार कर के ऐसी व्यवस्था का विकास करे कि जिस में घरेलू कर्मचारियों के जीवन में आवश्यक सुख सुविधा भी लाई जा सके और कानून से उन के मार्ग में अनावश्यक कठिनाइयां भी न आयें ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, हमारे आदरणीय मित्र श्री बाल्मीकि जी ने जो अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसका सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

अभी मुझ से पूर्व वक्ता श्री वाजपेयी जी ने अपना भाषण देते हुए यह बताने की कृपा की कि इस विधेयक को लागू करने में हमें किस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । उन्होंने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जिन पर विचार किया जाना चाहिए । लेकिन उन सब के बावजूद मैं यह समझता हूं और इसमें मेरे विचार में मेरे मित्र श्री वाजपेयी जी भी इस बारे में मेरी राय से सहमत होंगे कि हमारे देश में घरेलू कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए और कोई ऐसा मार्ग अवश्य निकालना चाहिए ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके ।

श्रीमान्, मैं इस अवसर पर इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सदन के सभी वर्गों और विचारों के लोग इस बात से सहमत होंगे कि घरेलू कर्मचारियों की जो इस समय स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है और वह बहुत असंतोषजनक है तथा उसमें सुधार करने की अत्यधिक गुंजाइश है । हमारे घरेलू कर्मचारी लोग रात दिन काम की चक्की में जिस प्रकार से पीसे जाते हैं उसके आये दिन उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं । दिल्ली में इस तरह के कितने ही उदाहरण मौजूद हैं कि जब नौकरों द्वारा वेतन की मांग की गई तो उनको वेतन देने के बदले उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और उनको जेलों में भेज दिया गया । हमारे यहां की पुलिस हालांकि मैं उसका प्रशंसक हूं लेकिन आमतौर से यही देखने में आया है कि वह मालिकों का ही साथ दिया करती है और बेचारे गरीब मजदूरों और इस प्रकार के खरेलू कर्मचारियों को उनकी सहायता प्राप्त नहीं होती । उनको कानूनी सहायता उपलब्ध होना असम्भव होता है और इस कारण उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं ।

श्रीमान्, मैं इस विधेयक की भावना का इसलिए भी समर्थन करना चाहता हूं कि अधिकांशत: जिन इलाकों से ये गरीब भाई यहां दिल्ली में तथा दूसरे बड़े बड़े शहरों में आते हैं उन इलकों के कुछ अंश का प्रतिनिधित्व करने का मुझे भी कुछ गौरव प्राप्त है । अभी मेरे मित्र श्री बाल्मीकी जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि यह घरेलू कर्मचारी उन पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं जो कि ज्यादातर सीमावर्त्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा या नैपाल आदि इलाकों से आते हैं । क्या कारण है जो वहां से हजारों की तादाद में यह लोग दिल्ली और दूसरे गरम स्थानों में चले आते हैं ? कौन सी ऐसी मजबूरी है

[श्री भक्त दर्शन]

जो उन्हें यहां ले आती है? उन पाहड़ी क्षेत्रों की दर्दनाक गरीबी सर्व विदित है और वह गरीबी प्रोवर्बियल हो गयी है। मुझे इसके बारे में मालूम है कि इन पिछले अनेक वर्षों में अन्दर हमारी सरकार के प्रयत्नों के कारण उनकी दयनीय अवस्था में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। कुछ उन्नति अवश्य हुई है इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तेजी के साथ उन इलाकों का विकास किया जाना चाहिए वहां का औद्योगीकरण किया जाना चाहिए और वहां की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। वहां की दर्दनाक गरीबी के कारण ही मां-बाप मजबूरन अपने बच्चों को इधर नौकरी करने के वास्ते भेज देते हैं। जिस उम्र में कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजना चाहिए मजबूरन अपना दिल मसोस कर उनको मैदानों में और शहरों में नौकरी करने के वास्ते भेजना पड़ता है। उन बच्चों के मां-बाप जब यहां की कहानियां सुनते हैं तो उनका दिल हिल जाता है लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें अपने बच्चों को वहीं शहरों में छोड़ देना पड़ता है।

श्रीमन्, श्री बाल्मीकि के विधेयक को मैं सही दिशा में एक कदम समझता हूं और उसके पीछे जो भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं। वैसे बाल्मीकी जी का नाम लेते ही महर्षि बाल्मीकी का स्मरण हो आता है और मैं समझता हूं कि कम से कम इस विधेयक द्वारा जो उन्होंने पेश किया है इस सदन का ध्यान उन पिछड़े पहाड़ी प्रदेशों की अवस्था की ओर जायेगा जहां की गरीबी की कहानियां सब जगह प्रसिद्ध हैं और जिनकी कि गरीबी का कथानक सब लोग जानते हैं। मुझे विश्वास है कि इस सदन में जब इस विधेयक पर विचार चल रहा है तो माननीय सदस्यों का ध्यान उन पिछड़े हुए और गरीब इलाकों की ओर अवश्य जायेगा और वह सब सरकार पर इस बात के लिए जोर डालेंगे कि उनकी अवस्था को सुधारने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाय। इस समस्या के हल के लिये उन पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा। इस समस्या के हल का असली उपाय यह है कि हम उन इलाकों की गरीबी को दूर करें ताकि इस तरह की समस्याएं पैदा न हों और कम वेतन पर और कम पारिश्रमिक पर शहरों में इतने सस्ते मजदूर उपलब्ध न हो सकें।

मेरे मान्यवर मित्र श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि अगर इस विधेयक की व्यवस्था कर दी गई तो पुलिस हमारे घरों के अन्दर घुस सकती है और मदाखलत कर सकती है। इसके अलावा और भी कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। वेतन की दरों के निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी कुछ मतभेद हो सकता है वह दूसरी कठिनाइयां भी हो सकती हैं। उनमें सुधार की अवश्य कुछ गुंजाइश है। पर अगर इस विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई रास्ता निकल सकता है और वर्तमान धाराओं में संशोधन करके वह सुधार किया जा सकता है।

श्रीमान्, एक और आलोचना इस विधेयक की या इस प्रकार की जितनी मांगें या आन्दोलन हैं, उनके बारे में की जाती है और वह यह है कि अगर हम इस तरह की मांगें करते चले गये, वेतनों की दर बढ़ाते गये या और सुविधाएं उनको दी गई तो उनको जो रोजगार इस समय उपलब्ध है वह कम हो जायगा। नौकरी कम हो जायगी और कुछ ही लोग नौकर रख सकेंगे और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसमें कुछ तथ्य जरूर है लेकिन मैं उसका स्वागत ही करूंगा। पश्चिमी देश में सब इस बात को जानते हैं कि वहां पूरे समय के घरेलू कर्मचरी तो होते ही नहीं हैं। वह पार्ट टाईम वर्कर्स या असिस्टेंट कहलाते हैं। एक आदमी झाड़ू दे जाता है, दूसरा आदमी बर्त्तन साफ करता है और एक तीसरा आदमी बाजार से सौदा वगैरह ला देता है। मैं समझता हूं कि यही व्यवस्था कुछ दिनों में हमारे देश में और खास कर यहां दिल्ली में, जहां के नागरिक जीवन से हम सब

लोग अभ्यस्त हैं, आने वाली है और आती जा रही है । मैं स्वयं इसको देख रहा हूं और हमारे बहुत से संसद् के सदस्य भी इस बात के साक्षी हैं कि पहले जहां लोग फुल टाइम कर्मचारी रखते थे वहां अब लोग अपने घरों में पार्ट टाईम आदमी रखने लगे हैं । लोग यहां पर महेरियां रखने लगे हैं, बर्तन उनसे मंजवा लेते हैं और बाकी तमाम काम खुद अपने आप कर लेते हैं । मैं यह जानते हुए भी कि इसका असर जरूर उन लोगों पर पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि कोई न कोई इस तरीके का कदम उठाना चाहिए ताकि अगर इस तरह का घरेलू नौकरी का धंधा उनके लिए बंद भी होता है तो वह बेकार न रहें और हम उनको किन्हीं दूसरे उद्योग धंधों में खपा सकें । अतः सरकार को उनको उद्योगों व अन्य रोजगारों में लगाने की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी । यह सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो श्रम मंत्री महोदय हैं या जो श्रम मंत्रालय हैं वह रोजगार उपलब्ध करने का भी मंत्रालय है और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय इस बात के लिए सोचेंगे कि घरेलू नौकरी के अभाव में हमारे उन लोगों को जो मजबूर होकर अन्य उद्योग धंधों में नौकरी पाने के लिए रुख करना पड़ेगा, उनको उन उद्योग धंधों में खपाने के हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि देंगे और उनको तरह तरह की दस्तकारियों को भी सिखाने की व्यवस्था की जायगी ।

श्रीमन्, इस अवसर पर एक निवेदन मैं भी यह करना चाहता हूं कि इंडियन लेबर कान्फ्रेंस की बैठक मद्रास में २७ जुलाई, १९५९ से लेकर २९ जुलाई, तक हुई थी और उसकी रिपोर्ट यहां सदन में रक्खी गयी और उस पर मेरे मित्र श्री बनर्जी के प्रस्ताव पर बहस भी हुई थी । मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चार अखिल भारतीय मजदूर संगठनों ने, साम्यवादी दल द्वारा प्रभावित जो हमारी आल इंदिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और इसी तरीके से आई० एन० टी० यू० सी० (इंटक) वगैरह इन चारों मजदूर संगठनों ने सर्वसम्मति से यह तय किया किस तरीके का कानून बनाना ही नहीं चाहिए । अब एक ओर तो वह मजदूरों की भलाई करने वाली संस्था होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर अपने ही एक वर्ग के प्रति इस प्रकार उपेक्षा दिखलाना चहाते हैं, उसकी अवहेलना करना चाहते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यहां पर तो रोज आये दिन मजदूरों की दुहाई दी जाती है और उनके पसींने के साथ में अपना खून तक बहा देने का दावा किया जाता है लेकिन मजदूरों में यह घरेलू कर्मचारियों का जो निम्नतम श्रेणी है उनके प्रति इस प्रकार की अवहेलना और उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है । मैं इस अवसर पर चूंकि उनके बहुत से प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं इस सदन के द्वारा यह अपील करना चाहता हूं कि उनको यह देखना चाहिए कि मजदूरों को जो यह एक महत्वपूर्ण वर्ग है उसकी दशा सुधारने हेतु भी उनकी ओर से कुछ प्रयत्न होना चाहिए । इंटक और ऐ० आई० टी० यू० सी० को अपनी शाखा संस्थाओं को आदेश देना चाहिए कि उनकी सहायतार्थ सूचना केन्द्र खोले जायं जहां पर कि मजदूरों के दुखों की सुनवाई हो । अगर उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है तो वह सूचना व सहायता केन्द्र अपनी तरफ से मदद देकर उनके लिए वेतन वसूल करवाने में मदद करे। अगर कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी दवादारू का इंतजाम करे और इन केन्द्रों द्वारा उनको रोजगार दिलाने की भी व्यवस्था हो ।

श्रीमान्, मैं थोड़ा सा ही इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं । मद्रास में जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह सिफारिश की गई थी कि एक पायलेट कार्यालय दिल्ली में खोला जाय । इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी और मजदूरों के जो प्रतिनिधि थे उनको भी यह सुन कर बड़ा संतोष हुआ था लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि हमने उससे जो आशाएं की थीं वह हमारी आशाएं इस पायलेट केन्द्र से पूरी नहीं हुईं ।

[श्री भक्त दर्शन]

मैंने ५ दिसम्बर सन् १९६० को दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों के कल्याण केन्द्र की बाबत एक प्रश्न पूछा था। मैंने उस अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के खंड (ग) में मंत्री महोदय से यह पूछा था:-

(ग) परामर्शदात्री समिति और कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति से घरेलू नौकरों को कहां तक लाभ हुआ ?

सरकार की ओर से उसके बारे में यह जवाब दिया गया :—

(ग) अभी इस बारे में कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दफ्तर है या एक मजाक है ? इस दफ्तर का कम से कम पहला काम तो यह होना चाहिए कि वह इस बात का पता लगाये कि यहां दिल्ली में कितने घरेलू मजदूर हैं ? कितना वेतन कम से कम और अधिक से अधिक उनको मिलता है ? किन परिस्थितियों में वे काम करते हैं ? मेरा कहना यह है कि इस तरह के सर्वेक्षण का कार्य तो पूरा कर लेना चाहिए था। जो बुनियादी चीजें सर्वेक्षण की हैं वे तो कम से कम कर ली जानी चाहियें थीं।

दूसरी बात यह है कि यह जो केन्द्र खोला गया है उसे घरेलू कर्मचारियों का विश्वास अभी तक, प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी कारण केवल २०० या २५० लोगों ने ही इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। बड़ी मुश्किल से कोई १७-२० लोगों को रोजगार दिलाया गया है। अब यह दफ्तर सारे देश के लिए एक मौडल दफ्तर बनने वाला है और जब इसी तरह के देश में और केन्द्र खुलने वाले हों तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि यह मजाक की चीज न रह जाय। इसको जरा एनरजाइज़ कीजिये, इसमें प्राण भरिये और देखिये कि इसके द्वारा कुछ काम हो।

श्री बाल्मीकि जी ने कहा है कि एक एडवाइज़री कमेटी बनाई गई है लेकिन उसमें घरेलू कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन के लिये यह कमेटी बनाई है और दफ्तर खोला गया है उनका प्रतिनिधि क्यों उसमें न लिया जाए और क्यों न उनकी आवाज़ उठाने वाला उसमें कोई हो ? यह तर्क दिया जाता है कि जो आल इण्डिया डोमेस्टिक वर्कर्ज़ यूनियन है वह रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे बताया गया है कि उस यूनियन ने कई बार प्रार्थनापत्र दिये हैं कि उसको रजिस्टर कर लिया जाए लेकिन हमारे श्रम मन्त्रालय की ओर से उसको रजिस्टर नहीं किया गया है। एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन करके स्वीकृति नहीं दी जाती है और दूसरी ओर उनके प्रतिनिधि इसलिये नहीं लिये जाते हैं कि वह रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं और न ही यह न्यायपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि इस ओर श्रम मन्त्रालय का ध्यान जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल दिल्ली में इस तरह का पायलट केन्द्र खोलने से लाभ नहीं होगा। अगर पायलेट केन्द्र खोलने हैं तो हर राज्य में एक-एक पायलट केन्द्र तो खोला जाए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लखनऊ इत्यादि बड़े-बड़े सेंटर हैं जहां पर घरेलू कर्मचारी लाखों की संख्या में काम करते हैं। वहां पर भी अगर इस तरह के केन्द्र खोले जायें तो कुछ लाभ हो सकता है। अभी जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि हर एक राज्य की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और वहां की परिस्थितियों का अध्ययन हो सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां पायलट केन्द्र खुलें। अगर ऐसा किया गया तभी सारे देश के लिये एक फार्मूला निकाला जा सकेगा।

अन्त में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूंकि हमारे श्रम मन्त्री जी का सहानुभूतिपूर्ण रवैया और उदार दृष्टिकोण सारे देश में प्रसिद्ध है और हमारे उप श्रम मन्त्री महोदय की कर्तव्य-परायणता सारे देश में विख्यात है वे इन अभागे लोगों की तरफ भी ध्यान दें। साथ ही साथ मैं उनसे

पूछना चाहता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रख करके सच्चाई के साथ क्या यह कह सकते हैं, क्या यह कबूल कर सकते हैं कि वे उस ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिस ढंग से उनको करना चाहिये था। मुझे याद है वह दिन जबकि घरेलू कर्मचारियों के एक नेता के श्री श्याम सिंह ने हमारे सदन के सामने भूख हड़ताल कर रखी थी और यह सवाल यहां उठा था तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने, अध्यक्ष महोदय की ओर से यह घोषणा की थी कि अब से उनको कोई कष्ट नहीं होगा, उनके सब दुःख दर्द दूर हो जायेंगे, वे निश्चित हो जायेंगे, और ऐसा कह कर उन्होंने एक प्रकार से सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया था और माननीय मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि वह जो कुछ इनके लिये कर सकते हैं करेंगे। मैं उन्हीं से अपील करना चाहता हूं कि वह सोचें इस बात को कि जो उस दिन इतना गम्भीर आश्वासन उन्होंने दिया था क्या वे लैटर एण्ड स्पिरिट से उसकी पूरी तरह से पूर्ति कर सके हैं और अगर नहीं कर सके हैं तो उनको चाहिये कि वह उसकी पूर्ति करें।

अन्त में एक ही बात मैं इन मजदूरों से कहना चाहता हूं। उनको अपना संयम और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि मैं इस सिद्धान्त में विश्वास करता हूं "कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।" अगर वे संगठित रहें और शक्ति से अपना आन्दोलन चलाते रहें तो कभी न कभी हमारे शासकों का दिल जरूर पसीजेगा, उनकी आत्मा अवश्य जाग्रत होगी।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव): यह जो विधेयक इस सदन के सामने आदरणीय सभासद ने रखा है और इसको रखने में जो उनका मकसद है, उस मकसद से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। आल इण्डियन डोमेस्टिक वर्कर्ज़ यूनियन जो है, उसने एक छोटा सा पैम्फलेट शाया किया है और उसमें इसने कहा है कि डोमेस्टिक सर्वेंटस की तादाद हिन्दुस्तान में दस करोड़ के करीब है। इसको देख कर मुझे बहुत आचर्य हुआ है।

एक माननीय सदस्य : इसमें से एक सिफर उड़ा दीजिये।

श्री यादव नारायण जाधव: अगर हम हिन्दुस्तान के देहातों में रहने वालों की तादाद को देखें और शहरों में रहने वालों की तादाद को देखें तो यह जो घरेलू कर्मचारियों की तादाद दी गई है, वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर दी गई है, ऐसा मैं समझता हूं।

अगर हम देश के हालात को देखें और फिर इस सवाल के ऊपर विचार करें तो इस बारे में विधेयक लाने में से कुछ असर पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे स्टेचूट बुक पर बहुत से कानून हैं जिन को जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, खोल करके देखती तक नहीं है। उसकी तरफ से उन कानूनों को इम्प्लेमेंट करने की कोशिश तक नहीं की जाती है। यही हाल इस बिल का अगर यह पास हो जाता है होने वाला है।

यह सही है कि यह जो सवाल है इसकी तरफ हमारे देश के काफी लोगों का ध्यान गया है। इसके ऊपर किताबें भी शाया हुई हैं। हमारे आदरणीय सदस्य श्री वाजपेयी जी ने जो एक बात कही है उससे मैं अपनी सहमति प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इस संसद की एक ऐसी समिति बननी चाहिये जो इस प्रश्न पर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करे और इस सवाल को हल करने के लिये एक नक्शा देश के सामने और सरकार के सामने रखे।

[श्री यादव नारायन जाधव]

हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि इन लोगों को जो लोग रखते हैं, उनकी इनकम क्या है। हमारे सामने दिल्ली का नक्शा है। वाल्मीकि जी ने कहा और उनके भक्त श्री भक्त दर्शन जी ने भी कहा कि दिल्ली का जो नक्शा है जो कि हमारे सामने है यह दिल्ली का नक्शा सब जगह नहीं है, सब जगह दिल्ली नहीं है। जो सर्व-साधारण आदमी हैं जिन की आमदनी कम होती है उनमें जो मियां और बीबी होते हैं वे दोनों ही अगर काम पर नहीं जाते हैं तो उनका संसार चल नहीं सकता है। जब दोनों को मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता है तो उनके लिये यह भी लाजमी हो जाता है कि वे किसी घरेलू मजदूर को रखें। ऐसी सूरत में अगर घरेलू कर्मचारियों के लिये कोई वेतन श्रेणी तय की जाती है और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाती है, तो यह किस हद तक कामयाब हो सकता है, इसे हमें देखना पड़ेगा। जहां तक घरेलू कर्मचारियों के लिये सुविधायें मुहैया करने की बात है, वे उनको जरूर मिलनी चाहियें। इस बारे में मैं एक बात खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों की आमदनी, जिन घरेलू कर्मचारियों की आमदनी, पचास रुपये या चालीस रुपये माहवार से कम है, उनकी जो मूलभूत गर्ज़ है, उसको वह पूरा करे। हमारे देश में जिन लोगों की आमदनी सौ रुपया या दो सौ रुपया माहवार है, उनके रोजमर्रा के जो खर्च हैं उनको पूरा करने के बाद उनके पास क्या बच रहता है और घरेलू कर्मचारियों की जो आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति क्या वे कर सकते हैं, यह सोचने की बात है। मुझे बताया गया है कि इनको खाना दिया जाता है और उसके बाद पैसा दिया जाता है। जहां पर एक घर में पांच छः लोगों के लिये खाना बनता है वहां उसमें एक आदमी के लिये खाना निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है और खाना वे दे सकते हैं। लेकिन जब कैश पैसा देने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यह बिल पास हो जाता है और एक खास रकम उनको माहवार देने की बात तय हो जाती है तो क्या वे दे सकेंगे, यह सोचने की बात है।

कहा गया है कि उनको मैडीकल रिलीफ मिलना चाहिये। मैं मानता हूं कि उनको मिलना चाहिये। आपने कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम चालू की है। उसके लिये आप मैम्बर्ज़ और गवर्नमेंट सर्वेंटस से पैसा लेते हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों की फैमिलीज़ यहां नहीं होती हैं और कई मैम्बर तो ऐसे होते हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन पैसा उनको देना पड़ता है। मैं कहूंगा कि मैम्बर्ज़ से और गवर्नमेंट सर्वेंटस से जिन में कि कुछ हाईली पेड भी हैं, जब पैसा लिया जाता है और उनकी फैमिलीज़ को भी यह सहूलयित दी जाती है तो इसका लाभ उनके जो सर्वेंटस हैं, उनको भी मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें। स्टेटस में भी ऐसा हो सकता है।

जहां तक काम के घंटों का सम्बन्ध है, घरेलू मजदूरों का प्रश्न ऐसा है कि उनके काम का समय मुकर्रर कर देना एक मुश्किल सी बात होगी। क्योंकि दो घंटे काम करने के बाद उन को पांच छः घंटे छुट्टी मिलती है, फिर दो घंटे काम करना पड़ता है, फिर दो घंटे काम करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि घरेलू काम करने वाले आदमी को सब मिला कर आठ घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। यहां यह बात भी कही गई है कि उन को बीस बीस घंटे काम करना पड़ता है, ऐसी बातें रखने से हम जो केस गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं उसका कोई असर होने वाला नहीं है।

हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इस तरह के विधेयक को लाने का फल क्या हुआ ? मैं कहना चाहता हूं कि इन सेवाओं की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित हो, इसके लिये इस तरह के विधेयक लाना जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि जब तक उस के सामने कोई बात कही न जाय तब तक वह जिन्दा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट ऐसी है कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता।

मैंने देखा है कि कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं कि जब माननीय मेम्बर यहां उस पर ठोंसा लगाते हैं तभी गवर्नमेंट उन की तरफ देखती है। यहां पर हर आर्गेनाइजेशन अपनी मांग रखते हैं। जो हमारे सही हालात हैं उनका नक्शा गवर्नमेंट के सामने हमें रखना चाहिये और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करनी चाहिये। पाइलट आफिसेज के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है या इस तरह की जो दूसरी बात होती हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये और जो हमारे मजदूर हैं उनके लिये आज की हालत में वह क्या कर सकती है इस को देखने की कोशिश करनी चाहिये। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो बहुत अच्छा है।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, सरकार ने जो समिति बनाई है इन घरेलू कर्मचारियों के लिये मुझे क यह कहना पड़ता है और सदन को सूचित करना पड़ता है कि उस का एक सदस्य मैं भी हूं। स्पष्ट है कि जो समिति बनाई गई थी उस के अन्दर सरकार का इरादा यह था कि इस बात की छान बीन की जाये कि घरेलू कर्मचारियों की दिक्कते क्या हैं और इस का निर्णय किया जाये कि सरकार उन के लिये क्या कार्यवाही कर सकती है। जैसा कि मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन जी ने कहा कि एक कार्यालय है। उस कार्यालय में ही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का एक केन्द्र नई दिल्ली में है। उस केन्द्र के साथ एक इन्स्पैक्टर को नियुक्त कर दिया गया है कि तुम देखो कि इस में सरकार को क्या करना है। इस के अतिरिक्त एक एम्प्लायमेंट अधिकारी को पार्ट टाइम नियुक्त कर कर दिया गया कि वह अपने काम के साथ इस काम को भी देखे। जो कमेटी बनाई गई उस में तीन सदस्यों को रक्खा गया। उस में मेरे अलावा दो और साथी हैं। उस कमेटी कई मीटिंगें हुई और सब सदस्यों ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिये। जैसा भक्त दर्शन जी ने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वे दूसरे मजदूरों के हितों के सम्बन्ध में तो बात करते हैं, किन्तु जहां घरेलू कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई बात आती है, वहां वे मौन हो जाते हैं। यह बात सत्य है, लेकिन इस का जो सब से बड़ा कारण मालूम हुआ वह यह है कि किसी कारखाने में जो लोग काम करते हैं वे बालिग होते हैं और उस के मुताबिक उस को अधिकार होते हैं। जो हमारे घरेलू कर्मचारी हैं जब उन को मदद पाने का अधिकार प्राप्त होता है तब तक वे अपने काम को छोड़ गये होते हैं। इसलिये जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहे वे मजदूरों के हितों के लिये कितने ही हमदर्द होते न हों, वे जनते हैं कि उन के पास वोट नहीं है, और चूंकि उन के पास वोट है नहीं, इसलिये उन के हितों के बारे में सोचना क्या ? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आज घरेलू कर्मचारियों के पास वोट के अधिकार होते तो उन की तरफ राजनीतिक दल अवश्य पहुंच जाते।

मैं जब इस समिति का सदस्य बना, तो मैं ने इस में निजी रूप से काफी जांच पड़ताल की। मैं ने उस में देखा कि बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जिन में उन के और उन के घरेलू कर्मचारियों के सम्बन्ध ऐसे हैं जैसे पिता और पुत्र के सम्बन्ध होते हैं। वे उन को अपनी सन्तान की तरह से रखते हैं, पालते हैं, उन के सुख दुःख का ख्याल रखते हैं। फिर भी थोड़ा अन्तर जरूर होता है। बहुत से परिवारों में मैंने यह भी देखा है कि जब शाम के समय स्वामी आते हैं तो उन कर्मचारियों को भी वे बुला लेते हैं और पढ़ाते हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपदने घरेलू कर्मचारी को मैट्रिक पास करवा कर और जगह नौकर करवा दिया। यह सब सही है किन्तु ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जो अपने घरेलू कर्मचारी को इन्सान नहीं समझते' उस के लिये यह भी नहीं सोचा जाता कि वह कब उठेगा, कब खाना खायेगा और कब सोयेगा। यह प्रश्न हमारे सामने है। यह नहीं सोचा जाता कि वह निरीह बच्चा जिस की उम्र चौदह, पन्द्रह या सोलह साल की है, उस की क्या हालत होगी। जरा कल्पना कीजिये, सवेरे चार या पांच बजे

[श्री नवल प्रभाकर]

उस को उठना पड़ता है, उस के बाद उस को घर की सफाई करनी होती है, जब घर के लोग उठते है तो उन को घर साफ मिलना चाहिये, उस के बाद जैसे जैसे घर के लोगों की जीवनचर्या शुरू होती है, वैसे वैसे उस का काम भी होता है। चाय के बर्तन मांजने से ले कर खाने के बर्तन मांजने तक। चाय बनाना भी उसी में शामिल है और दूसरे काम शामिल हैं। अगर इस बीच में बच्चा रोने लगा तो मां निर्देश दे देती है कि बच्चा खिलाओ। जब बाबू साहब सुबह दफ्तर चले जाते हैं तो उस के बाद और घर के काम शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जो जीवन सवेरे चार या पांच बजे शुरू होता है वह रात के दस बजे तक चलता रहता है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं उस के बाद भी अगर बच्चा कहीं रो पड़ा जाग कर तो गृहणी कर्मचारी को जगा कर कहती है कि इस बच्चे को खिलाओ। आखिर वहकर्मचारी भी तो बच्चा है, उस की अवस्था का आप अन्दाजा लगाइये, वह भी तो सोना चाहता है। आराम करना चाहता है। लेकिन उस के काम के घंटे कोई निश्चित नहीं हैं। वह ऊंघता दिखाई देता है तो उस के दो थप्पड़ भी मार दिये जाते हैं।

कर्मचारियों की स्थिति पर कमेटी में बहुत वाद विवाद हुआ, इस पर सोचा गया। एक सुझाव आया उस के अन्दर कि कुछ परिचय पत्र बनाये जायें और हर कर्मचारी को रजिस्टर किया जाये। घरेलू कर्मचारियों को रजिस्टर कर के उस के पिछले पते वगैरह सब लिखे जायें क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है कि उन में से चोर भी होते हैं, सामान भी उठा ले जाते हैं, भाग भी जाते हैं और उन का कोई पता नहीं लगता है। इस का विरोध भी किया गया कि साहब, उन से परिचय पत्र क्यों लिया जाय। जो लोग उन को नौकर रखते हैं उन का यह कार्य होना चाहिये कि वे बतलायें कि हमारे यहां एक कर्मचारी है जिस का अमुक अमुक नामहै, और इस जगह का रहने वाला है, और उन को जा कर रजिस्टर करायें। तो यह बात भी नहीं मानी गई। इस तरह से बहुत सी बातें वहां सोची गयीं,बहुत से पहलुओं पर विचार किया गया, किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया। मैं चाहता हूं कि सरकार और यह संसद् एक स्पष्ट निर्देश दे ताकि उन निर्देशकों के प्रकाश में जो समिति सरकार ने बनाई है वह कार्य कर सके। जब तक यहां से कोई निर्देश नहीं जायेगा तब तक वह समिति काम करने में, मेरे ख्याल में, अपने को निकम्मा पा रही है। मैं चाहता हूं कि इस समिति को और अधिकार दिये जायें। वे लोग मुहल्लों में जा कर उन की अवस्था को देखें और अलग अलग शहरों का चूंकि अलग अलग स्टैण्डर्ड होता है इसलिये उन जगहों की व्यवस्था को भी देखें।

जो वेतन मान बाल्मीकी जी ने रक्खा है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक साधारण परिवार के लिये घरेलू कमचारियों का रखना बहुत कठिन है। लेकिन यह भी सही है कि घरेलू कर्मचारी वही रख सकते हैं जो सुख और आराम चाहते हैं। उन की पत्नी जो होती है वह चूल्हा नहीं फूंक सकती हैं। अंगीठी नहीं जला सकती हैं, बरतन नहीं मांज सकती हैं, कपड़ नहीं धो सकती हैं। इन के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। जब वे समझती हैं उन को घर में आराम करना है, तो उन को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी ही होगी। मैं संसद् का सदस्य हूं लेकिन मैं ने अपने घर में कोई नौकर नहीं रखा है। हम अपना काम स्वयं करते हैं। इसी तरह से जो लोग समझते हैं कि हम नौकर का बोझा नहीं उठा सकते उन को उस का बोझा नहीं उठाना चाहिये। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने यहां नौकर रखना चाहते हैं और उस का बोझा उठाना चाहते हैं। दूसरे देशों के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। उन में घरेलू कर्मचारियों के वेतन निश्चित हैं, उन के काम के घंटे निश्चित हैं, और उन की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं कहता हूं कि आप और सब बातों को छोड़ दीजिये, केवल एक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिये कि आप की औलाद हो और उस की ऐसी हालत आ जाये कि उस को

घरेलू कर्मचारी का काम करना पड़े, तो आप उस के लिये कितनी देर का काम चाहेंगे। तो मेरा कहना है कि इस पर आप मानवता के विचार से सोचें, इस विचार से सोचें कि ये घरेलू कर्मचारी भी हमारे देश के बच्चे हैं, और उन को अपने बच्चों की दृष्टि से हम को देखना चाहिये। हम को यह नहीं सोचना चाहिये कि हम अलग हैं और ये कोई अलग लोग हैं जैसे कि कुछ मैदान के भाई सोचते हैं कि यह पहाड़ का यह मुंड है। इस प्रकार का ख्याल नहीं करना चाहिये। अगर पहाड़ का है तो क्या वह देश का नहीं है। अगर आज वह बिगड़ता है तो देश का एक नागरिक बिगड़ता है, देश का एक भावी नागरिक बिग- ड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि जिन घरों में शराब या सिगरेट पी जाती है उस घर के कर्मचारियों में भी वह बुराई आ जाती है और उस परिवार में रहने से उस को यह नुकसान भी होता है। मैं चाहता हूं कि संसद् इस बात पर स्पष्ट निर्देश दे।

श्री भक्त दर्शन जी ने कहा कि जो समिति बनी हुई है उस में घरेलू कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन का कोई प्रतिनिधि उस में हो, लेकिन उन की यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है। म ने मालूम करने की कोशिश की क्यों रजिस्टर्ड नहीं है, तो पता चला कि उस के कायदे कानून ही ठीक नहीं हैं। मैं ने कोशिश की कि उस को रजिस्टर्ड कराया जाय लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि उन की यूनियन रजिस्टर्ड हो और उन का एक प्रतिनिधि उस समिति पर हो, और संसद् भी इस बात को सोच कर एक निर्देश दे कि वे भी इन्सान हैं और उन के साथ मानवता का व्यवहार होना चाहिये। हमें इस प्रश्न पर मानवता की दृष्टि से विचार करना चाहिये।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक के लिये श्री बाल्मीकी को बधाई देता हूं। यह विधेयक साधारण नहीं है और मंत्री महोदय को इस की भावना अवश्य समझनी चाहिये। हमें घरेलू नौकरों को भी उचित स्थान देना चाहिये।

शायद इस विधेयक के विरुद्ध यह बात कह दी जाये कि यह राज्यों का मामला है। परन्तु इस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केन्द्र को इस सम्बन्ध में आदर्श कानून प्रस्तुत करना चाहिये।

मैं तो समझता हूं कि निकट भविष्य में घरेलू कर्मचारी मिलने ही बन्द हो जायेंगे। वह बड़ा शुभ दिन होगा। वस्तुत जिन पहाड़ी इलाकों से नौकरी करने के लिये लोग आते हैं उन में सरकार को बड़ी योजनायें चालू कर देनी चाहियें ताकि लोगों की हालत सुधर जाये और फिर उन्हें घरों में नौकरी करने की जरूरत न पड़े।

जहां तक निरीक्षण का मामला है, उस विषय में सुधार की आवश्यकता है। इस के साथ ही जो वेतन इस में व्यवस्थित हैं वे ठीक हैं। घरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अन्य लोगों की तरह छुट्टियां देने की व्यवस्था की जाये। इसी के साथ मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि तत्संबंधी सलाहकार समिति को वैधानिक समिति बना दिया जाये।

वैसे तो इस विधेयक के अन्तर्गत निहित सिद्धान्तों को सभी लोग अपनाते हैं ? इसी कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह नहीं कहेंगे कि माननीय सदस्य विधेयक को वापस ले लें। यदि सरकार को यह विधेयक प्रारूपन की दृष्टि से ठीक न लगे तो उसे स्वयं एक व्यापक विधेयक इसी उद्देश्य से सभा में रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है मैं उस के पीछे जो भावना है उस से पूर्णतया सहमत हूं और उस का स्वागत करता हूं। इस विधयक के पक्ष में दो तरह के लोग बोले। कुछ तो चाहते हैं विधेयक में कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन, उन की छुट्टियों और उन की तन्ख्वाह आदि के सम्बन्ध में सीधी व्यवस्था कर दी जाय और इस के लिये कोई कानून बना दिया जाये। कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस विधेयक की भावना से सहमत हैं, और घर के कर्मचारियों की जो दयनीय दशा है उस में वे सुधार चाहते हैं, उन की परिस्थितियों से वे प्रभावित हैं, किन्तु अव्यवहारिकता के नाम पर, यह सम्भव नहीं है, इस के नाम पर, चाहते हैं कि इस तरह का विधेयक पास न हो। साथ ही उन का यह भी कहना है कि अगर कानून बन जाये लेकिन उस को लागू न किया जाये तो उस के बनाने का कोई मकसद नहीं है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस विधेयक की भावना से प्रभावित हैं और उस की कद्र करते हैं लेकिन साथ ही साथ चाहते हैं कि उन की भावनाओं को क्रियान्वित न किया जाय, उन के अनुसार कोई कानूनी व्यवस्था न हो, मैं एसे व्यक्तियों को उसी कोटि में रखता हूं जो इस विधेयक का विरोध करते हैं। जहां तक व्यवहारिकता और विधयक को लागू करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार चाहे तो वह इस को लागू कर सकती है। जिस कानून को लागू करने के लिये सरकार तत्पर होती है वह लागू हो जाया करता है, और जिस पर वह तत्पर नहीं होती वह लागू नहीं होता। मैं यही कहूंगा अगर सरकार चाहती है कि ऐसा कानून बने तो वह बना भी सकती है और उस को लागू भी कर सकती है।

जहां तक माननीय श्री शर्मा जी ने यह कहा कि श्री बाल्मीकी इस विधेयक को वापस ले लें और सरकार कोई कानून बना रही है, मैं भी इस से सहमत हूं। अगर हमारे मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि वह इस संबंध में कोई ऐसा विधायक रक्खगे जिस में इन सारी बातों का समावेश होगा और इस समस्या का हल होगा, तो मैं भी इस सुझाव को पसन्द करूंगा और मैं भी माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस को वापस ले लें। लेकिन शर्त यही है कि माननीय मंत्री महोदय कोई दूसरा विधयक लाने का आश्वासन दें।

मैं जब दूसरे विधेयक को लाने की बात करता हूं और माननीय सदस्य से इस को वापस लेने की बात करता हूं तो इस दृष्टिकोण से कि इस विधेयक में कई बातें त्रुटिपूर्णहैं, कई खराबियां उन में हैं। माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था यह रखों है। घरेलू कर्मचारियों का वेतन ३० और ४० रुपय मासिक हो। लेकिन घरेलू कर्मचारियों को भोजन आदि की जो सुविधा मिलती है उस का इस में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कर्मचारियों को ३० या ४० रु० वेतन तो मिले, लेकिन भोजन न मिले। अगर उनको भोजन नहीं मिला तो यह विधयक जिन लोगों के लिये बनाया जा रहा है उन को कुछ देने के बजाये उन से कुछ ले ही लेगा। इसलिये इस की व्यवस्था इस विधेयक में होनी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक में पंजीकरण की बात रक्खी गई है। उस के अन्तर्गत यह है कि जो पंजीकरण न कराय उस को २५ रु० जुर्माना देना होगा। लेकिन इस विधयक में कुछ ऐसी विशेष धारायें हैं जिन की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस में धारा ९ है जिस में सप्ताह में २४ घंटों के लिये छुट्टी की व्यवस्था है और साथ में यह भी है कि वेतन में कटौती न हो। इस छुट्टी की धारा के साथ ही धारा १० में यह दिया गया है कि हर महीने के प्रथम सप्ताह में कर्मचारी का वेतन मिल जाय तथा नौकरी से हटाने के बाद तीन दिन के अन्दर उस का वेतन मिल जाये। इसी तरह से धारा ११ उन की न्यूनतम तन्खाह के बारे में है। लेकिन अगर इन उद्देश्यों

का इम्प्लिमेंटेशन नहीं होगा नौकर रखनेवाले उनका पालन नहीं करेंगे, तो उस के लिये कौन सी व्यवस्था है? उन पर अमल न होने पर क्या होगा इस का हमें पता नहीं? जहां तक पंजीकरण का प्रश्न है, उस के लिय तो २५ रु० जुर्माने की बात लिख दी, अगर उस का पालन न किया जाये, जिसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर नौकर रखने वाला ३० या ४० रु० तन्खाह के न दे, हफ्ते के अन्दर एक छुट्टी न दे, दस घंट से अधिक काम ले, तो एसे मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है ।

†**एक माननीय सदस्य** : रख दीजिये ।

†**श्री रामसेवक यादव** : होनी चाहिये । इस लिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को पास करने में कठिनाइयां है । जब तक विधेयक में इस तरह की बातों की व्यवस्था नहीं होती तब तक इस विधेयक के पास होने पर भी माननीय सदस्य की मंशा पूरी नहीं होती । मैं जानता हूं कि मतदान इस विधेयक पर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि माननीय सदस्य प्रस्तावक महोदय मंत्री महोदय की आंख से आंख लगाये रहेंगे, जैसे ही उन को इशारा मिलेगा, वे यह कह कर बैठ जायेंगे कि वे इस को वापस लेते हैं ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): नहीं वे वापस नहीं लेंग ।

†**श्री राम सेवक यादव** : लेकिन मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे सदन को इस बात का आश्वासन दें कि घरेलू कर्मचारियों के वास्ते, जिन की हालत बहुत खराब है, एफ विधेयक लायेंगे । बना विधेयक आये हुए घरेलू मजदूरों का हित नहीं हो सकता है । यह बात सही है कि हम ने ऐसे मालिकों को भी देखा है जो अपने मजदूरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं, अच्छ कपड़े पहनाते हैं लेकिन यह विधेयक उन मालिकों के लिये है जो अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा और कहीं कहीं अमानुषिक व्यवहार करते हैं । यह जो विधेयक आयेगा वह उन को रोकने के लिये होगा । मंत्री महोदय ऐसा विधेयक लायें जिस में इस विधेयक की जो खामियां हैं वे दूर हो जायें । आज सारे देश में लाखों की संख्या में घरेलू मजदूर हैं उन की दयनीय दशा है । कभी कोई नौकर रक्खा और फौरन ही उस को निकाल दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि तन्खवाह नहीं दी जाती है, उनका सामान मालिक लोग ले लेते हैं और वे चिल्लाते रहते हैं । उन को सुविधा तो नहीं मिलती लेकिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । उन की स्थिति में सुधार हो । समस्या के जो भी पहलू हैं, नौकरी और तन्खवाह से ले कर छुट्टी आदि तक के लिये माननीय मंत्री विधेयक लायें और इस समस्या को समूल नष्ट करें ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि आगे चल कर यह समस्या रहेगी ही नहीं वह समय जल्दी आने वाला है । लेकिन मैं श्री बाजपेयी के इस विचार से सहमत हूं कि वह समय जल्दी नहीं आयेगा । इस समय तो वह आने वाला है ही नहीं । मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि वह समय आयेगा भी या नहीं । आये या न आये, लेकिन जो समस्या इस वक्त है उस का समाधान हम को करना है । हमारे यहां अगर इस समस्या का समाधान न किया गया तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी ।

मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसा विधेयक लायें जिस से यह समस्या हल हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आज तक घरेलू कर्मचारियों की हालत के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। बेकारी के कारण उनका काफी शोषण होता है।

वस्तुत: घरेलू नौकर घर ही का एक अंग बन जाता है। उसे हर तरह की घर की ऊंच नीच का ज्ञान हो जाता है और वह घर ही का सदस्य बन जाता है। यदि हम सब लोग उसे नौकर न समझकर घर ही का अंग मानें तो वह कदापि दुखी न हो। सारे राष्ट्र में वैसा ही व्यवहार उस से होने लगे। फिर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता न पड़े।

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि लोग अपने रसोइयों से अच्छा बर्ताव करें। मुहल्लों या क्षेत्रों में कुछ बोर्ड होने चाहिये जहां पर कि नौकरों की शिकायतों को सुनकर दूर किया जा सके। मैं चाहता हूं कि नौकरों की रक्षा हो और मालिक उन से प्यार का सा बर्ताव करें परन्तु हर चीज कानून की सहायता से ही तो हल नहीं हो जाती।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जब घरेलू नौकरों में से एक ने यहां भूख हड़ताल की थी उस समय माननीय मंत्री ने यह कहा था कि वे उनकी शिकायतों की ओर ध्यान देंगे। इस कारण अब उस वायदे को पूरा करने का समय है।

पहली बात इस सम्बन्ध में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि नौकरों के काम की अवधि को नियमित रूप दिया जाये। दूसरी बात यह है कि इस समस्या के सम्बन्ध में जो समिति हो उसमें उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

श्री भक्त दर्शन ने कहा कि जब सभी लोग घरेलू नौकरों से सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं तो क्यों १७वें श्रम सम्मेलन में क्यों न किसी ने यह बात उठाई। खैर इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैंने न्यूनतम वेतन की बात जरूर चलाई थी।

मैं यह नहीं कहता कि हर मालिक अपने नौकरों को तंग करता है पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि नार्थ एवेन्यू में भी थोड़ी थोड़ी बातों पर मालिकों ने नौकरों को पुलिस के हवाले किया है। यह व्यवहार अच्छा नहीं है।

इस विधेयक के उद्देश्य को मानकर जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है एक समिति बननी चाहिये जो इस समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करे। मैं तो प्रस्तावक महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस न लें हमें देखना यही है कि सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जो भी इस बिल के सम्बन्ध में यहां कहा गया है, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और वह इसलिये कि इस काम को करने वाले भाई बहनों के साथ हमारी सहानुभूति भरपूर है। जो कुछ भी सेवा उनकी पिछले १८ महीनों में करने की कोशिश की गई है, वह आप जानते ही हैं। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दिल्ली के एक खास विभाग उनके लिये खोला गया है और उसकी मार्फत उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की गई है। यह मामला सचमुच काफी गम्भीर है और अनुभव ने कुछ और भी बताया है। हम चाहते हैं कि उनको उन्नति हो। वे भी इस हमारे विशाल देश के अंग हैं और देश के किसी भी अंग का कमज़ोर रहना या बीमार होना, उस शरीर की रक्षा करने वाला कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। वे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सवाल

†मूल अंग्रेजी में

यह है कि क्या कानून की मार्फत उनकी सेवा की जा सकती है या और तरीकों से भी की जा सकती है। असल में बीमारी को समझ कर और उसकी जरूरत के अनुसार दवा दे कर ही इस समस्या को लह किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार ने जिसने कि हिन्दुस्तान की सरकार को जनता की सरकार और जनता को सरकार माना है, वह जनता की कैसे उपेक्षा कर सकती है। क्योंकि जनता सरकार की भी सरकार है। हम सब उसके कर्मचारी हैं। जनता ने मैम्बर साहिबान को भी कर्मचारी बना कर यहां भेजा है और जितना सचेष्ट मैम्बर साहिबान रहेंगे उतना ही हम कर्मचारी जो हैं, अच्छी तरह से काम करेंगे। हमारे मालिक हैं एम० पी० और हम सब की मालिक है जनता। कांग्रेस की सरकार कैसे यह देख सकती है कि कोई भी अंग देश का या कोई भी तबका देश का कमजोर रहे। हमने विधान में मजदूर को भी यह हक दिया है कि वह हिन्दुस्तान का प्रेजीडेंट हो सकता है, प्रधान मंत्री हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमने विधान के द्वारा उनके चढ़ने के लिये सीढ़ी भी बना दी है। हमने विधान में यह भी कहा है कि कोई आदमी अगर गरीब है, और कम आमदनी पाता है, तो ऐसा इंतजाम हो रहा है ताकि वह जो सीढ़ी है उस पर चढ़ने की ताकत हासिल कर सके। उनके लिए पढ़ाई के मामले में हमने मदद करने की कोशिश की है और दूसरे मामलों में मदद करने की कोशिश की है। ये तरीके हैं जो कि हम अख्तियार कर रहे हैं। ये जो साधन हम उनके लिये मुहैया कर रहे हैं, ये बढ़ने चाहियें यह मैं मानता हूं और उन्हें पूरी तरह से कामयाब होना चाहिये।

यहां पर कहा गया है कि दयालु हो जाइये, अच्छे हो जाइये। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी पर दयालु होने का या किसी पर उपकार करने का कोई सवाल नहीं है। यह हमारा कर्त्तव्य है और हमें इसका पालन करना चाहिये। अपने कर्त्तव्य का पालन करना हर अच्छे आदमी का काम है।

वाल्मीकी साहब ने हमें बहुत सी प्राचीन बात समझाई जो कि बहुत मजेदार थीं। मुझे भी कुछ प्राचीन बातें याद हैं लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अब भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, बोहरे, खोजे मेमन इत्यादि। बावरची, सफाई करने वाला, मैनेजर, मालिक, कर्मचारी जितने भी हैं, सब साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, एक थाल में बैठ कर खाते हैं। मालिक से ले कर छोटे से छोटे काम करने वाले बावरची वगैरह सब साथ बैठ कर खाना खाते हैं। आज भी मुल्क में ऐसे लोग हैं जो किसी किस्म का भेदभाव नहीं बरतते। यहां पर गांधी जी का नाम लिया गया है। उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही प्रयत्नों से आज इन पिछड़े हुये लोगों के लिये इतना कुछ हो सका है। जिसको पतित समझा जाता है, जो पाखाना साफ करता है, महात्मा जी उसको पावन समझते थे और पाखाना गंदा करने वाले को जो पाखाना साफ करने वाले को घृणा की नजर से देखता था, पतित समझते थे।

श्री राम सेवक यादव : आप भी ऐसा करते हैं?

श्री आबिद अली : इस वक्त माननीय सदस्य ने जो कहा उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हर एक अपने अपने ख्याल से अपने अपने माहोल में फंसा रहता है। कितनी ही कोशिश की जाय उसको निकालने की लेकिन वह उसी में फंसा रहता है। मेरी अर्ज यह थी कि जो लोग खुद गन्दगी करते थे फिर भी अपने को पावन समझते थे और उनकी गन्दगी को साफ करने वाले जो थे उनको पतित समझते थे, हम उनकी दशा को बिल्कुल तब्दील करना चाहते थे, उनको एक समान करने की कोशिश आज काफी अर्से से हो रही है और काफी तरक्की उन की हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आ.बिद अली]

जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, इस मसले को आज तीसरी मर्तबा उठाया जा रहा है। पहली मर्तबा यहां पर, दूसरी दफा राज्य सभा में और तीसरी मर्तबा आज फिर उठाया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसको भी ज्वायेंट सेशन में रख दीजिये।

श्री आबिद अली : आनरेबल मेम्बर तो हमेशा मतभेद ही चाहेंगे। उनका अस्तित्व ही इससे है। मेरी अर्ज यह थी कि उन्होंने अच्छी तरह से कोशिश की, जो लोग बिना पेंदे के लौटे की तरह से ही रहे। मद्रास की कांफरेंस में वह हाजिर नहीं थे। मैं उनको याद दिलाऊं कि इन्फार्मल कंसल्टेटिव कमेटी में वे हाजिर थे और वहां पर इस मामले पर गौर किया गया। मैं तो यही मानता हूं कि वहां पर सब इसी खयाल के थे कि इस सवाल के बारे में कोई कानूनन पास किया जाये। वही चीज मद्रास में भी विचार के लिये आई और वहां भी इस सवाल पर मतभेद नहीं था, मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट्स के कहने से यह चीज मान ली गई और इंडियन लेबर कांफरेंस में यह सर्वसम्मति से पास हुई कि इस बारे में कोई कायदा कानून न लाया जाये क्योंकि, जिस तरह से हमारे भाई श्री त्यागी ने फरमाया, यह आपसी सम्बन्धों का सवाल है। सम्बन्ध मीठे होने चाहियें और सम्बन्ध कायदे कानून से मीठे नहीं हो सकते।

श्री दी० चं० शर्मा : आपने धर्मपत्नी और पति के सम्बन्धों के लिये जो कानून बना दिया है वह नहीं है?

श्री आबिद अली: उनके सम्बन्ध में कानून है कि अगर वह अलग होना चाहें तो क्या होगा। इसके लिये कानून है।

श्री त्यागी : उसको सम्बन्ध तोड़ने के लिये बनाया गया था।

श्री आबिद अली : इसके लिये है कि टूट जायेगा तो क्या होगा। जब तक वे सुख से रहते हैं तब तक उन के लिये कानून नहीं है।

वहां यह बात जरूर हुई थी कि पाइलट स्कीम और ऐडवाइजरी कमेटी बने। लोग कहते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले १८ महीनों से जिस तरह से हमारा काम चल रहा है उसको सुन कर माननीय सदस्यों को ताज्जुब जरूर होगा और खुशी भी होगी। लेकिन कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं जो इन बातों से नाराज होते हैं, और वे नाराज भी होंगे कि अखबारों में ऐलान के बाद भी कि यह दफ्तर मौजूद है हमारे पास सिर्फ आठ शिकायतें आई हैं।

हमारे भाई फरमा रहे थे कि अलग अलग मोहल्लों में इसका इन्तजाम किया जाये कि शिकायतें दर्ज हो सकें। हमारे दल के सदस्य फरमा रहे थे कि एक अफसर वहां काम कर रहा है जिसको की यह काम दें दिया गया है। दूसरे काम भी उसके पास हैं। लेकिन यह सही बात नहीं है। इस काम के लिये खास तौर पर अफसर रक्खा जाता है लेकिन अखबारों में ऐलान करने के बाद भी कुल आठ शिकायतें आई हैं, जिनमें से तीन मालिकों की तरफ से हैं और पांच कर्मचारियों की तरफ से हैं। कर्मचारियों की तरफ से यह शिकायतें

थीं कि उनको तनख्वाह नहीं दी गई। लेबर वेलफेअर आफिसर ने पूरे मामले को सोच समझ कर दोनों में समझौता करवा दिया और जिन कर्मचारियों को तन्खाहें नहीं दी गई थीं, उनको तन्खाहें मिल गईं। और कर्मचारियों की ओर से जो पांच शिकायतें आई थीं उन पांचों को उनके सन्तोष के अनुरूप हल कर दिया गया।

यह कहना कि कर्मचारी बड़े दुखी हैं और मालिक बड़े आराम में हैं यह भी ठीक नहीं है। कोई कहता है कि मालिक ज्यादा मजलूम है क्योंकि कोई कर्मचारी उनकी लड़की भगा ले जाता है, कहीं खून हो जाते हैं और कहीं चोरियां हो जाती हैं या और तरह की गड़-बड़ियां हो रही हैं। बहरहाल उन दोनों से मेरी अर्ज यह है कि कर्मचारी भी इस देश के अंग हैं, उनमें और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। हमारा समाज जितना बुरा है उतने ही वे भी बुरे हैं और समाज जितना अच्छा है उतने ही वे भी अच्छे हैं। कर्मचारी ज्यादा खराब हैं और वे काम नहीं करते हैं, यह कह देना भी बिल्कुल सही नहीं होगा और कर्मचारियों का भी सब मालिकों के लिये बुरा कह देना ठीक नहीं है। दिल्ली में जहां इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, सिर्फ तीन मालिकों की कर्मचारियों के खिलाफ और पांच कर्मचारियों की मालिकों के खिलाफ शिकायतें हुई।

एक माननीय सदस्य : मालिकों की शिकायत क्या थी?

श्री आबिद अली : मालिकों की शिकायत यह थी एक मामले में कि कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, दूसरे मामले में यह था कि कर्मचारी गैरहाजिर हो जाया करता है। इसी तरह तीसरे की भी कुछ शिकायत थी। बहरहाल इन मामलों के लिये हम ने एक लेबर वेलफेअर आफिसर नियुक्त कर दिया है। एक किया हुआ है, जरूरत हो तो हम दस करने को तैयार हैं। एम्प्लायमेंट एक्सेचेंज हम ने कायम किये हुए हैं, एक नई दिल्ली में है, एक दरियागंज में है और एक पूसा में है। हर एक एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज में हम एक आफिसर नियुक्त करने की तैयार हैं अगर काम बढ़ने वाला हो। लेकिन अगर उनके काम की गुंजाइश नहीं है तो सिर्फ एम्प्लायमेंट आफिसर नियुक्त कर देना ही ठीक नहीं है।

जहां तक कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक, है, मेरी समझ में भी यही आता है कि दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, इस लिहाज से कि वे घरों में काम करना नहीं चाहते हैं। पहाड़ों से और गांवों से जो लोग आते हैं वे दिल्ली में आ कर घरों में काम करना शुरू कर देते हैं और साथ में वे पढ़ाई भी करते हैं। मैं कई जवानों और छोटे लड़कों को जानता हूं जिन्होंने दिल्ली में आकर घरों में काम करते हुए पढ़ा है और उनमें से ज्यादातर यह कोशिश करते हैं कि उनकी चपरासी को जगह मिल जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि कारखानों में चले जायें। अगर आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स में जाकर देखें तो पायेंगे कि बहुत बड़ी संख्या काम सीखने वालों में से घरेलू कर्मचारियों की की है जो वहां पर काम करके आमदनी करते हैं और उससे अपनी फीस देते हैं और कुछ दिन बाद मोटर ड्राइवर हो जाते हैं। बहुत से लोग आगे पढ़ने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हिन्दुस्तान में मजदूर मजदूर ही रहें या मजदूर के बच्चे मजदूर ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

रहें। वह भी तरक्की कर के आगे बढ़े, समाज का विश्वास हासिल करें और बढ़ते-बढ़ते ऊंची से ऊंची जगह पहुंच जायें। इसलिये हमें उनकी तरक्की के साधन पैदा करने चाहियें यह भी मैं मानता हूं। इस तरह से उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग मजबूरी से काम करते हैं, खुशी से काम नहीं करते। कोशिश हर एक की पहले यह रहती है कि वह कमाये और फिर आगे बढ़ने के लिये शुरू की नौकरी छोड़ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : ऊंचे से ऊंचे कहां तक वे चढ़ सकते हैं?

श्री आबिद अली : मुश्किल तो यह है कि हमारे भाई वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, गुस्सा उनको जरूर है, लेकिन क्या किया जाय, डिजर्व ऐंड देन डिजायर।

श्री स० मो० बनर्जी: बिहिश्त या दोजख में कहां जायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन ऊंचा हो सकता है, बिहिश्त या दोजख?

श्री आबिद अली : जिसने अपने को जैसा बनाया है, यह उस पर मुन्हसर है।

इस विधेयक में पुलिस वगैरह का जिक्र किया गया है, मैं उसको नामुनासिब समझता हूं। इसमें कांप्रिहेन्सिव लेजिस्लेशन या ऐनादर लेजिस्लेशन की बात नहीं है। मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक इन्फार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी या इंडियन लेबर कांफरेंस का ताल्लुक है, जहां तक इस समस्या का ताल्लुक है, सब जगह से अभी तक यही चीज आई है, जिसमें सब ग्रुप, पार्टी और मूवमेंट या आर्गेनाइजेशन, सब लोग शामिल हैं, कि कोई इस तरह की चीज न की जाय। मैं यह चीज नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस चीज पर ऐतराज है। अगर एतराज है तो यह कि मैं पुलिस एन्क्वायरी को बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। इस विधेयक को माननीय सदस्य ने रक्खा है, उनकी खुशी है। यह ठीक नहीं है कि इसमें पार्टी वगैरह का सवाल आता है या यह कि कांग्रेस मेम्बर्स का क्या है, वे इसे वापस ले लेंगे। कई दफा हमारे दूसरे भाई जो मुखालिफ हैं, उन्होंने भी बिल वापस ले लिये हैं। यह बात जरूर है कि जब माननीय सदस्य किसी चीज को ठीक समझते हैं तो उसको यहां रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे सब बातों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि जो बात कही जा रही है वह ठीक है और किसी चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं है और बिना उस चीज को रक्खे हुए काम ज्यादा ठीक तरह से हो सकता है, पूरा मकसद हासिल हो सकता है, तो उसे वे वापस ले लेते हैं। यह सरकार कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों के लिये नहीं है, वह सब के लिये है क्योंकि इसमें कोई शुबहा नहीं। यहां पर पार्लियामेंट के मेम्बर जो चीज रखते हैं मुनासिब होती है उस पर वे उस तरह से अमल करते हैं, और अगर वह ठीक चीज नहीं मालूम होती तो उसको नहीं मानते हैं।

अभी एक भाई अमरीका वगैरह की बात फरमा रहे थे। ठीक है वहां ऐसा होता है। मुझे भी एक ऐसी चीज मालूम है। क्या हुआ कि एक मेम साहबा ने एक काम करने वाली रक्खी और कुछ दिन के बाद उस को एक दिन की छुट्टी दी। छुट्टी के दिन वह अपने कमरे में देर तक बैठी रही दुखी दिल से। जब देर तक किसी चाय नहीं दी तो बाहर निकली और कहा कि क्यों मेरी चाय तुमने नहीं दी? इस पर उन्होंने ने कहा कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और चाय मिलना मेरा हक है इसलिए आपको चाय बनाना चाहिए और मुझे चाय पिलाना चाहिए। तो यह भी एक तरीका है। वहां के जो हालात और तरीके हैं वह आप हजरात को अच्छी तरह से मालूम है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वहां हर चीज स्वचालित है ।

श्री आबिद अली: मैं ने सुना नहीं ।]

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वहां पर हर एक चीज आटोमैटिक है, लेकिन इस हाउस में हर चीज आटोमेटिक न हो ।

श्री आबिद अली : शायद आनरेबिल मेम्बर को वहीं का दिमाग मिला है इसीलिये वह हमेशा आटोमैटिक हुआ करते हैं ।

दूसरी बात यह है, जैसा कि त्यागी साहब ने फरमाया, कि ये कर्मचारी भाई बहिन खानदान के अंग हो जाते हैं । खानदान की राहत और तकलीफ में बराबर हिस्सा लेते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि अगर खानदान में कोई मर जाता है तो उसके लिए ये कर्मचारी उसी तरह रोते हैं जैसे कि दूसरे खानदान के लोग रोते हैं ।

हां उन मालिकों के लिए जरूर कुछ होना चाहिए जो नामुनासिब कार्रवाई करते हैं । लेकिन उन मामले में अगर कायदा बनाया गया तो उस पर अमल होगा यह मेरा मानना नहीं है । बल्कि ऐसा कायदा बनाना तो घरेलू कर्मचारियों से दुश्मनी होगी। अव्वल तो वह कायदा अमल में नहीं आ सकता। कायदा ऐसा बनाना चाहिए कि जो अमल में आ सके। मेरे खयाल में इसकी जरूरत नहीं है। कहा गया कि वह रसीद ले । मैं कहता हूं कि जो लोग छोटी दुकानों में नौकर रखे जाते हैं वह रसीद नहीं लेते । फिर अगर वह ले भी लें तो उसको रखें कहां उनके पास तिजोरी नहीं है । और फिर वह रसीद कैसे लें ।

अभी तक हमारे पास पांच शिकायतें आयी हैं कि तनखाह नहीं मिली । आप कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसी शिकायत लेकर आते हैं । यहां पर इसका चर्चा हो गया आप भी अपनी तरफ से प्रचार कीजिए । हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग शिकायतें लावें तो मालूम हो कि क्या बात है । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कयदा बनाने की जरूरत नहीं है । जहां पर उनको तकलीफ हो उनको मदद करना जरूरी है और हम मदद करने के लिए तैयार हैं ।

हमारी एडवाइजरी कमेटी पर उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए । उनके लिए जगह खाली रखी है । मगर सवाल यह है कि हम लें किस को । यूनियन रजिस्टर नहीं हुई है यह हमारा ऐतराज नही है । लेकिन यूनियन का अस्तित्व तो होना चाहिए । यहां तीन यूनियनें हैं, उनमें से एक तो कभी जिन्दा हो जाती है और कभी बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाती है । मगर जो दो यूनियनों और हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की । उनको खत लिखे, आदमी उनके पास भेजे । कई मर्तबा आदमी भेजे और पहले से उनको लिख दिया कि इस वक्त हमारा आदमी आएगा, आप उनको अपना रजिस्टर दिखलाइए,उनको अपनी मेम्बरशिप बतलाइए, अगर किसी बैंक में हिसाब रखते हों तो उनको बतलाइए वह गरीब लोगों की यनियन है इसलिए शायद बैंक में हिसाब न रखते हों । लेकिन हमने उनके दफ्तर पर आदमी भेजा, लेकिन अभी तक हमको इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली । हमने यह भी जानने की कोशिश की कि उनके रजिस्टर होने में क्या दिक्कत है और अगर हम मदद कर सकते हैं तो करें । लेकिन इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली । वह रजिस्टर न भी हो लेकिन हमको अपना रजिस्टर तो दिखावे जिससे मालूम हो कि मेम्बरशिप के लिहाज से उनको नुमायन्दगी का हक है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

यह बात सही है कि एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स कम हुई हैं। मैं चाहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर इसमें हिस्सा लें। उनको हर किस्म की सहूलियत दी जाएगी और उनको अख्तियार है कि इस सम्बन्ध में जिस अफसर को चाहें बुला सकते हैं, जिस मुहल्ले में जाना चाहें जा सकते हैं, हमारे अफसरान की जितनी मदद उनको चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं, वह सारे हालात मालूम करने की कोशिश करें इसके लिए हम उनको सारी सहूलियतें देने के लिए तैयार हैं।

जब हमारे अफसरान ने यह जानने की कोशिश की कि कितने कर्मचारियों को हफ्ते में छुट्टी मिलती है तो उनकी रिपोर्ट है कि करीब ५० फीसदी को हफ़्ते में छुट्टी मिल जाती है। यह सही है कि वह खास खास मुहल्लों में ही गए। हो सकता है कि कुछ मुहल्लों में न मिलती होगी। लेकिन ५० फीसदी को हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है और बाकी को भी किसी न किसी शक्ल में छुट्टी मिल जाती है।

तनखाह के बारे में भी उनकी रिपोर्ट है कि महीना खलास होते ही एक हफ्ते के अन्दर उनको तनखाह मिल जाती है। कुछ केसेज में ऐसा हो सकता है कि पूरी तनखाह न मिलती हो। मगर जिन्हें मिलती है उनको पूरी मिल जाती है।

श्री भक्त दर्शन : क्या सारी दिल्ली का सर्वे करके यह फैसला किया गया है ?

श्री आबिद अली : बहुत थोड़े एरिया का सर्वे किया गया है, कुछ मुहल्लों में गए थे यह माननीय सदस्य ठीक फरमा रहेहैं।बहुत बड़ी संख्या को उन्होंने नहीं देखा, कुछ सौ केसेज देखे हैं।लेकिन तनखाह न मिलने की कुल पांच शिकायतें हैं।

कहा गया है कि लेबर आफिसर ठीक काम नहीं करते। मालूम नहीं किस किस्म की शिकायत है। अभीतक मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो वह हमको बताएं और अगर वह शिकायत सही है तो हम उस आदमी को बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे।

जहांतक सहानुभूति का सवाल है, मैं अर्ज कर चुका हूं उनके साथ हमें पूरी हमदर्दी है और रहेगी यह भावना उपकार के रूप में नहीं है बल्कि कर्तव्य के रूप में है। और उनकी तकलीफ की कोई भी शिकायत जब हमारे पास पहुंचेगी तो उस तकलीफ को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट उसको दूर करने में मदद करेगा और मैं खुद अपने तरीके से उसमें मदद करूंगा। जहां भी और जितनी भी उनको मेरे डिपार्टमेंट की मदद चाहिए वह लें और मैं वायदा करता हूं कि उनको मदद दी जाएगी।

पछिले हंगर स्ट्राइक के बाद जो सटेटमेंट दिया गया उसके बारे में भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। मैं अर्ज करूंगा कि उस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी थी कि हम कोई कायदा इस बारे में बनाएंगे। ऐसा हमने नहीं कहा। स्टेटमेंट यहां मौजूद है।

इसके बाद मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे और वे हमारी पूरी मदद करेंगे ताकि हम इन कर्मचारियों की पूरी मदद कर सकें।

श्री भक्त दर्शन : मद्रास कानफरेंस में यह तै हुआ था कि दिल्ली में एक पाइलट स्कीम शुरू की जाए और उसके अनुभव के बाद सारे देश में उसको लागू किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है।

श्री आबिद अली : यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें दिल्ली के तजरबे के लिए रुकी रहें। वे भी अपने यहां दफ्तर खोल सकती हैं और अपना तजरबा कर सकती हैं। इस के लिए कोई बन्दिश नहीं है। मेरा मानना है कि वहां जो तजरबा है उसे लेकर दूसरी जगह दफ्तर खोले जा सकते हैं।

श्री वाल्मीकी : घरेलू कर्मचारी विधेयक पर काफी बहस हुई है और इसमें नौ माननीय सेदस्यों ने भाग लिया और दसवें मंत्री जी बोले। दस धर्म के लक्षणों की तरह से यह भी एक व्यावहारिक बात प्रतीत हुई। तथा उनके विचारों की पवित्रता सदन के सम्मुख आई।

श्री वाजपेयी : नम्बर भी ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो नौ माननीय सदस्य बोले उनमें अपने आपको भी क्या आप शामिल करते हैं।

श्री वाल्मीकी : माननीय सदस्यों के उद्गार सुनने के बाद और माननीय मंत्री जी के हल्के हल्के आश्वासन को सुनने के बाद भी मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इस बिल को मंजूर कर लिया जाये। आज का दिन एक मुबारिक दिन है क्योंकि आज के दिन घरेलू कर्मचारियों के प्रश्न पर यहां बहस हुई है और उस बहस के दौरान में कुछ उनकी दयनीय स्थिति का चित्र हमारे मस्तिष्क में आया है। जब भी कभी इस तरह का सवाल सामने आता है तो एक अजीब हालत विचारों की हो जाती है। ऐसी स्थिति में हर आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। मुझे याद आता है वह जमाना जबकि इंग्लैंड में पहली बार फैक्ट्री एक्ट लाया गया था तो उस देश के अन्दर जहां पर कि इतने चमत्कार हुये हैं और दूसरी प्रकार की रोशनी उसने दुनिया को दी है, एक बावेला मचा था, शोर मचा था और आज भी इसी तरह का एक शोर देश में मच रहा हम पाते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। आज हम देश में बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी प्रकार के उद्योग स्थापित कर रहे हैं, देश का औद्योगीकरण करने हम जा रहे हैं और उस तरफ भी कुछ लोगों का अलग से आकर्षण पैदा होगा और वे उधर भी जायेंगे। लेकिन फिर भी औद्योगीकरण से जो शान बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी तो कोई वजह नहीं है कि घरेलू कर्मचारी किसी न किसी रूप में आराम के लिये या लाभ के लिये रखे न जायें। यह बात भी अवश्य है कि जब शान व शौकत से भरा जीवन होता है, वैभवपूर्ण जीवन होता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है तो जो मालिक की नारी होती है, उस पर सौंदर्य झलक जाता है और जहां वैभवपूर्ण सौंदर्य झलकता है वहां उसमें काम करने की हिम्मत नहीं रहती है और वह नौकर का सहारा लेती है। ऐसी सूरत में कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है कि क्यों न इन लोगों के लिये कोई कानून हम बनायें। मेरा पक्का विश्वास है आप इसको चाहे मानें या न मानें, और मैं विधेयक वापिस लूं या न लूं, यह अलग सवाल है, कि उनके काम के घंटे मुकर्रर करने के लिये उनके लिये जीवन की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये, उनकी शिक्षा के लिये तथा चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिये, कोई न कोई कानून जरूर बनना चाहिये। मेरा पूरा विश्वास है कि यह जो विधेयक मैं लाया हूं इसकी क्लाजिज पर अगर आप पूरे तौर से ध्यान दें, तो आपके विचार भी जरूर बदलेंगे।

मुझे वह दिन याद आता है जब मैं तेजी से आ रहा था बुलन्दशहर से लौट कर और मुझे संसद के सामने में भूख हड़ताल करता हुआ शाम सिंह मिला था। जिसने घरेलू मजदूरों के लिये अपनी जान तक की बाजी लगा रखी थी। उसको भूख हड़ताल किये हुये कई दिन हो चुके थे। मैंने जल्दी में इसके बारे में बिल लाकर यहां पेश किया और एक प्रकार से इसको प्रस्तुत किया। जब मैंने ऐसा कर दिया तब जाकर उसने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। जिन भावनाओं को लेकर मैंने इस

[श्री बाल्मीकि]

बिल को यहां प्रस्तुत किया है, उन भावनाओं की मैं आज भी कद्र करता हूं। यह बात जरूर है कि चाहे पहाड़ी क्षत्रों से लोग आकर नौकरी करते हों या किन्हीं दूसरे प्रदेशों से आकर उन सबकी समस्यायें एक जैसी हैं। कोठी, बंगलोज इत्यादि में काम करने वाले भंगी, धोबी और अन्य लोग जिनमें घरेलू मजदूर भी शामिल हैं, उनकी विकट समस्या हैं, विकट परिस्थितियां हैं और उनकी ओर आपका ध्यान जाना आवश्यक है। आपने आश्वासन दिया है कि आप उनके लिये जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। आपने पायलट स्कीम, प्रयोगात्मक कार्यालय खोला है और इन दो एक सालों में थोड़े से केस भी पकड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि तनख्वाहों के तथा पुलिस या मालिकों के जुल्म के दूसरे मामले जो आपके सामने आने चाहियें, नहीं आते हैं। जो काम आप कर रहे हैं और जिस काम को लेकर आप चल रहेहैं, उसका विकास नहीं हुआ है, उसका अधिक प्रचार नहीं हुआ है।यह होना चाहिये। ये लोग जब अंग्रेजों का राज्य था तब भी कोठियों, बंगलोज आदि में नौकरियां करते थे। अंग्रेजों का राज्य यहां था और वे इनको अच्छी तनख्वाह दिया करते थे, इस वास्ते उनका राज्य बना रहना चाहिये था, यह मैं कभी नहीं कह सकता हूं। मुझे एक बात याद है जो मैंने अंग्रेज को कही थी। मैं सफाई मजदूर के तौर पर काम करता था। उस अंग्रेज का नाम कैर साहब था और उसने एक अजीब बात कही तो मैंने उनसे कहा कि व्योरोक्रेटिक माइंड आपका हो सकता है, हमारा नहीं। तनख्वाह कम मिले या ज्यादा, इसकी कोई परवा नहीं लेकिन अंग्रेजियत को यहां से जाना था और वह गई और यह अच्छा ही हुआ। उस वक्त हमको चालीस रुपये या पचास रुपये माहवार मिलते थे, आराम मिलते थे, कपड़े मिलते थे, और जो परदेश से आदमी आते थे, उनकी शान होती, लेकिन इन सबकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि आज एक कलैक्टर दस रुपये से ज्यादा नहीं देता है। लेकिन उनकी जो स्थिति आज है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वे अत्यन्त कष्ट में है।

पुलिस के मदाखलत की बात कही गई है। यह मुझे भी अच्छी नहीं लगी है। बिल आप नहीं मान रहेहैं। पुलिस को मैं बीच में नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से आपने फैक्ट्री एक्ट बनाया है, शाप एस्टेबलिशमेंट्स एक्ट बनाया है, उसके आधार पर तनख्वाहों की बात को तो छोड़िये, लेकिन काम के घंटों के बारे में,कंडिशंज आफ सर्विस के बारे में आप कोई कानून जरूर बनायें। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिये।

यहां पर सदन में कहा गया है कि एक माननीय सदस्य की ओर से कि एक समिति हो संसद सदस्यों की जो इस पर विचार करें और उपाय सुझायें। वैसे आपकी सलाहकार समिति बनी हुई है। मैं उसका जो रूप है, उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। कोई वजह नहीं है कि उसमें दूसरे लोगों को न लिया जाये। सारे देश के अन्दर जो घरेलू मजदूर हैं, उनके प्रतिनिधियों को आपको चाहिये कि आप उसमें लें।

मेरी हमदर्दी उनके साथ है जो नौकरी से हटा दिये जाते हैं। इस तरह से हटाये गये किसी घरेलू कर्मचारी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है, मेरा हृदय दर्द से भर जाता है। एक लड़के को मैंने देखा जिसकी चार दिन हुये सर्विस छूट गई थी और उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसकी सूरत उतरी हुई थी, मालिक ने तनख्वाह तक नहीं दी थी। इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं या नहीं आते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातों के बारे में भी आप कुछ करें। कोठी, बंगलोज में जो काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि भी आपको उस कमेटी में लेने चाहियें। संस्था के पीछे आप मत

पड़िये, आप किसी और आधार पर उनके प्रतिनिधियों को ले सकते हैं। अगर ये लिये जायें तो ये अपने दुःख दर्द आपके सामने रख सकेंगे, अपने विचार आपके सामने रख सकेंगे।

मैं चाहता तो यह था कि कोई कानूनी शक्ल इसको दे दी जाती लेकिन मंत्री जी को भावनापूर्ण विचार सुनाने के बाद कर्त्तव्य पालन तो करना ही है। वाजपेयी जी तथा दूसरे साथी जानते हैं कि भावना से कर्त्तव्य बहुत बड़ा होता है। जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया है और जो प्रेम इनके प्रति जाहिर किया है, उसकी मैं कद्र करता हूं। त्यागी जी ने प्रेम की बात कही, वंश की बात कही और कहा कि वंश में जिस तरह से और सदस्य रहते हैं, इनको भी उसी तरह से रखना चाहिये और इनको भी वंश का एक अंग मानना चाहिये। काश कि उस तरह का प्रेम वे इनके प्रति दिखा सकें।

ओइम सहृदयं सामनस्य मविद्वेषं कृणोभिवः।

अन्यो अन्यमभिहर्यतवत्सं जातभिवाधया ॥अथर्वेद ॥

प्रेम की व्यक्त भावना है कि हमारे दिल एकसे हों, दिमाग एकसे हों, विचार एकसे हों, सभी के दिलों में उनके प्रति सद्भावना हो और हम उनके प्रति मनुष्यता का व्यवहार करें और वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार गाय अपने बच्चे के साथ करती है; उसे प्यार करती है। वैदिक भावना जो मानव के प्रति रही है, वही भावना अगर हमारी इनके प्रति हो जाये, तो समस्या आप से आप हल हो सकती है।

चाहता तो मैं यह था कि मंत्री महोदय मेरे इस विधेयक को स्वीकार कर लेते लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है इसको स्वीकार करने में और कहा है कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं और करते जायेंगे, इसलिये मैं अपने इस विधेयक को वापिस लेता हूं। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों तथा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनके प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद २२६ का संशोधन)

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन** (तंजौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह संशोधन अनुच्छेद २२६ में है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य फिर अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*पंजाब में सेवाओं का एकीकरण

श्री रामकृष्ण गुप्त : (महेन्द्र गढ़) : मेरा जो पंजाब की सर्विसेज के इंटेग्रेशन के बारे में सवाल था, उस का जो जवाब दिया गया, उस के बारे में मैं यह डिस्क्शन रेज करना चाहता हूं। इसके बारे में मैं सब से पहले यह बात बतलाना चाहता हूं कि इंटेग्रेशन से पहले यानी पहली नवम्बर, १९५६ के पहले जो पेप्सू के अर्स्टव्हाइल चीफ मिनिस्टर थे और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन की एक कांफ्रेंस हुई । उस कांफ्रेंस में एक एग्रीड फार्मूला तैयार किया गया और साफ तौर पर इस बात का फैसाला किया गया कि जितने भी एम्प्लायीज़ हैं उन सब को केडर टू केडर बेसिस पर इंटैग्रेट किया जायेगा । और पेप्सू के जो क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट इन चार्ज हैं या सुपरिटेंडेंट वगैरह जो हैं उन को किसी भी हालत में उन अफसरों से कम नहीं समझा जायेगा जो कि पंजाब में उन्हीं ओहदों पर हैं। उन को बिल्कुल बराबर समझा जायेगा । इस जगह पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह जो फैसला हुआ, वह जो हमारी पार्लियामेंट ने स्टेटस रिआर्गेनाइजेशन बिल पास किया सन् १९५६ में, बिल्कुल उस के मुताबिक था। अगर मैं उसके क्लाज ११५ और ११६ को हाउस के सामने रक्खूं तो मेरी बात की ताईद हो जायेगी । क्लाज ११५ में साफ तौर पर कहा गया है :

"७ इस धारा का प्रभाव पहले कर्मचारियों की सेवाओं आदि की शर्तों पर न होगा । परन्तु यह कि सेवा की शर्तें भी इस प्रकार परिवर्तित न की जायेंगी जिससे उनको हानि हो ।

११६(१) जो व्यक्ति नियत दिवस से पहले कोई पद धारण कर रहा हो वह क्षेत्रान्तरण के बाद भी, यदि वह पद अन्य क्षेत्र में कायम रखा गया है, उसी पद पर कायम रहेगा ।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सेक्शन के मुताबिक जो फैसला उन्होंने किया उस का साफ मतलब यह है कि सर्विसेज के इंटेग्रेशन के लिये दोनों स्टेट्स के जो एम्प्लायीज हैं, उनमें किसी किस्म का डिस्टिंक्शन या इम्तिआज नहीं किया जायेगा । लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसका नतीजा यह निकला। एक नया ग्रुपिंग फार्मूला बनाया गया। उस ग्रुपिंग फार्मूला में यह था :

"ग्रुपिंग फार्मूला मुख्य मंत्रियों के इस निर्णय के विपरीत था कि पेप्सू और पंजाब के क्लर्कों आदि की सेवाएं समानस्तर उसकी मानी जायेगी ।"

उस ग्रुपिंग फार्मूले के मुताबिक

"सारी सेवाएं सेवाकाल की अवधि के अनुसार वर्गीकृत की जानी थीं ।"

मेरे कहने एका मतलब यह है कि सर्विसेज का जो इंटेग्रेशन केडर टू केडर बेसिस पर होना चाहिये था उसके बजाय तमाम आफिसर्स ने जिस-जिस केटेगरी के अन्दर सर्विस की थी, उस तमाम पीरियड को काऊंट कर के फिर इंटेग्रेशन किया गया । इसके खिलाफ पेप्सू के जितने एम्प्लायीज थे, जिनकी तादाद २०,००० के करीब थी उन्होंने अपीलें कीं । मैं इस जगह यह साफ कर देना चाहता हूं कि जो सेंट्रल कमेटी अपीलों का फैसला करने के लिये मुकर्रर की गई थी

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

उसने जितनी भी अपीलें इस मामले में की थीं उन तमाम को मंजूर कर लिया और पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को नाजायज करार दिया । मेरी इस बात को माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में मान लिया है और कहा है :

"केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि वरिष्ठता समीकृत वेतन स्तर में सेवाकाल के हिसाब से निर्धारित की जाये ।"

यही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी का जो फैसला था उसको हमारी सरकार ने भी मान लिया ।

"भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया और राज्यीय सलाहकार बोर्डों की सिफारिशों के अनुसार दिये गये आदेशों को रद्द किया ।"

मैं इस जगह पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो बात की गई वह कोई नई बात नहीं थी। हिन्दुस्तान के अन्दर और भी बहुत सी स्टेटस मर्ज हुई थीं । उनमें भी यह प्रिंसिपल फालो किया गया । मेरा यह भी एक सवाल था और उसके बारे में यह कहा गया :

"भाग (ख) और (ग) के उत्तर की दृष्टि में अब तत्सम्बन्धी कार्य सहमत सूत्र के आधार पर होगा ।"

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये ऐप्रोप्रिएट कदम यह था कि वह सेक्शन ११७ को देखते हुए उनको हिदायत जारी करती कि जो फैसला हुआ है, सेंट्रल ऐडवाइजरी कमेटी का जो फैसला है, उसको वह पूरा करे, उस पर अमल किया जाये । सेक्शन ११७ में साफ तौर पर कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार नियत दिन के पहले या बाद राज्य सरकार को ऐसी हिदायतें दे सकती है और राज्य सरकार उनका पालन करेगी ।"

इस जगह पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल कमेटी मुकर्रर की गई वह भी उसी रिपोर्ट के तहत मुकर्रर की गई थी । इस ऐक्ट के सेक्शन ११५ के सब-सेक्शन ५ में जिक्र किया गया है

"केन्द्रीय सरकार एक से अधिक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकती है ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह बात बिलकुल साफ है, जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक जो फैसला था, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ने कन्फर्म भी कर दिया, और जिसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान लिया, उस क्वेश्चन पर फिर बहस करने की जरूरत इस लिये पैदा हो गई बाद में, जो यह कहा गया :

"राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर जारी किये गये आदेशों के पालन में अपनी कठिनाई जतलाई। अब इस मामले पर चर्चा चल रही है। अब एक ऐसा सूत्र निकाल लिया गया है जिस पर दोनों सहमत हैं।"

मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब तीन-तीन जगह फैसला हो चुका और एक्ट के मुताबिक फैसला हुआ, तो फिर क्या डिफिकल्टी थी । न क्वेश्चन के अन्दर इस बात को साफ किया गया कि वह कौनसी डिफीकल्टी थी। जहां तक मैंने मालूम करने की कोशिश की है कोई डिफीकल्टी नहीं है, सिर्फ डिफीकल्टी यह है कि इंटीग्रेशन कर दिया गया । इसका नतीजा यह हुआ कि जो पेप्सू में

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

क्लर्क थे या सुपरिंटेंडेंट थे वह अब तक बाकायदा सुपरिंटेंडेंट हैं। आप इजाजत दें तो मैं उनकी लिस्ट पेश कर सकता हूं। और जो पंजाब का कर्लक था वह सुपरिंटेंडेंट हो गया। सिर्फ यही एक डिफीकल्टी हो सकती थी, जो डिफीकल्टी इन्साफ की डिफीकल्टी थी। बाद में मैंने यह भी मालूम करने की कोशिश की। मेन क्वश्चन में यह जाहिर किया गया कि एक एग्रीड फारमूला तै हो गया है, लेकिन मैंने जब सवाल किया कि वह एग्रीड फारमूला क्या है कम से कम यह तो बतलाने की कोशिश की जाए तो जवाब दिया गया :

ब्यौरा देने में समय लगेगा ।

और मैंने यह भी पूछा कि जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं, जिनको नुक्सान हुआ है, क्या उनसे कोई सलाह ली गयी, तो कहा गया कि उनकी व्यू तो पहले से मालूम थी। इसलिए सलाह लेने की क्या जरूरत थी। तो मैं यह सवाल आज हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। जब फैसला पहले हो चुका था तो उस सफैले पर अमल करवाने की कोशिश क्यों नहीं की गयी। इसलिए मेरी यह अपील है कि जो दोनों स्टटों के चीफ मिनिस्टर्स ने एग्री किया था, जिसको सेंट्रल कमेटी ने भी मान लिया था और जिसको सैंट्रल गवर्नमेंट ने अमल में लाने के लिए आर्डर जारीं किये थे उस फारमूले को मान लिया जाए। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि यह २० हजार सरविसेज के साथ इन्साफ का सवाल है। छोटी छोटी स्टेट्स बनीं, उन में जो इंटीग्रेशन के टाइम में डिफीकल्टीज आयीं उनको महसूस करते हुए इस एक्ट को पास किया गया और उस में यह प्रावीजन दाखिल किया गया ताकि किसी भी स्टेट के साथ बेइंसाफी न हो।

दूसरे जब तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर एक मैथड इस्तेमाल किया गया तो पंजाब के अन्दर जहां २० हजार मुलाजिमों के साथ बेइंसाफी हुई उसको ठीक करने में दूसरा तरीका क्यों इस्तेमाल किया गया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि और माननीय डिप्टी स्पीकर मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि जिस वक्त मरजर का सवाल था तो तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर पेप्सू एक ऐसी स्टेट थी कि जिस ने अनकंडीशनल सरेंडर किया। वहां कोई कैपीटल के लिए या किसी और चीज के लिए कंटेस्ट नहीं किया गया। इसकी वजह यह थी कि हमारे जो पेप्सू के नेता थे उन के सामने एक ही ख्याल था और वह ख्याल देश के इंटीग्रेशन और बहत्तरी का खयाल था। इसलिए उन्होंने इस फैसले को मंजूर कर लिया। तो मैं समझता हूं कि सरविसेज के साथ इन्साफ किया जाए और मेरी आखिर में यह अपील है कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट बोल्ड स्टैप उठाए, ख्वाह कितनी ही भी डिफीकल्टी क्यों न हो, और तमाम सरविसेज को काडर टू काडर इक्कट्ठा करे और काडर टू काडर बेसिस पर उनका इंटीग्रेशन करे ।

जहां तक नये फारमूले का सवाल है मुझे इस में भी कोई ऐतराज नहीं, अगर दूसरी पार्टीज इस से खुश हों। लेकिन जो सवाल दिया गया उस से मेरे दिमाग में डर पैदा हो गया है कि उनको शायद कंसल्ट नहीं किया गया। इसलिए जहां तक स्टेट का सवाल था वह तो नहीं रहा। अब तो उन एम्प्लाईज को कंसल्ट किया जाए और उनको कंसल्ट करने का तरीका यही है कि उन के जो

रिप्रेजंटेटिव हैं उन को बुलाकर उनकी राय से कोई तबदीली हो। अगर ऐसा किया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां तक इन्साफ का सवाल है उस के लिए तो मेरी एक ही अपील है कि पुराने फैसले को मनवाया जाए और पंजाब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएं कि वह उन पर अमल करे।

इंटीग्रेशन का सवाल बहुत अहम है। तमाम स्टेट गवर्नमेंटस और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्तिजाम आफिसर्स के मोराल पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आफिसर्स के साथ जस्टिस की जाए ताकि उनका मोराल ऊंचा हो और वह तभी हो सकता है जब कि उन के साथ इंटीग्रेशन के मामले में इंसाफ किया जाए क्योंकि इस के बारे में वे बड़े फैनेटिक होते हैं। मेरा इस में कोई परसनल सवाल नहीं है। मैं ने तो यह बात इस लिये कही है कि यह २० हजार आफिसर्स के साथ इन्साफ का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरखास्त पर जरूर विचार किया जाएगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि और बहुत सी रियासतों का दूसरे प्रान्तों के साथ विलय हुआ, और उन प्रान्तों की सरकारों ने उन रियासतों के कर्मचारियों के साथ जो उचित व्यवहार किया, क्या केन्द्रीय सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया कि पंजाब सरकार को उन प्रान्तों का अनुकरण करने में कौन सी कठिनाइयां थीं।

दूसरी बात यह है कि पेप्सू के जो कर्मचारी थे, क्या केन्द्रीय सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया कि कितने कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुकूल स्थान अब तक मिल चुका है और कितने इस प्रकार के कर्मचारी अब तक हैं जिनको उनकी योग्यता के अनुकूल स्थान नहीं मिला है।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी कमेटी बनी हुई है पंजाब में जिस में कि पेप्सू के एक्स चीफ मिनिस्टर और पेप्सू के और भी आदमी मेम्बर हैं जो सारे इंट्रीग्रेशन के सवाल पर गौर करती है?

दूसरे क्या ऐसी कमेटी बनी हुई है जिस में पेप्सू की सर्विसेज के और पंजाब की सर्विसेज के मेम्बर हैं जो इस सवाल पर गौर करती है।

तीसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पेप्सू का मरजर होने से दस दिन पहले बड़ी तादाद में आदमियों को कनफर्म किया गया था।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल): क्या इस प्रकार की शिकायत केवल पंजाब में ही है या अन्य रजवाड़ों की जिनका विलय किया गया यह शिकायत है कि उन के कर्मचारियों के साथ इस बारे में उचित कार्रवाई नहीं की गयी।

श्री फ० गो० सेन (पूर्निया): हमारे यहां से जिन सरविसेज का बंगाल को ट्रांस्फर किया गया उनको इतने दिन हो जाने के बाद भी अभी तक रेगूलराइज नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आज तो सवाल सिर्फ पंजाब का है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: माननीय सदस्य ने जिस जानकारी के आधार पर सरकार की आलोचना की वह गलत थी। सरकार ने सेवाओं के एकीकरण के बारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

में चार सिद्धान्त निश्चित किये हैं। यह सभी सिद्धान्त १-११-१६५६ को राज्यों के पास भेजे गये थे ।

जब पेप्सू और पंजाब की समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया तो उन्होंने काडर की समता के आधार पर यह विचार नहीं किया।

पेप्सू सरकार के प्रतिनिधि ने पदालि की समता की बात कह कर सेवाओं के वर्गीकरण की बात कही। हमने देखा कि इस बात में काफी वजन है। इस कारण हमने सब बातों पर विचार कर के सेवा की पूर्ण अवधि को मापदंड माना।

अब भी सरकार पेप्सू के अफसरों के अभ्यावेदनों पर पूर्ण रूप से विचार कर रही है ।

वास्तव में अन्तर्राज्यीय समिति ने इन सब बातों पर विचार करने के बाद ठीक तरीका निकाला था। उन्नति के मामले में पूर्ण सेवा का हिसाब लगाने की बात तय हुई थी। हो सकता है उस समय इसको पूर्ण रूप से समझा न गया हो।

उसके बाद की प्रक्रिया यह है कि तब केन्द्र को निदेश जारी करना था। पंजाब सरकार इसी आधार पर चली कि दोनों पक्षों में समझौता है। कुछ समय बाद हिदायतें भी जारी हुईं। नियम भी पंजाब सरकार ने जारी कर दिये। उसके बाद अफसरों की वरिष्ठता के मामले पर भी विचार किया गया ।

ग्रुपिंग फारमूला का प्रश्न केवल पंजाब या पेप्सू में ही नहीं उठा। भारत सरकार पदालि वार वरिष्ठता के हक में है। किन्तु इस मामले में तो एक प्रकार का समझौता हुआ था। पंजाब सरकार ने इसी धारणा के वशीभूत होकर काम किया कि पेप्सू सरकार इस बात पर सहमत है कि उपयुक्त मामलों में ग्रुपिंग का सूत्र अपनाया जाय।

अतः माननीय सदस्य को पंजाब सरकार पर व्यर्थ का आरोप नहीं लगाना चाहिये। पेप्सू के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रश्न के तय करने में काफी भाग लिया है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा पर यह काम इसी ढंग पर हुआ है।

जब यह मामला राज्य सलाहकार बोर्ड के सामने आया तब वे भी इसके औचित्य में नहीं गये। उसके बाद कुछ मामलों में अपीलें की गयीं। उन अपीलों को सुना न जा सका क्योंकि प्रत्यक्षतः जो कार्यवाही की गयी थी वह नियमानुसार थी।

इसके बाद जब यह बात केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सामने आई तब यही सोचा गया कि और कोई फारमूला उपयुक्त न होगा। अतः उन्होंने ग्रुपिंग फारमूले को रद्द कर दिया। यह बात तब हुई जब अपीलों का राज्य में निबटारा हो चुका था।

तब यह अनियमितता होगी कि कहीं तो ग्रुपिंग फारमूले का अनुसरण हुआ और कहीं पर साधारण फारमूले का। इसी कारण केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को लिया। हमें पेप्सू के अफसरों के कई अभ्यावेदन मिले। उसके बाद काफी चर्चा भी चली। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि सभी के हितों की रक्षा करने का यथेप्ट प्रयास किया जाता है।

हमने कठिनाइयों के बारे में पंजाब सरकार को लिखा और फिर राज्य और केन्द्रीय अफसरों की बैठक भी हुई। उसमें भूतपूर्व पेप्सू के कुछ अफसरों ने भी भाग लिया और उनके हितों की बात

पर भी विचार किया गया क्योंकि उनका कहना था कि उनकी वरिष्ठता दबाई गयी है। यदि काडर के आधार पर वरिष्ठता होती तो शायद उन्हें इतनी हानि न होती। परन्तु ग्रुपिंग फारमूला से पेप्सू के कई एक सीनियर अफसर पंजाब के जूनियर अफसरों से भी जूनियर हो गये। कुछ डिस्ट्रिक्ट जज सब जजों से भी नीचे हो गये। अतः सरकार को ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार करना पड़ा। हमारे पास इसी बात के अनेक अभ्यावेदन आये कि ग्रुपिंग के कारण पेप्सू के अफसरों के साथ काफी अन्याय हुआ है।

हमें न्याय की बात पर विचार करना था। संविधान के अनुच्छेद ११५ के अधीन प्रश्न निबटाने और अनुच्छेद ११७ के अधीन राज्य सरकार को हिदायत देने का अधिकार हमें है। किन्तु हाल ही में यह देख लिया गया है कि दोनों वर्ग इन परिवर्तनों पर सहमत हैं। एक ऐसा फारमूला बना लिया गया है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। हमें इस अन्याय को यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करना चाहिये।

सरकार भी पूरा न्याय करना चाहती है। अब केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड उस फारमूले पर विचार कर रही है। यदि कुछ रूपभेद आवश्यक दिखा तो वह भी कर दिया जायेगा। अतः इस समय माननीय सदस्य हमसे उसका ब्योरा न पूछे। सलाह बोर्ड की सहमति के साथ ही सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

जहां तक पेप्सू का संबंध है वहां दा बार पुनगठन हुआ। एक बार १९४७ में और फिर १९५६ में। इस कारण जो कुछ भी संभव होगा वह सब कुछ किया जायेगा।

विदाई सम्बन्धी उल्लेख

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सत्र अब समाप्त हो रहा है। माननीय सदस्यों ने बड़ी सहिष्णुता का परिचय दिया है और वस्तुतः उनके सहयोग के बिना सभा की गरिमा अक्षुण्ण नहीं रह सकती।

अब आप लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर क्षेत्र में सफल हों।

†श्री रघुनाथ सिंह
श्री दातार } : हम अध्यक्ष पीठ के प्रति आभारी हैं।

इस के पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ५ मई, १९६१

१५ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७०७७—९७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९२६	भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां	७०७७—७९
१९२९	लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा प्रविधिक मार्ग दर्शन	७०७९—८०
१९३३	पोलीथिलीन परियोजना	७०८१
१९३४	कृत्रिम रेशम के धागे की कीमतें	७०८१
१९३५	पाकिस्तानियों द्वारा पश्चिम बंगाल के गोदावरी चार क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की कोशिश	७०८२—८३
१९३६	चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य-क्षेत्र	७०८३—८५
१९३७	भारतीय साम्यवादी दल के सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिये दृष्टांक (वीसा)	७०८५—८६
१९३८	कर्नल भट्टाचार्य का अपहरण	७०८६—८७
१९३९	छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक	७०८७—८८
१९४०	लालभाई पटेलनागरी माइनिंग, डन्डेली	७०८८-८९
१९४२	इंडियन न्यूज सर्विस	७०८९—९०
१९४२-क	भारतीय उद्भव के लंकावासी	७०९०—९२
१९४३	कांगो में भारतीय राजदूतावास	७०९२—९३
१९४४	आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा बड़ी संख्या में अवैध प्रवेश	७०९३—९५
१९४५	पश्चिम बंगाल में पटसन कारखानों का बन्द होना	७०९५
१९४७	भारतीय पटसन कारखाना संथा	७०९५—९७
१९४६	कांगो में भारतीय सैनिक	७०९७
१९४६-क	कयूबा में भारतीय राष्ट्रजन	७०९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१७	काश्मीर	७०९८—७१००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)		
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१८	लाइबेरिया के क्षतिग्रस्त जहाज का बहिष्कार . .	७१००
१९	मिलिटरी सेक्रेटरी, आर्मी हैडक्वार्टर्स .	७१००—०२
२०	रिक्शा चलाना . .	७१०३—३
२१	सी० ओ० डी० कानपुर .	७१०३—०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७१०४—४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९२७	कांगो	७१०—०५
१९२८	कलकत्ता में गोदाम . . .	७१०५
१९३०	उर्वरकों की कीमतें	७१०५
१९३१	तीसरी योजना का विनियोजन लक्ष्य . . .	७१०६
१९३२	दक्षिण अफ्रीका के विरूद्ध प्रतिबन्ध . . .	७१०६
१९४१	विस्थापित व्यक्तियों के लिये कृषि भूमि . . .	७१०६—०७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४६०७	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां . . .	७१०७
४६०८	महाराष्ट्र में नये उद्योग	७१०७—०८
४६०९	पंजाब और पंच वर्षीय योजना . . .	७१०८
४६१०	सैलम जिले में यूरेनियम निक्षेप . . .	७१०८
४६११	नेफा और आसाम के लोगों के बीच सीमा-विवाद . .	७१०८—०९
४६१२	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां . . .	७१०९
४६१३	आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्र . . .	७११०
४६१४	आंध्र प्रदेश में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग . .	७११०
४६१५	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां . . .	७११०
४६१६	जापान से छपाई और लिखाई के कागज के आयात के लिये प्रस्ताव	७१११
४६१७	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान . .	७१११
४६१८	टैपियोका	७१११
४६१९	'मगले आजम'	७११२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित प्रश्न संख्या

४६२०	डालमिया दादरी सीमेंट फैक्टरी . . .	७१७२
४६२१	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	७११२–१३
४६२२	पंजाब में आवास योजनायें	७११३
४६२३	पंजाब में सीमेंट की मांग	७११३
४६२४	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास . .	७११३–१४
४६२५	अफरीका में भारतीय . . .	७११४
४६२६	जापान को लौह अयस्क का निर्यात .	७११४
४६२८	कलिंग इंडस्ट्रीज लि०	१७१४–१५
४६२९	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात . . .	७११५
४६३०	चाय पर उत्पादन	७११६
४६३१	पंजाब वित्त निगम . . .	७११६
४६३२	नागालैंड	७११६–१७
४६३३	तिब्बत में शरणार्थी	७११७
४६३४	उड़ीसा में विस्थापित लोगों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूल .	७११७
४६३५	नेफा में दिगारू नदी के ऊपर पुल का निर्माण .	७११७–१८
४६३६	तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये वित्तीय अंशदान	७११८
४६३७	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	७११८–१९
४६३८	कलकत्ता में बिजली की कमी का पटसन तथा कपड़ा मिलों पर असर	७११९–२०
४६३९	भारतीय मजदूर संघ	७१२०
४६४०	भारतीय उद्योगपतियों द्वारा सुरीनाम में धन विनियोजन .	७१२०
४६४१	चीनियों द्वारा अकसाई चीन क्षेत्र पर कब्जा . .	७१२१
४६४२	गोदी कर्मचारियों के लिये बोनस . .	७१२१
४६४३	बिहार में अभ्रक के कारखाने का बन्द हो जाना . .	७१२१
४६४४	भूटान को सहायता	७१२२
४६४५	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण . .	७१२२
४६४६	केरल में रबड़ की खेती	७१२२
४६४७	तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य .	७७१२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४६४८	तृतीय पंच वर्षीय योजना के विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य	७१२३
४६४९	तृतीय पंचवर्षीय योजना के सड़क निर्माण सम्बन्धी लक्ष्य	७१२३–२४
४६५०	डिफेंस कालोनी में प्लाट	७१२४
४६५१	पासीघाट सहकारी आरा मिल, नेफा	७१२४
४६५२	नेफा को संभरण	७१२५
४६५३	स्थानीय उत्पादिता परिषद्	७१२५
४६५४	भारतीय राष्ट्रजनों का पाकिस्तान को और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत को आगमन	७१२५–२६
४६५५	घोषणा से पूर्व आयात—निर्यात नीति का प्रकाशन	७१२६
४६५६	कच्ची सामग्री सम्बन्धी उप-समिति	७१२६
४६५७	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	७१२७
४६५८	नेफा में खाली इमारत	७१२७
४६५९	विदेशों में भारतीय राजनयिक पदाधिकारियों की नियुक्ति	७१२७–२८
४६६०	संघों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार	७१२८
४६६१	हिन्दी में निकाले गये प्रकाशन	७१२८–२९
४६६२	ईरान को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	७१२९
४६६३	किसानों के लिये सीमेंट का कोटा	७१२९
४६६४	नेफा के जंगल	७१३०
४६६५	भारतीय सीमा प्रशासन सेवा	७१३०
४६६६	मलाया के साथ व्यापार संधि	७१३१
४६६७	भारत–पाकिस्तानी सीमा का रेखांकन	७१३१
४६६८	असम में पेपर ग्रेड पल्प' परियोजना	७१३१
४६६९	निर्यातकों और व्यापार शिष्टमंडलों के लिए सुविधाएं	७१३२
४६७०	त्रिदलीय सम्मेलनों की सिफारिशें	७१३२
४६७१	भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली	७१३२–३३
४६७२	ट्रांजिस्टर रेडियो	७१३३
४६७३	दिल्ली में कस्टोडियन जनरल के कार्यलय से कागजात की चोरी	७१३३
४६७४	श्री निवासपुरी और एन्ड्रूजगंज में क्वार्टर	७१३४
४६७५	गुजरात में सिन्धी विस्थापित व्यक्तियों के दावे	७१३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४६७६	बंगलौर में संग्रहालय	७१३४–३५
४६७७	औद्योगिक बतिस्यां	७१३५
४६७८	दिल्ली में विस्थापित राजनैतिक पीड़ित	७१३५–३६
४६७९	नेफा को विमान द्वारा सामान पहुंचाना .	७१३६
४६८०	नेफा में विमान द्वारा सामान पहुंचाना . . .	७१३६–३७
४६८१	सरकारी स्थानों में अनधिकृत रूप से रहने वालों का सामान	३१३७
४६८२	निष्क्रांत सम्पत्ति	७१३७–३८
४६८३	भारतीय सेना में गुरखा सैनिक	७१३८
४६८४	श्री शंकर पिल्लई की पत्नी को मुआवजा . . .	७१३८
४६८५	पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे पदार्थों की कमी	७१३८–३९
४६८६	भारत के नियोजकों का संघ	७१३९–४०
४६८७	राज्य व्यापार निगम के लिए अयस्कों पर बिक्री कर की छूट	७१४०
४६८८	मैसूर में छोटे पैमाने के उद्योग . .	७१४०
४६८९	उड़ीसा के लिए सीमेंट	७१४१
४६९०	डी–१ और डी–२ वर्ग के क्वार्टर .	७१४१–४२
४६९१	बागान श्रमिकों को शिक्षा	७१४२
४६९२	ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के लिए तेलशोधक कारखाने की गैस	७१४२
४६९३	भारतीय उत्पादकता दल की विदेश यात्रा	७१४२–४३
४६९४	औद्योगिक नियोजकों का अखिल भारतीय संगठन .	७१४३
४६९६	अखिल भारतीय निर्माता संगठन .	७१४३
४६९७	कारखानों के लिए देशी रूई का कोटा . .	७१४३
४६९८	पांडिचेरी	७१४४
४६९९	सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति का आवंटन और हस्तांतरण .	७१४४
४७००	जंजीबार को भेजी गई भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के बारे में शिकायत	७१४४–४५
४७०१	सिनेमा शो देखने वाले विद्यार्थी	७१४५
४७०२	प्रतिरक्षा मंत्री की विदेश यात्रा . . .	७१४५–४६
४७०३	रिक्शा खींचना	७१४६

स्थगन प्रस्ताव ७१४६–४८

अध्यक्ष महोदय ने कानपुर की स्वदेशी काटन मिल्स में तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की, जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी और तंगामणि ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ७१४८–४६

श्री बलराज मधोक ने दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हाल की हड़ताल की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

अन्य पांच ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के उत्तर में जिनका उल्लेख सम्बन्धित सदस्य के नाम के आगे नीचे किया गया है, सम्बन्धित मंत्रियों ने टेबल पर वक्तव्य रख दिये।

(१) श्री रघुनाथ सिंह	पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों की कलकत्ता पत्तन की यात्रा।
(२) श्री केशव	रानीगंज की कोयले की पट्टी के क्षेत्र की माडर्न सतग्राम कोयला खान और अन्य कोयला-खानों में होने वाली हिंसात्मक घटनायें।
(३) श्री प्र० र० पटेल	पी० एल०–४८० के अन्तर्गत रूई के आयात की नीति के कारण गुजरात में व्यापारियों और उत्पादकों के पास देसी रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना।
(४) श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	पूर्वोत्तर सीमांत अधिकरण के सीमांत डिवीजन में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से डेटोनेटर्स, जीलेटाइन और फ्यूज वायर के गायब हो जाने का समाचार।
(५) श्री च० कृ० नायर .	पंजाब और दिल्ली की सीमा पर नाली संख्या ८ को नाली संख्या ६ की ओर मोड़ने का प्रस्ताव तथा उसके फलस्वरूप अलीपुर खंड क्षेत्र में प्रायः बाढ़ आने का खतरा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१४६–५१

(१) वर्ष १९५९—६१ के लिये संगठन और रीति विभाग को प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (असैनक), १९५९–६० (वाणिज्यिक लेखे प्रपर सहित) और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रश्त:—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २—तेरहवां सत्र, १९६१

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५—बारहवां सत्र, १९६०

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९—ग्यारहवां सत्र, १९६०

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४—दसवां सत्र, १९६०

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८—आठवाँ सत्र, १९५९

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २२—छठा सत्र, १९५८

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६१ में प्रकाशित रासायनिक खाद (लाने ले जाने नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ की एक प्रति पर।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अगस्त, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिए हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) सरकार द्वारा उपरोक्त समवाय के कार्य की समीक्षा।

(६) दिनांक ३ मई, १९६१ के संकल्प संख्या १८(४)/५९—साल्ट की एक प्रति जिसमें नमक उद्योग के विकास से सम्बन्धित कुछ विषयों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये हुए हैं।

(७) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९८९ में प्रकाशित त्रावनकोर फारवर्ड बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण तथा उसके स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाये जाने की योजना की एक प्रति।

(८) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० अर० ५६५ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छठा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(९) राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा भूमि सुधार एक्ट, १९६० की धारा ७५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की उड़ीसा गजट अधिसूचना संख्या १९७६—री—१/६१—आर में प्रकाशित उड़ीसा भूमि सुधार नियम, १९६१।

(१०) राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा सिंचाई एक्ट, १९५९ की धारा ५३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ मई, १९६१ की उड़ीसा गजट अधिसूचना संख्या २०४६४—३—डब्ल्यू—१२/६१—आर में प्रकाशित उड़ीसा सिंचाई नियम, १९६१।

(११) राउरकेला में विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में एक वक्तव्य।

(१२) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की तेरहवें सत्र में हुई बीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये।

(१३) याचिका समिति की तेरहवें सत्र में हुई बैठकों (इक्यावनवीं और चौवनवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये।

(१४) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति और परिवहन तथा संचार, निर्माण, आवास और संभरण, वाणिज्य तथा उद्योग, प्रतिरक्षा और खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों के बारे में ११५वीं, ११६वीं, ११९वीं, १२०वीं, १२१वीं, १२४वीं, और १३२वीं, प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

१. इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने २४—४—६१ को दिये गये वचन के अनुसार राऊरकेला के आदिवासी स्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

२. निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) ने निम्नलिखित वक्तव्य दिये:

दिल्ली में राजस्थान सरकार की सम्पत्ति के बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर के तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के ८ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य।

१९ अप्रैल, १९६१ को पूंजीकुन्नू, नेमोम, जिला त्रिवेन्द्रम (केरल) में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७१५२

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और १ मई, १९६१ को सभा को दिए गए अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(१) तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६१

(२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६१।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित ७१५२–५३

एक सौ पैंतीसवां, एक सौ छत्तीसवां और एक सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ७१५३

सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ७१५३

बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित ७१५४

(१) कहवां (संशोधन) विधेयक, १९६१

(२) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१

(३) संघ राज्य-क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक, १९६१।

विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया ७१५४–६०

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१ प्रवर समिति को सौंपा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७१६१–६५

४–५–६१ को शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—पुरस्थापित ७१६५

श्री अरविन्द घोषाल का वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, १९६१

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापिस ७१६५–९३

श्री बाल्मीकी द्वारा प्रस्तुत अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई। श्री बाल्मीकी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन	७१६३

श्री च० रा० पट्टाभिरामन् ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा	७१६४–६६

श्री रामकृष्ण गुप्त ने पंजाब की सेवाओं के एकीकरण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १६६१ के २१ अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई

PLS. 41. LV. 61 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।